

राजस्थान अधिनियम संख्या 3, 1955

001

विधायी इतिहास 6

. राजस्थान अधिनियम संख्या 37/2013, दिनांक 20.9.2013 द्वारा संशोधित

. राजस्थान अधिनियम संख्या 17/2014, दिनांक 7.10.2014 द्वारा संशोधित

. राजस्थान अधिनियम संख्या 1, 2012, दिनांक 18.1.2012 द्वारा संशोधित

14 मार्च, 1955 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

कृषि भूमि के काश्तकारों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने तथा भूमि सुधार के कुछ उपायों और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाएगा-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** --(1) यह अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

उद्देश्य और कारण 6

उद्देश्यों और कारणों का कथन अधिनियम संख्या 37, 2013. - राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की उपधारा (1) 45 के परन्तुक में यह प्रावधान है कि ऐसे कृषि प्रसंस्करण और कृषि कारबार उद्यम से संबंधित कृषि कार्यों के प्रयोजन के लिए, जैसा कि राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से अनुमोदित किया जा सकता है, खुदकाश्त धारक या भूमि मालिक अपनी जोत के पूरे हिस्से या उसके किसी हिस्से को पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकता है या खातेदार काश्तकार उपपट्टे पर दे सकता है और ऐसे पट्टे या उप-पट्टे को पंद्रह वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

प्रोसोपिस जूलीफ्लोराया बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी अन्य समान वृक्षारोपण के प्रयोजन के लिए कृषि भूमि की आसान उपलब्धता बनाने के लिए धारा 45 की उपधारा (1) में उपरोक्त प्रावधान को संशोधित करने

का निर्णय लिया गया है।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं, जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 2 अगस्त, 2013 को राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (अध्यादेश संख्या 18, 2013) प्रख्यापित किया, जिसे राजस्थान राजपत्र, भाग IV (बी) असाधारण, दिनांक 5 अगस्त, 2013 में प्रकाशित किया गया।

इस विधेयक का उद्देश्य उपर्युक्त अध्यादेश का स्थान लेना है।

इसलिए यह विधेयक लाया गया।

2. छोड़ा गया .

3. निरसन- (1) इस अधिनियम के लागू होने से निम्नलिखित निरसित माने जाएंगे, अर्थात्:-

(क) प्रथम अनुसूची के स्तंभ 2 में उल्लिखित अधिनियम, उसके स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट सीमा तक;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट अधिनियमों के अलावा कोई भी संगत कानून, जो किसी भी संविदाकारी राज्य में अब तक लागू है, जहां तक ऐसे कानून इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं या उनके साथ असंगत हैं, और

(ग) इस उपधारा के पूर्ववर्ती खंडों में निर्दिष्ट अधिनियमों या कानूनों को संशोधित करने वाली कोई भी विधि।

(2) किसी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, नियम, आदेश, संकल्प, अधिसूचना या उपविधियों में, जो इसके द्वारा या राजस्थान राजस्व विधि (विस्तार) अधिनियम, 1957 द्वारा निरसित नहीं की गई हैं, अथवा जागीर या जमींदारी या बिस्वेदरी अधिकारों के अनुदान को मान्यता देने वाले किसी आदेश या लिखत के निबंधनों या शर्तों में, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल या असंगत है, कोई बात प्रभावी नहीं होगी या उन उपबंधों को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेगी।

(3) राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, 1957 के प्रारंभ पर सिरोंज क्षेत्र को छोड़कर, पूर्व-मान्यता प्राप्त राजस्थान राज्य के किसी भाग में, आबू, अजमेर या सुनेल क्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रारंभ पर प्रचलित कृषि काश्तकारों से संबंधित कोई प्रथा या प्रथा, जो कानून का बल रखती हो, यदि ऐसी प्रथा या प्रथा इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल या असंगत है, तो ऐसी प्रतिकूलता या असंगति की सीमा तक प्रभावी नहीं रहेगी।

(4) कृषि काश्तकारों से संबंधित किसी करार के ऐसे उपबंध, जो ऐसे प्रारंभ पर विद्यमान और प्रवृत्त हों, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल या असंगत हों, इस अधिनियम में या राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, 1957 में अन्यत्र उपबंधित व्यावृत्तियों के

अधीन रहते हुए, शून्य हो जाएंगे और ऐसी प्रतिकूलता या असंगति की सीमा तक प्रवृत्त नहीं रहेंगे।

4. छोड़ा गया.

5. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(1) "कृषि वर्ष" से तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाले तथा अगले जून के तीसवें दिन समाप्त होने वाले वर्ष से है;

(2) "कृषि" में बागवानी, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, मुर्गीपालन और वानिकी विकास शामिल होंगे।

(3) "कृषक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं अथवा नौकरों अथवा काश्तकारों के माध्यम से पूर्णतः अथवा मुख्यतः कृषि द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करता है।

(4) "सहायक कलक्टर" से तात्पर्य राजस्थान प्रादेशिक संभाग अध्यादेश, 1949 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त सहायक कलक्टर से होगा;

(5) "बिस्वेदार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत होगा जिस पर राज्य के किसी भाग में कोई गांव या गांव का भाग बिस्वेदारी पद्धति पर बसा हो और जो अधिकारों के अभिलेख में बिस्वेदार या स्वामी के रूप में दर्ज हो तथा इसमें अजमेर क्षेत्र का खातेदार भी शामिल होगा;

(6) "बोर्ड" से राजस्थान राजस्व बोर्ड अध्यादेश, 1949 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित एवं गठित राज्य राजस्व बोर्ड अभिप्रेत होगा;

(6A) "छत क्षेत्र" [xxx]

(7) "कलक्टर" से तात्पर्य राजस्थान प्रादेशिक संभाग अध्यादेश, 1949 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त कलक्टर या अतिरिक्त कलक्टर से होगा;

(8) "आयुक्त" का तात्पर्य किसी संभाग के आयुक्त से होगा तथा इसमें अपर आयुक्त भी शामिल होगा।

(9) "फसलों" में झाड़ियाँ, पौधे और चढ़ने वाले पौधे जैसे गुलाब की झाड़ियाँ, पौधे, मेहंदी की झाड़ियाँ, केले और पपीता शामिल होंगे, लेकिन इसमें चारा और प्राकृतिक उपज शामिल नहीं होगी।

(10) "संपदा" का तात्पर्य जागीरदार द्वारा धारित जागीर भूमि या जागीर भूमि में हित से होगा और इसमें विश्वेदार, जमींदार या भूमि स्वामी द्वारा धारित भूमि या भूमि में हित सम्मिलित होगा।

(11) "संपत्ति धारक" का तात्पर्य किसी संपत्ति का तत्समय धारक, अर्थात् जागीरदार, बिस्वेदार या जमींदार या भूमि स्वामी से है।

(11-ए) "**विद्यमान जागीर कानून**" से जागीर भूमि या जागीरदारों से संबंधित कोई अधिनियम, अध्यादेश, विनियमन, नियम, आदेश, संकल्प, अधिसूचना या उप-कानून अभिप्रेत होगा जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर पूरे राज्य या उसके किसी भाग में लागू हो और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) ऐसी जागीर भूमि या जागीरदारों से संबंधित कोई प्रथा या प्रयोग जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रचलित हो और कानून का बल रखती हो, और

(ख) जागीर भूमि के अनुदान को मंजूरी देने या मान्यता देने वाले किसी आदेश या लिखत में निहित नियम और शर्तें;

(11-बी) "**खंड**" से तात्पर्य भूमि के उस टुकड़े से है जिसका क्षेत्रफल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल से कम है;

(12) "**अनुदान**" का अर्थ राज्य के किसी भी भाग में भूमि या भूमि में हिस्सेदारी रखने का अनुदान या अधिकार होगा और जिस व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्रदान किया जाता है उसे उसका 'अनुदान प्राप्तकर्ता' कहा जाएगा;

(13) "**अनुकूल किराया दर पर अनुदान**" से राज्य के किसी भाग में ऐसे किराए पर अनुदान अभिप्रेत होगा जो उसके किराए से कम है, जिसकी गणना स्वीकृत किराया दरों के अनुसार की गई है और जो अनुदान की शर्तों के अनुसार अध्याय IX के अधीन परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है; और ऐसे अनुदान के धारक को 'अनुकूल दर पर अनुदान प्राप्तकर्ता' कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत सुनेल क्षेत्र में रियायती धारक भी शामिल होगा;

(14) **हटाया गया.**

(15) "**उपवन भूमि**" का तात्पर्य राज्य के किसी भाग में भूमि के किसी विशिष्ट टुकड़े से है, जिस पर इतनी संख्या में वृक्ष लगे हुए हैं कि वे ऐसी भूमि या उसके किसी बड़े भाग को किसी अन्य कृषि प्रयोजन के लिए मुख्यतः उपयोग में आने से रोकते हैं, या पूरी तरह विकसित होने पर रोकेंगे, तथा इस प्रकार लगाए गए वृक्ष उपवन का गठन करेंगे।

(16) "**उच्च न्यायालय**" से राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत होगा;

(17) "**जोत**" का तात्पर्य भूमि के एक टुकड़े या टुकड़ों से है, जो एक पट्टे, अनुबंध के तहत या ऐसे पट्टे, अनुबंध या अनुदान के अभाव में एक काश्तकारी के तहत धारित है और इसमें इजारादार या ठेकादार के मामले में इजारा या ठेका क्षेत्र शामिल होगा;

परंतु, अध्याय 3-ख के प्रयोजनों के लिए, राज्य में कहीं भी किसी व्यक्ति द्वारा एक या एक से अधिक पट्टे, अनुबंध, अनुदान या काश्तकारी के अधीन धारित भूमि के सभी टुकड़े, चाहे वह उस पर व्यक्तिगत रूप से खेती करता हो या उसे पट्टे पर या उप-पट्टे पर देता हो, उसके खाते में माने जाएंगे और जहां ऐसी कोई भूमि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सह-काश्तकारों

या सह-हिस्सेदारों के रूप में धारण की जाती है, उनमें से प्रत्येक का हिस्सा उसका पृथक् खाते में माना जाएगा, चाहे उसका विभाजन वास्तव में हुआ हो या नहीं;

(18) **"इजरा या ठेका"** से तात्पर्य लगान वसूली के लिए दिया गया खेत या पट्टा होगा, वह क्षेत्र जिससे इजरा या ठेका संबंधित है, "इजरा या ठेका क्षेत्र" कहलाएगा और "इजारादार" या "ठेकादार" से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जिसे इजरा या ठेका दिया गया हो;

(19) **"सुधार"** का तात्पर्य, किरायेदार की जोत के संदर्भ में, निम्नलिखित से होगा-

(क) काश्तकार द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए जोत पर निर्मित आवासीय गृह या पशुशाला या भण्डारगृह या कृषि प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा अपनी जोत पर निर्मित या स्थापित कोई अन्य निर्माण;

(ख) कोई भी कार्य जो होल्लिंग के मूल्य में भौतिक रूप से वृद्धि करता है और जो उस उद्देश्य के अनुरूप है जिसके लिए इसे किराए पर दिया गया था; और उसके खंड के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, इसमें शामिल होगा

(1) कृषि प्रयोजनों के लिए जल के भंडारण, आपूर्ति या वितरण के लिए बांधों, टैंकों, कुओं, जल चैनलों का निर्माण और अन्य कार्य,

(2) बाढ़ या कटाव या पानी से होने वाली अन्य क्षति से भूमि की सुरक्षा के लिए जल निकासी हेतु कार्यों का निर्माण,

(3) भूमि को पुनः प्राप्त करना, साफ़ करना, घेरना, समतल करना या सीढ़ीनुमा बनाना,

(4) जोत के निकटवर्ती क्षेत्र में, ग्राम-स्थल के अतिरिक्त, जोत के सुविधाजनक या लाभदायक उपयोग या अधिभोग के लिए अपेक्षित भवन का निर्माण।

(5) पूर्वोक्त कार्यों में से किसी का नवीकरण या पुनर्निर्माण या उसमें ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन जो मात्र मरम्मत की प्रकृति के न हों;

किन्तु इसमें ऐसे अस्थायी कुएं, जल चैनल, बांध, बाड़े या अन्य कार्य शामिल नहीं होंगे जो काश्तकारों द्वारा खेती के सामान्य क्रम में बनाए जाते हैं।

(20) **हटाया गया.**

(21) **"जागीरदार"** से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो राज्य के किसी भाग में जागीर भूमि या उसमें कोई हित रखता हो तथा किसी विद्यमान जागीर कानून के अधीन जागीरदार के रूप में मान्यता प्राप्त हो तथा इसमें किसी जागीरदार से जागीर भूमि का अनुदान प्राप्तकर्ता भी शामिल होगा;

(22) "**जागीर भूमि**" का तात्पर्य राज्य के किसी भाग में स्थित भूमि से है जिसमें या जिसके संबंध में जागीरदार को भू-राजस्व या किसी अन्य प्रकार के राजस्व के संबंध में अधिकार प्राप्त हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) पुनर्गठन से पूर्व राजस्थान राज्य में सिरोंज क्षेत्र के अलावा अन्य किसी भी भू-स्वामित्व पर धारित भूमि, जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है,

(ख) भूमि, यदि कोई हो, जो बंबई विलीन राज्यक्षेत्र तथा क्षेत्र (जागीर उन्मूलन) अधिनियम, 1953 (1954 का बंबई अधिनियम 39) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छह) में परिभाषित अनुसार जागीर के रूप में आबू क्षेत्र में धारित है।

(ग) भूमि, यदि कोई हो, जो अजमेर मध्यस्थ उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1955 (अजमेर अधिनियम 1955) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (v) में परिभाषित संपदा के रूप में अजमेर क्षेत्र में धारित है, अर्थात् इस्तमारी संपदा के रूप में, या जागीर, भूमि, मुआफी या गुजारा के रूप में या किसी नाबालिग इस्तमारीदार या गैर-सनदी इस्तमारीदार द्वारा, और

(घ) मध्य भारत जागीर उन्मूलन अधिनियम, संवत् 2008 (मध्य भारत अधिनियम 28, 1951) की उपधारा (2) के खण्ड (सप्तम) में परिभाषित जागीर भूमि, यदि कोई हो, जो सुनेल क्षेत्र में धारित है;

(ई) भूमि स्वामी द्वारा धारित भूमि या भूमि में हित।

(23) "**खुदकाशत**" का तात्पर्य राज्य के किसी भी भाग में सम्पत्ति धारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती की जाने वाली भूमि से है और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) इस अधिनियम के प्रारंभ पर बंदोबस्त अभिलेखों में खुदकाशत, सर, हवाला, निजी-जोत, घरखेड के रूप में दर्ज भूमि, उस समय लागू कानून के अनुसार जब ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया था, और

(ii) राज्य के किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन खुदकाशत के रूप में प्रारंभ के पश्चात् आबंटित भूमि।

(24) "**भूमि**" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों के लिए या उसके अधीन प्रयोजनों के लिए या उपवन भूमि के रूप में या चारागाह के लिए पट्टे पर दी गई हो या धारित हो, जिसमें किसी जोत पर स्थित मकानों या बाड़ों द्वारा अधिगृहीत भूमि, या जल से आच्छादित भूमि शामिल है जिसका उपयोग सिंचाई या सिंचाड़ा या अन्य समान उपज उगाने के लिए किया जा सकता है, परंतु आबादी भूमि इसके अंतर्गत नहीं है; इसमें भूमि और भूमि से जुड़ी हुई वस्तुओं या भूमि से जुड़ी हुई किसी वस्तु से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले लाभ शामिल होंगे।

(25) "**व्यक्तिगत रूप से खेती की गई भूमि**" से उसके सभी व्याकरणिक रूपांतरों और सजातीय अभिव्यक्तियों सहित, स्वयं द्वारा खेती की गई भूमि अभिप्रेत होगी-

(i) अपने स्वयं के श्रम से, या

(ii) अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम से, या

(iii) स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन, भाड़े के श्रमिकों द्वारा या नकद या वस्तु के रूप में देय मजदूरी पर नौकरों द्वारा, किन्तु फसल में हिस्से के रूप में नहीं;

परंतु ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो विधवा या अवयस्क है या किसी शारीरिक या मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त है या भारत की सेना, नौसेना या वायु सेना का सदस्य है या जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र है और उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, ऐसी भूमि को ऐसे व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अभाव में भी व्यक्तिगत रूप से खेती योग्य माना जाएगा।

(25-ए) **भूमि स्वामी** - से राजस्थान में प्रसंविदाकारी राज्य का शासक अभिप्रेत होगा, जो राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की संपदा अर्जन अधिनियम, 1963 (राजस्थान अधिनियम 11, 1964) की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित सम्पदा धारण करता है, जो प्रसंविदा के अनुसरण में किए गए तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित उसके व्यक्तिगत या निजी सम्पत्तियों के बन्दोबस्त के अधीन तथा उसके अनुसार है।

(26) "**भूमि धारक**" का अर्थ होगा वह व्यक्ति (राज्य के किसी भी भाग में, चाहे किसी भी नाम से निर्दिष्ट) जिसे किराया देय है, या यदि कोई अनुबंध व्यक्त या निहित न होता तो किराया देय होता और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) संपत्ति-धारक,

(ii) अनुकूल किराये की दर पर अनुदान प्राप्तकर्ता,

(iii) उप-पट्टे के मामले में, मुख्य किरायेदार जिसने उप-पट्टा दिया है या उसका बंधकदार,

(iv) मंत्र IX' और X, तथा इजारदार या ठेकेदार के प्रयोजनों के लिए, और

(v) सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति जो उसके संबंध में वरिष्ठ धारक है; (v) उसके अधीन या उससे सीधे धारित धारित करने वाले व्यक्ति;

(26-ए) "**भूमिहीन व्यक्ति**" का तात्पर्य पेशे से कृषक से है जो व्यक्तिगत रूप से खेती करता है या जिससे उचित रूप से भूमि पर खेती करने की अपेक्षा की जा सकती है, किन्तु जो अपने नाम पर या अपने संयुक्त परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई भूमि नहीं रखता है, या उसका कोई टुकड़ा नहीं रखता है;

(26-एए) "**मालिक**" से ऐसा जमींदार या बिस्वेदर अभिप्रेत है, जो राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदरी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के अधीन अपनी संपदा राज्य सरकार में निहित हो जाने पर, उसकी धारा 29 के अधीन, उसके द्वारा खुदकाशत भूमि का मालिक बन जाता है;

(26-बी) "**भारत की सेना, नौसेना या वायु सेना का सदस्य**" या "**संघ के सशस्त्र बल का सदस्य**" में राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी का सदस्य शामिल होगा।

(27) "**कब्जे वाली भूमि**" से तात्पर्य उस भूमि से है जो फिलहाल किसी काशतकार को किराये पर दी गई है और उसके कब्जे में है और इसमें खुदकाशत भी शामिल है, तथा "**अधिभोग वाली भूमि**" से तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर कब्जा नहीं है;

(28) "**चारागाह भूमि**" से ऐसी भूमि अभिप्रेत होगी जो किसी गांव या गांवों के मवेशियों के चरने के लिए उपयोग की जाती है या इस अधिनियम के प्रारंभ पर बंदोबस्त अभिलेखों में उस रूप में दर्ज है या उसके बाद राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उस रूप में आरक्षित है;

(29) जब किराये के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो "**भुगतान**" में उसके सभी व्याकरणिक रूपांतरों और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ "वितरित करना" भी शामिल होगा;

(30) "**निर्धारित**" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से होगा;

(31) "**पंजीकृत**" का तात्पर्य भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम XVI) के अधीन पंजीकृत से होगा और इसमें इस अधिनियम की धारा 33 के उपबंधों के अधीन "सत्यापित" भी शामिल होगा;

(32) "**किराया**" से तात्पर्य नकद या वस्तु के रूप में या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में भूमि के उपयोग (कब्जे) के कारण या भूमि में किसी अधिकार के कारण देय किसी भी चीज से है और जब तक विपरीत आशय प्रकट न हो, इसमें अदाकर्ता भी शामिल होगा,

(33) **हटाया गया.**

(34) "**राजस्व**" का तात्पर्य भू-राजस्व से है, अर्थात् भूमि के संबंध में या उसमें किसी हित या उपयोग के संबंध में राज्य सरकार को किसी भी मद में सीधे देय वार्षिक मांग और इसमें निर्दिष्ट भू-राजस्व भी शामिल होगा;

(34-क) "**राजस्व अपील प्राधिकारी**" से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15, 1956) की धारा 20क के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत होगा;

(35) "**राजस्व न्यायालय**" से ऐसा न्यायालय या अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे कृषि काशतकारों, लाभों और भूमि या भूमि में किसी अधिकार या हित से संबंधित अन्य मामलों से संबंधितवादों या अन्य कार्यवाहियों पर विचार करने का अधिकार है, जिसमें ऐसे न्यायालय या अधिकारी से न्यायिक रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है; इसमें बोर्ड और उसका प्रत्येक सदस्य, राजस्व अपील प्राधिकारी, कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार या ऐसा कार्य करते समय कोई अन्य राजस्व अधिकारी शामिल होगा;

(36) "**राजस्व अधिकारी**" से तात्पर्य राजस्व और किराये के कारोबार में या राजस्व अभिलेखों के रखरखाव में नियोजित किसी अधिकारी से होगा;

(37) "**सायर**" में वह सब कुछ शामिल होगा जो पट्टेदार या लाइसेंसधारी द्वारा खाली भूमि से घास, छप्पर, लकड़ी, ईंधन, फल, लाख, गोंद, लोंग, पाला, पन्नी, जल-मेवे या इसी तरह की उपज या सतह पर बिखरी हुई हड्डियों या गोबर जैसे कचरे को इकट्ठा करने के अधिकार के लिए या वन अधिकारों के मत्स्य पालन या कृत्रिम स्रोतों से सिंचाई के प्रयोजनों के लिए पानी के उपयोग के लिए भुगतान किया जाना है;

(37-ए) "**अनुसूचित जाति**" का तात्पर्य संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 के भाग XIV में विनिर्दिष्ट किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा उन जातियों या जनजातियों के समूहों के सदस्यों से होगा।

(37-बी) "**अनुसूचित जनजाति**" से संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के भाग XII में विनिर्दिष्ट जनजातियों, जनजातीय समुदायों अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भाग या समूह अभिप्रेत हैं;

(38) "**बन्दोबस्त**" से तात्पर्य लगान या राजस्व या दोनों का बन्दोबस्त या पुनर्व्यवस्थापन होगा और इसमें राजस्थान भूमि संक्षिप्त बन्दोबस्त अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम XIX, 1953) के अन्तर्गत संक्षिप्त बन्दोबस्त शामिल होगा;

(39) "**राज्य**" से तात्पर्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 37, 1956) की धारा 10 द्वारा गठित राजस्थान राज्य से होगा;

(40) "**उपखण्ड अधिकारी**" से ऐसा सहायक कलेक्टर अभिप्रेत होगा जिसे राजस्थान प्रादेशिक खण्ड अध्यादेश, 1949 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन एक या अधिक उपखण्डों का प्रभारी नियुक्त किया गया हो; तथा अध्याय 3-ख के प्रयोजन के लिए, इसमें उस जिले के समस्त उपखण्डों के संबंध में सहायक कलेक्टर भी सम्मिलित है जहां वह तत्समय पदस्थापित है।

(41) "**उप-किराएदार**" का तात्पर्य राज्य के किसी भी भाग में किसी भी नाम से अभिहित किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो उसके काशतकार से भूमि रखता हो, जिसमें मलिक या भूमि स्वामी से काशतकार भी शामिल है और जिसके द्वारा किराया देय है या संविदा के अभाव में देय होता;

(42) "**तहसीलदार**" से तात्पर्य राजस्थान प्रादेशिक खण्ड अध्यादेश, 1949 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त तहसीलदार से होगा;

(43) "**किराएदार**" से वह व्यक्ति अभिप्रेत होगा जिसके द्वारा किराया देय है या यदि वह किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अधीन न होता तो देय होता और जब तक विपरीत आशय प्रकट न हो, इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) आबू क्षेत्र में, स्थायी किरायेदार या संरक्षित किरायेदार।

(ख) अजमेर क्षेत्र में, भूतपूर्व मालिकाना हकधारी या अधिभोगी मालिकाना हकधारी या वंशानुगत मालिकाना हकधारी या गैर अधिभोगी मालिकाना हकधारी या भूस्वामी या काश्तकार,

(ग) इस सुनेल क्षेत्र में भूतपूर्व मालिकाना हकधारी या पक्का मालिकाना हकधारी या साधारण मालिकाना हकधारी।

(घ) सह-किरायेदार,

(ई) एक ग्रोव धारक,

(च) ग्राम सेवक,

(च) किसी भू-स्वामी से प्राप्त काश्तकारी भूमि,

(छ) खुदकाश्त का किरायेदार,

(एच) किरायेदारी अधिकारों का बंधक, और

(i) उप-किरायेदार,

किन्तु इसमें अनुकूल किराया दर पर अनुदान पाने वाला व्यक्ति या इजारेदार या ठेकेदार या अतिचारी शामिल नहीं होगा;

(44) "**अतिक्रमणकर्ता**" का अर्थ ऐसा व्यक्ति होगा जो बिना प्राधिकार के कब्जा लेता है या रखता है या जो किसी अन्य व्यक्ति को उसे विधिवत् पट्टे पर दी गई भूमि पर कब्जा करने से रोकता है;

(45) "**ग्राम सेवा अनुदान**" का तात्पर्य राज्य के किसी भी भाग में किसी भी नाम से निर्दिष्ट अनुदान से होगा और यह अनुदान या तो लगान-मुक्त होगा या किराये की अनुकूल दर पर होगा या अन्य शर्तों पर ग्राम समुदाय या ग्राम प्रशासन में की जाने वाली किसी विशिष्ट सेवा के बदले में या उसके पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा और ऐसे अनुदान का धारक "ग्राम सेवक" कहलाएगा।

(46) "**जमींदार**" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत होगा जिस पर राज्य के किसी भाग में कोई गांव या गांव का कोई भाग जमींदारी प्रथा पर बसा हो और जो अधिकारों के अभिलेख में इस रूप में दर्ज हो और इसमें सुनेल क्षेत्र में मध्य भारत जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, संवत् 2001 (मध्य भारत अधिनियम 13, 1951) की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित स्वामी, यदि कोई हो, शामिल होगा;

(47) "**नलबट**" का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं के स्वामी को सिंचाई के लिए उस कुएं का उपयोग करने के लिए नकद या वस्तु के रूप में किया गया भुगतान होगा।

6. **अधिकारों आदि के धारकों में उनके पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी शामिल हैं -** भूमि में किसी अधिकार, शीर्षक या हित के कब्जे में रहने वाले व्यक्ति को निरूपित करने के लिए इस अधिनियम में प्रयुक्त सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ऐसे व्यक्ति के अधिकारों, शीर्षक या हित में पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी शामिल माने जाएंगे।
7. **राज्य सरकार पर अधिनियम की प्रयोज्यता** - राज्य सरकार से सीधे काश्तकारों द्वारा धारित भूमि के संबंध में, इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न किया गया हो; मानो राज्य सरकार तहसीलदार के माध्यम से कार्य करने वाली भूमि धारक हो।
8. **एजेंट के माध्यम से कार्य करने की शक्ति** - (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, (1908 का केंद्रीय अधिनियम V) द्वारा अन्यथा प्रदान की गई को छोड़कर, उस संहिता द्वारा शासित कार्यवाहियों के मामले में, इस अधिनियम द्वारा किसी भूमिधारक या किरायेदार द्वारा किए जाने के लिए आवश्यक या अनुमत कुछ भी उसके एजेंट द्वारा निर्धारित तरीके से विधिवत अधिकृत किया जा सकता है और विपरीत इरादे के सबूत के अभाव में, ऐसा एजेंट, भूमिधारक और किरायेदार के बीच सभी व्यवहारों में, अपने प्रमुख के अधिकार के तहत कार्य करता हुआ समझा जाएगा।

(2) ऐसे अभिकर्ता पर तामील किए गए आदेश और उसे दी गई सूचनाएं सभी प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार प्रभावी होंगी मानो वे, यथास्थिति, भूमिधारक या अभिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तामील की गई हों या दी गई हों और किसी पक्षकार को आदेश तामील करने या उसे सूचनाएं देने से संबंधित इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे अभिकर्ता को आदेश तामील करने या उसे सूचनाएं देने को लागू होंगे।

अध्याय 2

खुदकाशत

9. **खुदकाशत अधिकार**- 'खुदकाशत अधिकार' से तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा तथा सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा खुदकाशत धारकों को प्रदत्त अधिकारों से है।

10. उत्तराधिकार और हस्तांतरण - (1) खुदकाशत का अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो सम्पत्ति धारक की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनता है।

(2) खुदकाशत का अधिकार विनिमय या खुदकाशत के विभाजन या भरण-पोषण के प्रयोजन के लिए उपहार के अलावा हस्तांतरणीय नहीं है:

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात राजस्थान राजस्व विधि (विस्तार) अधिनियम, 1957 के प्रारम्भ से पूर्व आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्रों में विधिपूर्वक किये गये खुदकाशत अधिकार के अन्तरण पर इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात रीति से भिन्न रूप में प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) विनिमय पर प्रत्येक पक्षकार को विनिमय में प्राप्त भूमि पर वही अधिकार होगा जो उसे विनिमय में दी गई भूमि पर था।

11. खुदकाशत को किराये पर देने पर प्रतिबंध - धारा 45 और 46 में दिए गए प्रावधान के अलावा कोई खुदकाशत किराये पर नहीं दी जाएगी।

12. खुदकाशत अधिकार का विलोपन - (I) भूमि खुदकाशत नहीं रहेगी -

(i) धारक के उत्तराधिकारी की विफलता पर, या

(ii) धारा 10 की उपधारा (2) के उल्लंघन में उसके स्थानांतरण पर, या

(iii) जब इसे धारा 11 के उल्लंघन में किराए पर दिया गया हो, या

(iv) जब इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत या किसी अन्य कानून के तहत खातेदारी अधिकार खुदकाशतधारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, या

(v) खुदकाशत धारक के धारा 13 के अधीन खातेदार काशतकार बन जाने पर।

(2) जहां भूमि धारा 13 की उपधारा (2) के उल्लंघन में हस्तांतरित की जाती है, वहां हस्तांतरिती उसका खातेदार काशतकार बन जाएगा।

13. पुनर्ग्रहण या उन्मूलन पर खातेदारी अधिकार - सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी संपदा के पुनर्ग्रहण या उन्मूलन पर, खुदकाशत रखने वाला संपदा-धारक उसका खातेदार काशतकार बन जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन खातेदार काशतकार को प्रदत्त सभी अधिकारों का हकदार होगा तथा उस पर अधिरोपित सभी दायित्व होंगे;

बशर्ते कि राज जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के अधीन इस संपदा के उन्मूलन पर खुदकाशत भूमि पर कब्जा करने वाला जमींदार या बिस्वेदार ऐसी खुदकाशत भूमि का मलिक बन जाएगा और उसे प्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त होंगे तथा वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन खातेदार काशतकार पर अधिरोपित सभी दायित्वों के अधीन होगा।

अध्याय 3

किरायेदारों की श्रेणियाँ

14. **किरायेदारों के वर्ग** - इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किरायेदारों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात:

(ए) खातेदार किरायेदार, (एए) मलिक, और

(ख) खुदकाशत के किरायेदार, और

(ग) गैर खातेदार काशतकार।

15. **खातेदार काशतकार** - (1) धारा 16 के उपबंधों तथा धारा 180 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर उप-काशतकार या खुदकाशत काशतकार के अलावा अन्य रूप में भूमि का काशतकार है या जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् उप-काशतकार या खुदकाशत काशतकार के अलावा अन्य रूप में काशतकार के रूप में स्वीकार किया गया है या जिसे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15, 1956) की धारा 101 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन और उनके अनुसार भूमि का आबंटी माना गया है या जो इस अधिनियम या राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 (राजस्थान अधिनियम VI, 1952) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार खातेदारी अधिकार अर्जित करता है, वह खातेदार काशतकार होगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रदत्त सभी अधिकारों का हकदार होगा; और इस अधिनियम द्वारा खातेदार काशतकारों पर लगाए गए सभी दायित्वों के अधीन होंगे:

परन्तु इस धारा के अधीन किसी ऐसे काशतकार को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जिसे गंग नहर, भाखड़ा, चम्बल या जवाई परियोजना क्षेत्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी अन्य क्षेत्र में भूमि अस्थायी रूप से पट्टे पर दी गई है या दी गई है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, खातेदारी अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोद्भूत नहीं होंगे, जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अधिक अन्न पैदा करो अभियान को आगे बढ़ाने के लिए या किसी विशेष आदेश के अधीन, कुछ विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन या कुछ वैधानिक या गैर-वैधानिक नियमों के अनुसरण में भूमि पट्टे पर दी गई थी और जिसने ऐसे प्रारम्भ से पूर्व ऐसे अभियान के उद्देश्य को प्राप्त करने में चूक की हो या किसी ऐसे आदेश, शर्त या नियम का उल्लंघन किया हो।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर और पच्चीस नये पैसे की न्यायालय फीस का भुगतान करके अधिकारिता रखने वाले सहायक कलक्टर को आवेदन कर सकेगा तथा यह घोषणा करने की प्रार्थना कर सकेगा कि

उसने अपने द्वारा धारित भूमि पर उपधारा (1) के अधीन खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिया है।

(4) ऐसा आवेदन निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किया जा सकेगा, अर्थात:

(क) उसके द्वारा धारित भूमि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् उसे पट्टे पर दी गई थी।

(ख) यह कि उसे उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति में किराये पर नहीं दिया गया था।

(ग) जब भूमि उसे इस प्रकार किराए पर दी गई थी तो उसे ऐसी परिस्थितियों की जानकारी नहीं दी गई थी।

(घ) उसने ऐसे प्रारम्भ से पूर्व उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई व्यतिक्रम या उल्लंघन नहीं किया है।

(5) सहायक कलेक्टर उपधारा (3) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर विहित रीति से जांच करेगा तथा आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा और यदि वह आवेदन को अस्वीकृत नहीं करता है तो वह आवेदक को उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार तथा उनके अधीन रहते हुए उसकी जोत का खातेदार काश्तकार घोषित कर देगा।

15ए. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में खातेदारी अधिकारों का प्रोद्भूत न होना - (1) इस अधिनियम की धारा 13 या धारा 15 की उपधारा (1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी पट्टे, पट्टा या अन्य दस्तावेज में किसी बात के होते हुए भी, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में किसी भी शर्त पर पट्टे पर दी गई भूमि इस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा के परन्तुक के अर्थ में अस्थायी रूप से पट्टे पर दी गई समझी जाएगी और पूर्वोक्त रूप से पट्टे पर दी गई किसी भी भूमि में कोई खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे या कभी प्रोद्भूत हुए समझे जाएंगे।

परन्तु उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित या लागू नहीं होगी, जिसे राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्त, 1955 या किसी अन्य शर्तों या सरकारी भूमि के आवंटन और विक्रय के नियमों के उपबंधों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत होते हैं, जो राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम 27, 1954) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं या राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 (राजस्थान अधिनियम 6, 1952) के अन्तर्गत राजस्थान नहर क्षेत्र में खुदकाश्त के लिए भूमि आवंटन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत होते हैं।

(2) कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उसके पास उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भूमि पर खातेदारी अधिकार है तथा वह उसका उपभोग कर रहा है, क्योंकि ऐसी भूमि इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व उसे स्थायी रूप से पट्टे पर दी गई थी, तो वह ऐसे प्रारंभ की तारीख से चार वर्ष के भीतर तथा पच्चीस नये पैसे की न्यायालय फीस का भुगतान करके अधिकारिता रखने

वाले सहायक कलक्टर को इस आशय की घोषणा के लिए प्रार्थना करते हुए आवेदन कर सकेगा तथा धारा 15 की उपधारा (5) के उपबंध ऐसे आवेदन पर लागू होंगे।

15ए. चम्बल परियोजना क्षेत्र में कुछ मामलों में खातेदारी अधिकारों का न प्राप्त होना.- (1) किसी पट्टे, मूल्यांकन पर्चा, पट्टा या अन्य दस्तावेज में किसी बात के होते हुए भी चम्बल सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि रखने वाले व्यक्ति को कभी भी कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं माना जाएगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित या लागू नहीं होगी, जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व पूर्ववर्ती कोटा राज्य या पूर्ववर्ती बूंदी राज्य की काश्तकारी विधियों के अधीन उत्तराधिकार और संक्रमणीय अधिकार प्राप्त थे या जिसे इस अधिनियम की धारा 13 या धारा 19 के अधीन या राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना (सरकारी भूमि आवंटन और विक्रय) नियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार या राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 (राजस्थान अधिनियम 6, 1952) या राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदरी उन्मूलन अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम 8, 1959) के अधीन या उसके अनुसरण में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हों।

15एए. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में खातेदारी अधिकारों का प्रोद्भवन --(1) धारा 15-ए में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर--

(क) खुदकाश्त धारक या अधिभोगी काश्तकार या मौरूसीदार या खातेदार काश्तकार या संक्रमणीय और वंशानुगत अधिकारों वाला काश्तकार था और उस समय के वार्षिक रजिस्ट्रों में उस रूप में दर्ज था, या

(ख) ऐसा अभिलिखित नहीं था, किन्तु खुदकाश्त धारक या अधिभोगी काश्तकार या मौरूसीदार या खातेदार काश्तकार या संक्रमणीय और वंशानुगत अधिकारों वाला काश्तकार था,

इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से, इस अधिनियम के अधीन खातेदार काश्तकार के सभी अधिकारों का हकदार होगा और सभी दायित्वों के अधीन होगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो यह दावा करता है कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित अधिकार उसे प्राप्त हुए हैं, वह राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1979 के प्रारम्भ के एक वर्ष के भीतर और पचास पैसे की न्यायालय फीस का भुगतान करके अधिकारिता रखने वाले सहायक कलक्टर को या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी अन्य प्राधिकारी को यह घोषणा कराने के लिए आवेदन करेगा कि उसने अपने द्वारा धारित भूमि में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिए हैं और ऐसे आवेदन पर उपधारा (5) की धारा 15 के उपबन्ध लागू होंगे।

(2-क) धारा 15-क में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में उप-किराएदार या खुदकाश्त के काश्तकार के अलावा खुदकाश्त का धारक या भूमि का

काश्तकार था, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ पर उस रूप में दर्ज हो या बाद में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम सं. 15, 1956) की धारा 106 और 107 के अधीन किए गए सर्वेक्षण या पुनः सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाओं के दौरान तैयार किए गए अधिकारों के अभिलेख में दर्ज हो, वह इस अधिनियम के अधीन खातेदार काश्तकार के सभी अधिकारों का हकदार होगा और सभी दायित्वों के अधीन होगा, जो उसके पास धारित संपूर्ण भूमि या उसके ऐसे भाग के संबंध में है जो उस भूमि के अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक नहीं है जिसे वह राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (राजस्थान अधिनियम सं. 11, 1973) के उपबंधों के अनुसार धारण करने का हकदार है।

(3) धारा 15-क की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर,-

(क) भूमि का काश्तकार था या उप-काश्तकार या खुदकाश्तकार के अलावा किसी अन्य रूप में था और उस समय के वार्षिक रजिस्ट्रों में उस रूप में दर्ज था, या

(ख) ऐसा अभिलिखित नहीं था, किन्तु उप-किराएदार या खुदकाश्त के काश्तकार के अलावा अन्य रूप में भूमि का काश्तकार था,

और राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारंभ की तारीख तक ऐसे काश्तकार के रूप में भूमि पर निरंतर कब्जे में था, तो उसे, अधिकारिता रखने वाले सहायक कलक्टर या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को, राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारंभ की तारीख से 1426 दिन के भीतर अर्थात् 30 जून 1987 तक, ऐसे प्ररूप और तरीके से, जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन किए जाने पर, उसकी काश्तकारी में भूमि के संबंध में, उस क्षेत्र की सीमा तक, जो राजस्थान कृषि जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (राजस्थान अधिनियम 11, 1973) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा धारित की जा सकती है, खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाएंगे, बशर्ते कि वह राज्य सरकार को उसके द्वारा धारित भूमि के लिए, जो 25 बीघा सिंचित या 50 बीघा असिंचित भूमि से अधिक है और उक्त सीमा तक, धारा 7 के साथ पठित धारा 12 के अंतर्गत निर्धारित दर से आरक्षित मूल्य का भुगतान करे। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम 27, 1954) की धारा 28 के अधीन तथा राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ की तिथि को प्रवृत्त।

परन्तु राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, अधिसूचना द्वारा, 30 जून, 1987 से आगे, छह मास से अधिक नहीं, एक दिन तक, जैसा उचित समझे, अवधि बढ़ा सकेगी।

स्पष्टीकरण I - इस उपधारा के अधीन खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, 'काश्तकार' पद में उसका हित-उत्तराधिकारी सम्मिलित होगा, किन्तु उसका अन्तरिती सम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2 - जहां राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारंभ की तारीख को किसी जोत में दो या अधिक सह-काश्तकार हों, वहां ऐसे समस्त सह-काश्तकार, उस भूमि क्षेत्र के संबंध में, जिसके लिए कोई आरक्षित मूल्य प्रभारित नहीं किया जाना है, खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, जोत के उस क्षेत्र में एकमात्र काश्तकार समझे जाएंगे।

(4) राज्य सरकार द्वारा बनाए जा सकने वाले नियमों के अधीन रहते हुए, उप-धारा (3) के अधीन देय आरक्षित मूल्य का भुगतान किरायेदार द्वारा सोलह बराबर किस्तों में किया जा सकेगा, जिनमें से पहली किस्त उक्त उप-धारा के अधीन आवेदन के साथ दी जाएगी और शेष किस्तें, उसके बाद, प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को तब तक देय होंगी जब तक कि आरक्षित मूल्य की पूरी रकम का भुगतान नहीं कर दिया जाता:

परन्तु जहां राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार इंदिरा गांधी नहर से ऐसी भूमि पर, जिसमें उपधारा (3) के अधीन खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं, सिंचाई के लिए जल छोड़ा जाता है, वहां 500 रुपये की प्रथम किस्त उक्त उपधारा के अधीन आवेदन के साथ दी जाएगी और शेष राशि ऐसी भूमि पर सिंचाई के लिए जल छोड़े जाने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को सोलह बराबर किस्तों में देय होगी:

बशर्ते कि इस उपधारा में कोई बात किरायेदार को इस उपधारा में दिए गए समय से पहले पूरी या आंशिक आरक्षित कीमत का भुगतान करने से नहीं रोकेगी।

(5) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई किरायेदार उस उपधारा के अधीन आवेदन करने के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर राज्य सरकार को सम्पूर्ण आरक्षित मूल्य एकमुश्त दे देता है, वहां उसके द्वारा देय आरक्षित मूल्य की रकम उसमें उपबंधित रकम से 25% कम समझी जाएगी।

(6) जो काश्तकार उपधारा (4) या उपधारा (5) के अनुसार आरक्षित मूल्य का भुगतान करने में असफल रहता है, वह उपधारा (3) के अधीन खातेदारी अधिकार के अनुदान का हकदार नहीं होगा;

(7) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किन्तु उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों से भिन्न, राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व उनके द्वारा धारित भूमि में खातेदारी अधिकारों के प्रोद्भव या अनुदान की घोषणा के लिए किए गए तथा ऐसी तारीख को सहायक कलक्टर के समक्ष या राज्य सरकार द्वारा उपधारा (2) के अन्तर्गत विहित किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लम्बित सभी आवेदनों को खातेदारी अधिकारों के अनुदान के लिए आवेदन माना जाएगा तथा उन्हें उपधारा (3) के अन्तर्गत किया गया समझा जाएगा तथा उनका विनिश्चय उस उपधारा में वर्णित अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उपधारा (3) और उपधारा (8) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

(8) जहां कोई व्यक्ति अपने आप को उपधारा (3) में निर्दिष्ट भूमि का काश्तकार होने का दावा करता है, किन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ पर चालू वार्षिक रजिस्ट्रों में उसका ऐसा अभिलेख नहीं था, वहां यह प्रश्न कि वह ऐसा काश्तकार था या नहीं, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा, जिसमें ग्राम सभा की सर्वसम्मत राय भी सम्मिलित है, जिसमें उस गांव में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति शामिल होंगे जहां भूमि स्थित है, जिसे सहायक कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जो उक्त उपधारा के अधीन खातेदारी अधिकार प्रदान करने में सक्षम हो, लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

15बी. आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्रों में खातेदार काश्तकार - धारा 15 की उपधारा (1) के परन्तुक और उपधारा (2) से (5) तथा धारा 15-क में निहित उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा आगे धारा 16 के उपबंधों और धारा 180 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति, जो राजस्थान राजस्व कानून (विस्तार) अधिनियम, 1957 के प्रारंभ पर आबू, अजमेर या सुनेल क्षेत्र में उप-काश्तकार या खुदकाश्तकार के अलावा किसी अन्य रूप में भूमि का काश्तकार है, खातेदार काश्तकार होगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा खातेदार काश्तकारों को प्रदत्त सभी अधिकारों का हकदार होगा और उन पर अधिरोपित सभी दायित्वों के अधीन होगा:

परन्तु यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने, ऐसे प्रारम्भ से पूर्व, उसे विधिपूर्वक प्रदत्त किसी अधिकार के अनुसरण में, प्रदत्त अधिकारों से अधिक कोई स्थिति या सम्पत्ति अर्जित की हो, या इस अधिनियम द्वारा खातेदार काश्तकार पर अधिरोपित दायित्व से अधिक कोई दायित्व विधि के अनुसार वहन किया हो, तो वह, इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस प्रकार अर्जित स्थिति या सम्पत्ति को धारण करता रहेगा और उसका उपभोग करता रहेगा या इस प्रकार उपगत दायित्व के अधीन रहेगा।

16. वह भूमि जिसमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे - इस अधिनियम या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उस भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

(i) चारागाह भूमि;

(ii) नदी या तालाब के तल में आकस्मिक या सामयिक खेती के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि;

(iii) जल से आच्छादित भूमि, जिसका उपयोग सिंघाड़ा या अन्य समान उपज उगाने के लिए किया जाता है;

(iv) स्थानान्तरित या अस्थिर खेती वाली भूमि;

(v) राज्य सरकारों के स्वामित्व और रखरखाव वाले उद्यानों में सम्मिलित भूमि;

(vi) सार्वजनिक प्रयोजन या सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य के लिए अर्जित या धारित भूमि;

(vii) वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किसी भी समय सैन्य पड़ाव स्थल के लिए अलग रखी गई है;

(viii) छावनी की सीमा के भीतर स्थित भूमि;

(ix) रेलवे या नहर की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली भूमि;

(x) किसी सरकारी वन की सीमा के भीतर की भूमि;

(xi) नगरपालिका ट्रेनिंग ग्राउंड;

(xii) कृषि में शिक्षा देने या खेल के मैदान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा धारित या अर्जित भूमि; और

(xiii) किसी सरकारी कृषि या घास फार्म की सीमाओं के भीतर की भूमि;

(xiv) वह भूमि जो अलग रखी गई हो या कलेक्टर की राय में किसी गांव या आसपास के गांवों के लिए पेयजल हेतु किसी जलाशय या टांका में जल प्रवाह के लिए आवश्यक हो:

परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि कोई भूमि, जो परिवर्तनशील या अस्थिर खेती के अधीन है, ऐसी खेती के लिए भूमि नहीं रह जाएगी और तदुपरि ऐसी भूमि खातेदारी अधिकारों के अनुदान के लिए उपलब्ध होगी और राज्य सरकार, वैसी ही अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि कोई भूमि, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर परिवर्तनशील या अस्थिर खेती के अधीन नहीं थी, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् किसी भी समय, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसी खेती के अधीन होगी और तदुपरि ऐसी भूमि ऐसी खेती के लिए उपलब्ध होगी।

16ए. खुदकाशत के किरायेदार - प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद किसी भी समय, राज्य के किसी भी भाग में किसी संपदा धारक द्वारा खुदकाशत वैध रूप से किराये पर दी गई है या दी जाती है, ऐसी खुदकाशत का किरायेदार होगा:

परन्तु, सम्पदा धारक के धारा 13 के अधीन अपनी खुदकाशत भूमि का खातेदार काशतकार बन जाने पर, काशतकार (4) ऐसी खुदकाशत भूमि के अधीन तथा उससे उप-काशतकार बन जाएगा।

17. गैर खातेदारी काशतकार- राज्य के किसी भी भाग में खातेदार काशतकार, खुदकाशत काशतकार या उप-काशतकार के अलावा भूमि का प्रत्येक काशतकार गैर खातेदार काशतकार होगा।

17ए. मालिक - प्रत्येक जमींदार या बिस्वेदर जिसकी सम्पत्ति राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदरी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो, ऐसी निहितता की तारीख को उसके कब्जे में किसी खुदकाशत भूमि के संबंध में उस अधिनियम की धारा 29 के अर्थान्तर्गत मालिक होगा।

18. छोड़ा गया .

अध्याय IIIA

मुआवजे के भुगतान पर कुछ उप-किरायेदारों और खुदकाशत के काशतकारों को अधिकार प्रदान करना

19. खुदकाशत के कुछ काशतकारों और उप काशतकारों को अधिकारों का प्रदान किया जाना --(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर--

(क) उस समय के वार्षिक रजिस्ट्रों में खुदकाशत के किरायेदार या ग़ोव भूमि के अलावा अन्य भूमि के उप-किरायेदार के रूप में दर्ज किया गया था, या

(ख) ऐसा दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन खुदकाशत का किरायेदार था या ग़ोव भूमि के अलावा अन्य भूमि का उप-किरायेदार था।

राजस्थान काशतकारी (संशोधन) अधिनियम, 1959 के प्रारंभ की तारीख से, जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् नियत तारीख कहा गया है, इस अध्याय में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा धारित भूमि के ऐसे भाग का खातेदार काशतकार होगा, जो धारा 130 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम क्षेत्र से अधिक नहीं है या उस अधिकतम क्षेत्र से अधिक नहीं है, जिससे ऐसा व्यक्ति उक्त धारा की उपधारा के खण्ड (घ) के अधीन बेदखल किया जा सकता है और उक्त भूमि के उस भाग में सुधार के अधिकार भी ऐसे व्यक्ति को प्रोद्भूत होंगे:

बशर्ते कि खातेदारी अधिकार या सुधार में अधिकार इस प्रकार प्रोद्भूत नहीं होंगे-

(i) यदि उक्त भूमि का ऐसा भाग धारा 46 में प्रगणित किसी व्यक्ति से धारित है, या

(ii) यदि ऐसे अधिकार धारा 15 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन या धारा 15-क के अधीन या धारा 15-ख के अधीन या धारा 16 के अधीन प्रोद्भूत नहीं होते हैं, या

(iii) यदि ऐसा व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् और नियत तारीख के पूर्व, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विधिपूर्वक परित्याग के समर्पण के कारण या किसी सक्षम राजस्व न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन उन उपबंधों के अनुसार बेदखल कर दिए जाने के कारण खुदकाशत का ऐसा किरायेदार या उप-किरायेदार नहीं रह गया है।

(1-क) उपधारा (1) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट अपवादों के अधीन रहते हुए, उस उपधारा में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, राजस्थान काशतकारी (संशोधन) अधिनियम, 1961 के प्रारम्भ की तारीख से, जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् 'नियत दिन' कहा गया है, इस अध्याय में अन्तर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा धारित भूमि के उस भाग का खातेदार काशतकार हो जाएगा, जिसमें उसने उपधारा (1) के अधीन खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं किए हैं, नियत दिन से पूर्व, धारा 180 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड

(घ) के अधीन उसकी बेदखली के लिए कोई कार्यवाही धारा 182-क द्वारा विहित समय-सीमा के भीतर प्रारम्भ नहीं की गई होगी या यदि उस दिन पहले प्रारम्भ की गई ऐसी कोई कार्यवाही लम्बित नहीं रही होगी।

(1-एए)- प्रत्येक व्यक्ति जो 31 दिसम्बर, 1969 को चालू वार्षिक रजिस्ट्रों में खुदकाशत का काशतकार या उप-काशतकार के रूप में प्रविष्ट था या इस प्रकार प्रविष्ट नहीं था किन्तु खुदकाशत का काशतकार या उपवन भूमि के अलावा अन्य भूमि का उप-काशतकार था, उपधारा (1) के परन्तुकों में अन्तर्विष्ट अपवादों के अधीन रहते हुए, राजस्थान काशतकारी (संशोधन) अधिनियम, 1979 के प्रारम्भ की तारीख से, जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् उक्त तारीख कहा गया है, इस अध्याय में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा धारित भूमि के उस भाग का खातेदार काशतकार हो जाएगा जिसमें उसने उपधारा (1) या उपधारा (1-क) के अधीन खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं किए हैं, यदि उक्त तारीख से पूर्व धारा 180 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन उसकी बेदखली के लिए कोई कार्यवाही धारा 182-क द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रारम्भ नहीं की गई है या यदि उस तारीख को कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है, तो वह ... पहले बताई गई ऐसी कार्यवाहियां लंबित हो सकती हैं:

परन्तु इस उपधारा के अधीन ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे जो कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा लगाने से संबंधित किसी विधि के अधीन अधिशेष घोषित की जा चुकी है या अधिशेष घोषित की जाने योग्य है:

आगे यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की भूमि पर इस उपधारा के अधीन कोई खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगा, किन्तु यदि उप-किराएदार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो ऐसा नहीं होगा:

बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत खातेदारी अधिकारों का अर्जन राजस्थान कृषि जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (राजस्थान अधिनियम 11, 1973) की धारा 17 के उपबन्धों के अधीन होगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक खुदकाशत का काशतकार या उप-काशतकार यह दावा करते हुए कि उपधारा में वर्णित अधिकार नियत तारीख को उसकी पूरी जोत या उसके किसी भाग में उसे प्रोद्भूत हुए हैं, उस तारीख से दो वर्ष के भीतर और पचास नये पैसे की न्यायालय फीस का भुगतान करके अधिकारिता रखने वाले सहायक कलेक्टर के पास यह घोषणा करने के लिए आवेदन करेगा कि ऐसे अधिकार उसे पूर्वोक्त रूप में प्रोद्भूत हुए हैं और धारा 15 की उपधारा (5) के उपबन्ध ऐसे आवेदन पर लागू होंगे और ऐसा खुदकाशत का काशतकार या उप-काशतकार, यथास्थिति, अपनी जोत या भाग का खातेदार काशतकार नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसने इस प्रकार प्रार्थना की गई घोषणा प्राप्त नहीं कर ली हो।

(2-ए) (i) प्रत्येक खुदकाशतकार या उप-किराएदार जो यह दावा करता है कि उपधारा (1-एए) में वर्णित अधिकार उसके पूरे जोत या उसके किसी भाग में उक्त तारीख को उसे

प्रोद्भूत हुए हैं, वह तारीख से एक वर्ष के भीतर और पचास पैसे की न्यायालय फीस का भुगतान करके अधिकारिता रखने वाले सहायक कलेक्टर को आवेदन करेगा और यह घोषणा करने की प्रार्थना करेगा कि ऐसा अधिकार उसे पूर्वोक्त रूप में प्रोद्भूत हुआ है और धारा 15 की उपधारा (5) के प्रावधान ऐसे आवेदन पर लागू होंगे।

(ii) जहां खंड (i) में निर्दिष्ट कोई आवेदन खुदकाशत के काशतकार या उप-काशतकार द्वारा नहीं किया गया है, जिसे उप-धारा (1-एए) के तहत खातेदार काशतकार के अधिकार प्रोद्भूत हुए हैं, अधिकारिता रखने वाला सहायक कलेक्टर उक्त तारीख से एक वर्ष के भीतर स्वप्रेरणा से या अन्यथा और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत जांच के लिए निर्धारित तरीके से जांच करने के बाद और पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि उप-धारा (1-एए) के तहत खुदकाशत के ऐसे काशतकार या उप-काशतकार को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुए हैं, उस प्रभाव की घोषणा जारी कर सकता है।

(ii-क) जहां खुदकाशत के किरायेदार या उप-किरायेदार के मामले में खंड (i) या खंड (ii) के तहत कोई घोषणा प्राप्त या जारी नहीं की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि उप-धारा (1-एए) में वर्णित अधिकार उसे जोत पर प्रोद्भूत हुए हैं, किरायेदार या उप-किरायेदार, जैसा भी हो, उन खंडों में अधिकथित समय की समाप्ति के बावजूद, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और पचास पैसे की न्यायालय फीस का भुगतान करने पर, अधिकार क्षेत्र वाले सहायक कलेक्टर को एक घोषणा के लिए आवेदन कर सकता है कि ऐसे अधिकार उसे पूर्वोक्त रूप से प्रोद्भूत हुए हैं, और धारा 15 की उप-धारा (5) के प्रावधान ऐसे आवेदन पर लागू होंगे; और

(iii) जहां खंड (i) या खंड (ii) या खंड (ii-क) के अधीन कोई घोषणा प्राप्त या जारी नहीं की गई है, वहां खुदकाशत का ऐसा काशतकार या उप-काशतकार, जैसा भी मामला हो, अपनी जोत या उसके किसी भाग का खातेदार काशतकार नहीं माना जाएगा।

(iv) जहां और जिस सीमा तक पूर्वोक्त घोषणा खुदकाशत के काशतकार या उपधारा (1-एए) में निर्दिष्ट उप-काशतकार के पक्ष में की जाती है, वहां अधिकारिता रखने वाला सहायक कलेक्टर, प्रतिपूर्ति के रूप में किसी लाभ के हकदार किसी व्यक्ति के आवेदन पर, ऐसी प्रतिपूर्ति कराएगा जिससे वह व्यक्ति उस स्थिति में आ जाएगा जिसका वह उसके पक्ष में पूर्वोक्त घोषणा किए जाने के परिणामस्वरूप हकदार होता, सिवाय उस अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति कब्जे से बाहर रहा हो, किसी भी प्रकार के मध्यावधि लाभ या किसी भी रूप में प्रतिकर के किसी दावे को छोड़कर; और इस प्रयोजन के लिए सहायक कलेक्टर ऐसे आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत और उचित हों और मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों।

(3) उस भूमि के संबंध में जिसमें उपधारा (1) या उपधारा (आइए) या उपधारा (1-एए) के अधीन उसे अधिकार प्राप्त होते हैं -

(क) खुदकाशत का प्रत्येक किरायेदार, उस संपदा-धारक के संबंध में जिसने खुदकाशत को किराये पर दिया था,

(बी) और प्रत्येक उप-किरायेदार, के संबंध में

(i) राज्य सरकार, यदि उसके मुख्य काशतकार के पास राज्य सरकार से उप-पट्टे पर ली गई भूमि है, या

(ii) संपदा-धारक, यदि ऐसा प्रधान काशतकार किसी संपदा-धारक से ऐसी भूमि रखता हो,

खातेदारी अधिकार प्राप्त होने की तारीख से, वह इस अधिनियम द्वारा खातेदार काशतकार को प्रदान किए गए सभी अधिकारों का हकदार होगा तथा उस पर लगाए गए सभी दायित्वों के अधीन होगा।

(4) खुदकाशत का प्रत्येक काशतकार या उप-काशतकार, जिसे उपधारा (1) या उपधारा (1-ए) या उपधारा (1-एए) के अधीन अधिकार प्राप्त होते हैं, अपने भूमि धारक को इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्धारित प्रतिकर देने के लिए आबद्ध होगा:

परन्तु ऐसा किरायेदार या उप-किरायेदार, नियत तारीख से तीन वर्ष के पश्चात अधिकारिता रखने वाले सहायक कलक्टर को लिखित रूप में सूचित कर सकेगा कि वह ऐसे प्रतिकर के भुगतान पर खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं करना चाहता है, ऐसी स्थिति में वह खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं करेगा या प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा वह पूर्व की भांति खुदकाशत का किरायेदार या उप-किरायेदार बना रहेगा।

20. मुआवजे के लिए दावों का प्रस्तुतीकरण - (1) प्रत्येक व्यक्ति जो अपने काशतकार या खुदकाशतकार या उप-काशतकार द्वारा उससे ली गई भूमि पर विद्यमान सुधारों (कुओं और अन्य सिंचाई कार्यों के अलावा) में अधिकारों के उपार्जन तथा खातेदारी अधिकार के कारण मुआवजे का दावा करता है, वह ऐसे मुआवजे के लिए अपने दावे का विस्तृत विवरण निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित तरीके से उप-विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। ऐसा प्रत्येक दावा निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा:—

(i) जहां ऐसे अधिकार धारा 19 की उपधारा (1) या उपधारा (1-क) के अधीन नियत दिन से चार वर्ष के भीतर प्रोद्भूत हुए हैं; और

(ii) जहां ऐसे अधिकार उस धारा की उपधारा (2) या उपधारा 2-क के अधीन घोषणा के आधार पर प्रोद्भूत हुए हैं, वहां ऐसी घोषणा की तिथि से चार वर्ष के भीतर,

(2) उप-खण्ड अधिकारी उप-धारा (1) के अधीन दावे का विवरण प्राप्त होने पर:

(क) इसकी एक प्रति संबंधित खुदकाशत के किरायेदार या उप-किरायेदार को उपलब्ध कराएगा, तथा उसे नोटिस द्वारा यह अपेक्षा करेगा कि वह नोटिस प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर दावे पर आपत्तियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करे, तथा

(ख) धारा 23, 24, 25 और 26 के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा देय मुआवजे की रकम निर्धारित करने के लिए कार्यवाही करेगा।

21. छोड़ा गया .

22. छोड़ा गया .

23. **खातेदारी अधिकारों के लिए प्रतिकर** - (1) धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन किसी भू-स्वामी को, खुदकाशत या उप-किराएदार की पूरी जोत या उसके किसी भाग के संबंध में उस धारा के अधीन अधिकारों के उपार्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, असिंचित भूमि की दशा में पन्द्रह गुना और सिंचित भूमि की दशा में बीस गुना होगी:

(क) अंतिम बंदोबस्त के दौरान ऐसी जोत या उसके भाग के लिए स्वीकृत किराया दर, जहां उसके संबंध में किराया तय कर दिया गया है, या

(ख) जहां ऐसी जोत या उसके भाग के संबंध में किराये का निपटान नहीं किया गया है, वहां पड़ोस में समान भूमि के लिए अंतिम निपटान के दौरान स्वीकृत किराये की दर।

(2) धारा 25 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कुएं या अन्य सिंचाई कार्य के संबंध में, जो उस भूमि पर विद्यमान है या उससे उद्भूत या संलग्न किसी सिंचाई लाभ के संबंध में, जिसमें पूर्वोक्त रूप से अधिकार प्रोद्भूत हुए हैं, कोई प्रतिकर पृथक् रूप से देय नहीं होगा।

24. **सुधारों में अधिकारों के लिए प्रतिकर** - (1) उप-विभागीय अधिकारी भूमि धारक द्वारा या उसके व्यय पर किए गए किसी भी सुधार (कुएं या अन्य सिंचाई कार्य के अलावा) का मूल्य निर्धारित करेगा, जिसके संबंध में वह प्रतिकर का दावा करता है, निम्नलिखित मामलों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात: -

(क) सुधार कार्य के समय इसकी लागत,

(ख) वह सीमा जिस तक ऐसे सुधार से उस भूमि को लाभ होने की संभावना है जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) या उपधारा (1-ए) या उपधारा (1-एए) के अधीन खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुए हैं, उस कृषि वर्ष के पश्चात् दस वर्ष की अवधि के दौरान जिसमें ऐसा निर्धारण किया गया है, और

(ग) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायें।

(2) धारा 25 में निहित प्रावधानों के अधीन, खुदकाशत के काशतकार या संबंधित उप-काशतकार द्वारा भूमि के उस हिस्से में या उससे जुड़े सुधारों (कुओं या अन्य सिंचाई कार्यों के अलावा) के अधिकारों के लिए धारा 19 की उपधारा (4) के तहत भूमिधारक को देय मुआवजे की रकम, जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) या उपधारा (आई-ए) या उपधारा (1-एए) के तहत खातेदारी अधिकार उसे मिलते हैं, उपधारा (1) के तहत निर्धारित ऐसे सुधारों के मूल्य का चालीस प्रतिशत होगा।

25. **नलबट के बदले मुआवजे के हिस्से की गणना** - (1) जहां कोई कुआं किसी ऐसी भूमि से जुड़ा हुआ है, जिसमें धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं और भूमिधारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे कुएं के संबंध में नलबट प्राप्त करने का अधिकार है, उप-खंड अधिकारी धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत ऐसी भूमि के संबंध में भूमिधारक को देय मुआवजे की राशि में से ऐसे व्यक्ति को देय हिस्से का निर्धारण करेगा।

(2) ऐसे हिस्से का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, उप-विभागीय अधिकारी ऐसे नलबट के अधिकार के औसत मूल्य की गणना निम्नलिखित तरीके से करेगा, अर्थात्: -

(क) जहां कोई नलबट नकद में वसूल की जा रही है, वहां उस अधिकार का औसत मूल्य, उस कृषि वर्ष से, जिसमें ऐसी गणना की जाती है, तत्काल पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान वसूल की गई वार्षिक रकमों के औसत के आधार पर परिकलित किया जाएगा।

(ख) जहां इसे उपज के हिस्से के रूप में वसूल किया जा रहा है, ऐसे मूल्य की गणना उस कृषि वर्ष से ठीक पहले के पांच वर्षों के दौरान समान उपज की कीमतों के औसत के अनुसार ऐसे हिस्से के औसत धन मूल्य के आधार पर की जाएगी जिसमें ऐसी गणना की जाती है।

(3) नलबट के अधिकार के संबंध में देय मुआवजे की रकम उपधारा (2) के अधीन निर्धारित ऐसे अधिकार के औसत मूल्य का दस गुना होगी, जो कुएं के वर्तमान बाजार मूल्य के अधिकतम पचास प्रतिशत के अधीन होगी।

(क) **हटाया गया.**

(ख) **हटाया गया.**

(ग) **हटाया गया.**

(4) किसी कुएं का वर्तमान बाजार मूल्य उप-मंडल अधिकारी द्वारा निम्नलिखित मामलों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) कुँए के निर्माण का समय।

(ii) कुँए की मरम्मत का वर्तमान चरण।

(iii) एक सामान्य वर्ष में कुँए द्वारा सिंचित क्षेत्र।

(iv) ऐसे कुँए के निर्माण की औसत वर्तमान लागत, और

(v) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायें।

(5) धारा 2 के अधीन अवधारित प्रतिकर में से कर वसूल करने के हकदार व्यक्ति को देय अंश किसी भी दशा में ऐसे प्रतिकर के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

26. मुआवजे की संरचना - (1) खुदकाशत के काशतकार या उप-काशतकार द्वारा भूमि में खातेदारी अधिकारों और कुओं सहित सुधार में अधिकारों के अर्जन के लिए देय कुल मुआवजा धारा 23 और 24 के अधीन निर्धारित राशियों के योग से मिलकर बनेगा।

(2) धारा 25 के अधीन देय कोई भी राशि उपधारा (1) में उल्लिखित कुल राशि में से भुगतान किए जाने का आदेश दिया जाएगा।

27. प्रतिकर के भुगतान का ढंग - (1) पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार सुधार या दोनों में खातेदारी अधिकार के अर्जन के लिए देय प्रतिकर की राशि का अवधारण होने पर उपखंड अधिकारी उसका भुगतान एकमुश्त या उचित संख्या में वार्षिक किस्तों में करने का आदेश देगा।

(2) यदि उप-विभागीय अधिकारी वार्षिक किस्तों में ऐसे भुगतान का आदेश देता है, तो ऐसी किस्तों की संख्या दस से अधिक नहीं होगी और निम्नलिखित मामलों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी, अर्थात:

(i) देय मुआवजे की कुल राशि,

(ii) राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की भुगतान क्षमता, और

(iii) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायें।

(3) जब प्रतिकर की रकम या उसकी कोई किस्त, उसके देय होने की तारीख से तीन माह से अधिक समय तक बकाया रहती है, तो उसे उप-विभागीय अधिकारी द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा तथा उसका भुगतान प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को दिया जाएगा।

(4) धारा 26 के अधीन देय समस्त प्रतिकर तहसील में जमा किया जाएगा और तहसीलदार उसे प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को देगा।

(5) धारा 26 के अनुसार देय प्रतिकर की कुल रकम, जोत और उसके उत्पाद पर, उसके संबंध में लगान और राजस्व के प्रभार के पश्चात् प्रभार होगी और कोई भी खुदकाशत का काशतकार या उप-काशतकार, जो धारा 19 के अधीन खातेदारी अधिकार और सुधार में अधिकार अर्जित करता है, अपनी जोत या उसके किसी भाग को तब तक हस्तांतरित करने के लिए सक्षम नहीं होगा, जब तक कि पूर्वोक्त प्रतिकर की कुल रकम का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

बशर्ते कि ऐसा किरायेदार या उप-किरायेदार अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग को धारा 43 के उपबंधों के अनुसार मुख्यतः ऐसे प्रतिकर के संदाय के प्रयोजन के लिए हस्तांतरित कर सकेगा, चाहे उसके साथ कोई अन्य प्रयोजन जुड़ा हो या नहीं।

28. छोड़ा गया.

29. छोड़ा गया.

30. कुछ विशिष्ट मामलों में प्रतिकर के भुगतान के लिए विशेष प्रावधान - (1) जहां धारा 19 की उपधारा (1) या उपधारा (1-ए) या उपधारा (1-एए) के तहत अधिकारों के प्रोद्भवन से पहले, एक उप-किराएदार उस भूमि को धारण कर रहा था जिसके संबंध में अधिकार उसे उस व्यक्ति से प्रोद्भूत हुआ था जो खातेदार काश्तकार बन गया था।

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ पर, धारा 15 के अधीन; या

(ख) राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, 1957 (1958 का राजस्थान अधिनियम 2) के प्रारम्भ पर, धारा 15-ख के अधीन; किन्तु जिसके पास ऐसे प्रारम्भ से पूर्व ऐसी भूमि पर अन्तरण का कोई अधिकार नहीं था, धारा 26 के अधीन निर्धारित प्रतिकर की रकम ऐसे व्यक्ति को तब तक देय नहीं होगी जब तक कि वह उपधारा (2) के अधीन हकदार न हो।

(2) उपधारा (1) द्वारा परिकल्पित मामलों में -

(क) भूमि में खातेदारी अधिकारों के अर्जन के लिए प्रतिकर उस व्यक्ति को देय होगा, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले ऐसी भूमि में अंतरण के अधिकार थे, और

(ख) ऐसी भूमि से जुड़े सुधार में अधिकारों के अधिग्रहण के लिए प्रतिकर मुख्य रूप से उस व्यक्ति को देय होगा जिसके द्वारा या जिसके खर्च पर वे बनाए गए थे।

30क. लंबित आवेदनों की व्यावृत्ति और निपटारा - (1) इस अध्याय की कोई बात धारा 19 के अधीन नियत तारीख से पूर्व किए गए किसी आवेदन पर विनिश्चय और उसके निपटारे पर प्रभाव नहीं डालेगी और ऐसा प्रत्येक विनिश्चय इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह विधिपूर्वक और वैध रूप से दिया गया हो।

(2) ऐसी तारीख पर लंबित सभी आवेदनों को बिना किसी आदेश के अभिलेखों में दर्ज कर दिया जाएगा।

अध्याय IIIबी

सीलिंग एरिया से अधिक भूमि रखने पर प्रतिबंध

अधिसूचना संख्या एफ. 2(i) विधि/73 दिनांक 29.03.1973 के द्वारा 01.01.1973 से निरस्त किया गया तथा इसे राजस्थान सीलिंग अधिरोपण अधिनियम, 1973 (राजस्थान अधिनियम

संख्या 11, 1973) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। चूंकि यह अध्याय अभी भी लंबित मामलों को नियंत्रित करता है।

अध्याय IIIC

किरायेदारों के प्राथमिक अधिकार

31. **आवासीय मकान के अधिकार** - (1) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाने वाले किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, किसी काश्तकार को उस गांव की आबादी में, जिसमें वह भूमि रखता है, आवासीय मकान के लिए निःशुल्क कब्जा करने का अधिकार होगा:

परन्तु यदि वह एक से अधिक गांवों में भूमि रखता है तो वह उस गांव को चुन सकेगा जिसमें वह अपनी रियायत का उपभोग करना चाहता है और वह एक से अधिक गांवों में इस रियायत का हकदार नहीं होगा:

बशर्ते कि यदि उसके पास कोई आवासीय मकान नहीं है तो उसे इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त स्थल के आबंटन के लिए तहसीलदार को आवेदन करना होगा।

स्पष्टीकरण - आवासीय मकान में मवेशियों के लिए बाड़ा या शेड तथा बीज, चारा और कृषि उपकरण रखने के लिए आवास और जलाशय या टांका निर्माण के लिए आवश्यक भूमि शामिल होगी।

(2) पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15, 1956) की धारा 95, 96, 97, 98 और 102 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कृषि श्रमिक या कारीगर को, जो किसी गांव की आबादी में दस वर्ष या उससे अधिक समय से स्थायी रूप से निवास कर रहा हो, उस गांव की आबादी में निवास-गृह के लिए स्थल का निःशुल्क कब्जा लेने का भी अधिकार होगा और उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबन्ध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण- उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए-

(क) **कृषि श्रमिक का** तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो काश्तकार नहीं है, किन्तु अपने निवास के गांव में स्थित काश्तकार के खेत या खेतों पर मजदूर के रूप में काम करता है; तथा

(ख) "**कारीगर**" में लोहार, बढ़ई, मोची, कुम्हार और बुनकर शामिल होंगे।

32. **लिखित पट्टे और प्रतिलेख का अधिकार**- (1) प्रत्येक काश्तकार अपने भू-धारक से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप विहित प्रारूप में लिखित पट्टा प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसमें विहित विवरण होंगे।

(2) किसी काश्तकार को उपधारा (1) में उल्लिखित पट्टा देने या निविदत्त करने पर, भूमि-धारक काश्तकार से उसका प्रतिरूप प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) यदि कोई पट्टा या प्रतिरूप इस धारा के अधीन उसे प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसा पट्टा या प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए वाद ला सकेगा।

33. पंजीकरण के बदले पट्टों का सत्यापन - (1) भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम XVI) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, किसी पट्टे के पक्षकार, उसे पंजीकृत करने के बदले में, ऐसे अधिकारी या व्यक्ति से सत्यापन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे राज्य सरकार इस संबंध में नियुक्त करे,

(2) ऐसा अधिकारी या व्यक्ति, ऐसी जांच करने के पश्चात, जो विहित की जाए, पट्टे के दस्तावेज को विहित तरीके से प्रमाणित कर सकेगा:

बशर्ते कि ऐसा कोई दस्तावेज सत्यापन के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे निष्पादन के चार महीने के भीतर प्रस्तुत न कर दिया जाए:

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिए गए पट्टों के संबंध में लागू नहीं होगी।

(3) इस प्रकार प्रमाणित दस्तावेज भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम XVI, 1908) के अर्थ में पंजीकरण माना जाएगा।

34. प्रीमियम या बलात् श्रम का प्रतिषेध - इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए, कोई भी भूमि धारक अनुदान या पट्टे के लिए प्रीमियम स्वीकार नहीं करेगा या किसी काश्तकार को भूमि धारक की कोई सेवा, चाहे मजदूरी के लिए हो या अन्यथा, प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा और ऐसी शर्त, किसी विपरीत कानून या प्रथा के होते हुए भी, शून्य होगी:

परन्तु इस धारा की कोई बात राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15, 1956) की धारा 100 या धारा 101 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को आवंटित भूमि के मूल्य की वसूली या इस अधिनियम की धारा 30च के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित किसी भुगतान की वसूली पर रोक नहीं लगाएगी।

35. किराए के अलावा अन्य भुगतान का निषेध - इसके विपरीत किसी प्रथा या अनुबंध के होते हुए भी, किसी भी नाम से ज्ञात या ज्ञात कोई भी भुगतान, जोत के किराए के अतिरिक्त या कानून द्वारा लगाए गए या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य भार के अतिरिक्त, किसी किरायेदार पर नहीं लगाया जाएगा या उससे वसूल नहीं किया जाएगा।

36. सामग्रियों का उपयोग - इस अधिनियम या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून में किसी बात के होते हुए भी, किसी काशतकार को अपने होल्लिंग या आवासीय मकान के संबंध में किसी कार्य के लिए, अपने होल्लिंग की सतह पर या उसके नीचे पड़े हुए या सुधार कार्य के दौरान खुदाई करके प्राप्त किए गए पत्थरों या अन्य सामग्रियों को हटाने और उपयोग करने का अधिकार होगा:

बशर्ते कि किरायेदारों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग को राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

36ए. नलबट के अधिकार का अर्जन- (1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व से या राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, 1957 (राजस्थान अधिनियम 2, 1958) के प्रारम्भ के पूर्व से अबू अजमेर और अजमेर क्षेत्र में खातेदार काशतकार रहा है, या ऐसे प्रारम्भ पर धारा 15 या धारा 15-बी के अधीन ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकार अर्जित करता है, जिसमें कुआं लगा हुआ है और ऐसे कुएं के संबंध में नलबट वसूल करने का अधिकार भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति में निहित है, तो ऐसा प्रथम वर्णित व्यक्ति राजस्थान काशतकारी (संशोधन) अधिनियम, 1959 के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे अधिकार के अर्जन के लिए उपखण्ड अधिकारी को विहित प्रपत्र और विहित रीति से आवेदन कर सकेगा:

परन्तु उप-मण्डल अधिकारी इस धारा के अधीन किए गए आवेदन को एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि आवेदक के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसमें नलबट वसूल करने का अधिकार निहित है, एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे सूचित किया जाएगा कि यदि वह आवेदन का विरोध करना चाहता है तो उसे नोटिस प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करनी होंगी।

(3) चाहे आवेदन पर विरोध किया जाए या नहीं, ऐसा व्यक्ति उप-मंडल अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से नलबट के ऐसे अधिकार के अधिग्रहण के कारण मुआवजे के लिए अपने दावे का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि भू-स्वामी आवेदन का विरोध करता है तो उप-विभागीय अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसा वह ठीक समझे, आवेदन को अस्वीकार कर देगा या उप-धारा (5) में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए उसे मंजूर कर लेगा।

(5) यदि उप-विभागीय अधिकारी कोई आवेदन स्वीकृत करता है, तो वह धारा 25 के उपबंधों के अनुसार ऐसे अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम अवधारित करेगा, तथा धारा 27 और 30 के उपबंध ऐसे प्रतिकर के संदाय पर लागू होंगे और उसे नियंत्रित करेंगे।

(6) इस धारा की कोई बात राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1959 के प्रारम्भ से पूर्व धारा 29 के अधीन किए गए किसी आवेदन पर विनिश्चय और उसके निपटारे पर प्रभाव नहीं डालेगी और ऐसा प्रत्येक विनिश्चय इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह विधिपूर्वक और वैध रूप से दिया गया हो।

(7) ऐसे प्रारम्भ पर लंबित सभी आवेदन इस धारा के अधीन प्रस्तुत किए गए समझे जाएंगे और तदनुसार उन पर कार्यवाही की जाएगी।

37. **न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा जब्ती, कुर्की और बिक्री पर प्रतिबंध** - किसी होल्डिंग में किरायेदार के अधिकारों को किसी भी सिविल न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा जब्ती, कुर्की या बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा।

अध्याय 4

हस्तांतरण, स्थानांतरण, विनिमय और विभाजन

सामान्य

38. **काश्तकारों का हित** - इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, काश्तकार का अपनी जोत में हित उत्तराधिकार योग्य है, किन्तु हस्तांतरणीय नहीं है।

किरायेदारी का हस्तांतरण

39. **वसीयत** - खातेदार काश्तकार वसीयत द्वारा उस खाते के भाग में अपना हित उस वैयक्तिक कानून के अनुसार वसीयत कर सकेगा जिसके वह अधीन है।

40. **किरायेदारों का उत्तराधिकार** - जब किसी किरायेदार की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति में उसका हित उस वैयक्तिक कानून के अनुसार हस्तांतरित हो जाएगा, जिसके अधीन वह अपनी मृत्यु के समय था।

किरायेदारी का हस्तांतरण

41. **खातेदार के हित की हस्तांतरणीयता** - खातेदार काश्तकार का हित उप-पट्टे के अलावा अन्य तरीके से हस्तांतरणीय होगा, जो धारा 42 और 43 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।

42. **विक्रय, दान और वसीयत पर सामान्य प्रतिबंध** - किसी खातेदार काश्तकार द्वारा अपनी पूरी जोत या उसके भाग में अपने हित की विक्रय, दान या वसीयत शून्य होगी, यदि -

(क) हटाया गया ।

(ख) ऐसा विक्रय, दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

[(खख) ऐसा विक्रय, दान या वसीयत, खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, सहरिया अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई है, जो उक्त सहरिया जनजाति का सदस्य नहीं है।]

(ग) हटाया गया।

42ए. हटाया गया।

42बी. बिक्री, दान और वसीयत की वैध घोषणा - जहां राजस्थान काश्तकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1992 अधिनियम संख्या 22, 1992 के प्रारंभ से पूर्व कोई बिक्री, दान या होल्लिंग, धारा 42 के खंड (क) के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के कारण शून्य थी, जैसा कि उक्त संशोधन अधिनियम, 1992 के पूर्व था, ऐसी बिक्री, दान या वसीयत को कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उसे या उसके समक्ष ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से किए गए आवेदन पर और ऐसी फीस और शास्ति के भुगतान पर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, वैध घोषित किया जा सकता है:

उसे उपलब्ध कराया-

(क) - ऐसी बिक्री, छुट्टनी या वसीयत अन्यथा विधिक रूप से वैध थी और पूर्वोक्त धारा 42 के खण्ड (क) में निहित उपबन्धों को छोड़कर, तत्समय प्रवृत्त विधियों के उपबन्धों के अनुरूप थी:

(ख) विक्रय या वसीयत के पक्षकार नियमों या किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे:

(ग) ऐसे प्रीमियम या शास्ति का भुगतान किया जाता है, जैसा कि विहित किया जा सकता है:

(घ) आवेदक ऐसी दर पर तथा ऐसी रीति के अनुसार लगाए गए नगरीय मूल्यांकन का भुगतान करने का वचन देता है, जैसा कि विहित किया जा सकता है।

43. बंधक - (1) खातेदार काश्तकार, या राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की साधारण या विशेष अनुमति से गैर खातेदार काश्तकार, राज्य सरकार या राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (1965 का अधिनियम 13) में परिभाषित भूमि विकास बैंक या उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत या पंजीकृत समझी जाने वाली सहकारी समिति या किसी अनुसूचित बैंक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी अन्य संस्था से ऋण प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अपनी पूरी जोत या उसके भाग में अपना हित बंधक रख सकेगा।

(2) खातेदार काश्तकार अपनी पूरी या आंशिक जोत में अपना हित उपभोक्ता बंधक के रूप में किसी व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा, किन्तु ऐसे बंधक में यह उपबंध होना चाहिए कि बंधक की रकम संपत्ति के उपभोक्ता द्वारा निर्दिष्ट समयावधि, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, के भीतर चुका दी गई मानी जाएगी और ऐसी अवधि निर्दिष्ट न होने की स्थिति में ऐसा बंधक पांच वर्ष के लिए माना जाएगा:

परन्तु यह कि राजस्थान काश्तकारी (किराएदारी) अधिनियम, 1970 के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् या उसके पश्चात् कोई भी खारेदार काश्तकार, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके भाग में अपने अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित नहीं करेगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

(3) उपधारा (2) के अधीन उपभोक्ता बंधक, इसमें पूर्व वर्णित अवधि की समाप्ति पर, बंधककर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान किए बिना, पूर्ण रूप से संतुष्ट समझा जाएगा और बंधक ऋण समाप्त समझा जाएगा तथा बंधक रखी गई भूमि को छुड़ा लिया जाएगा और उसका कब्जा बंधककर्ता द्वारा बंधककर्ता को सभी भारों से मुक्त करके सौंप दिया जाएगा।

(4) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व किया गया किसी भूमि का उपभोक्ता बंधक, बंधक विलेख में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर या उसके निष्पादन की तारीख से बीस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, जो भी अवधि कम हो, बंधककर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान किए बिना पूर्ण रूप से संतुष्ट समझा जाएगा और बंधक ऋण तदनुसार समाप्त समझा जाएगा और तत्पश्चात् बंधक भूमि को मुक्त कर दिया जाएगा और उसका कब्जा सभी भारों से मुक्त बंधककर्ता को दे दिया जाएगा।

(4-क) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किया गया तथा राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान किसी भूमि का उपभोक्ता बंधक, बंधक विलेख में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर या उसके निष्पादन की तारीख से जीवित वर्षों की समाप्ति पर, जो भी अवधि पहले समाप्त हो, बंधककर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान किए बिना पूर्ण रूप से संतुष्ट समझा जाएगा तथा बंधक ऋण तदनुसार समाप्त समझा जाएगा तथा तत्पश्चात् बंधक भूमि को मुक्त कर दिया जाएगा तथा उसका कब्जा सभी भारों से मुक्त बंधककर्ता को सौंप दिया जाएगा।

(4-ख) जहां उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन किसी अवधि के लिए एक बार उपभोक्ता बंधक बनाया गया है, वहां प्रथम वर्णित बंधक की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर उसी भूमि का कोई और उपभोक्ता बंधक नहीं बनाया जाएगा।

(4-सी) जहां कोई उपभोक्ता बंधक राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व की तारीख से उपधारा (4-ए) के अधीन मोचित किया जाता है, वहां ऐसे मोचन के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि बंधकदार, ऐसे मोचन की तारीख से लेकर ऐसे प्रारंभ की तारीख तक की अवधि के लिए बंधककर्ता को कोई शास्ति या मध्यावधि लाभ या दोनों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(4-डी) उप-धारा (2) या उप-धारा (4-ए) के तहत बंधक के मोचन पर बंधककर्ता बंधक संपत्ति से संबंधित अपने कब्जे या शक्ति में सभी दस्तावेज बंधककर्ता को सौंप देगा और बंधक के मोचन की तारीख से तीन महीने के भीतर बंधक और उसके द्वारा और उसके तहत दावा करने वालों द्वारा बनाए गए सभी भारों से मुक्त होकर बंधककर्ता को संपत्ति पुनः हस्तांतरित कर देगा और उसे अपनी लागत पर कब्जा दे देगा:

परन्तु उन मामलों में जहां उपभोक्ता बंधक को उपधारा (4-क) के अधीन राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व की तारीख से मोचित किया गया है, दस्तावेजों का परिदान, पुनः अन्तरण और पूर्वोक्त सम्पत्ति के कब्जे का परिदान, जब तक कि पहले से न किया गया हो, राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा।

(4-ई) कोई भी बंधकदार जो बिना पर्याप्त कारण के, उपधारा (4-डी) में निर्दिष्ट तीन महीने की अवधि के भीतर बंधककर्ता को संपत्ति का कब्जा दिलाने में विफल रहता है, उसे दोषसिद्धि पर एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या 1000/- रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा और बंधककर्ता द्वारा इसका शमन किया जा सकता है।

(5) उपधारा (4-ई) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि बंधककर्ता बंधक रखी गई भूमि का कब्जा पुनः प्राप्त नहीं करता है तो उसे धारा 183-ए के अनुसार बेदखल किया जा सकेगा।

43ए. अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व कृषि जोत के बंधकों के संबंध में उपबंध - (1) धारा 43 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व काश्तकार की जोत के उपभोक्ता बंधक से भिन्न कोई बंधक और ऐसे बंधक के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उसके निबंधनों द्वारा और ऐसे प्रारंभ से पूर्व उसके संबंध में विद्यमान विधि द्वारा शासित होते रहेंगे।

(2) ऐसे किसी अधिकार या दायित्व को, व्यथित व्यक्ति द्वारा अधिकारिता रखने वाले सहायक कलेक्टर के न्यायालय में, नियत समय के भीतर, यदि कोई हो, संस्थित वाद के माध्यम से, तथा ऐसी विधि द्वारा विहित न्यायालय फीस के भुगतान पर, प्रवर्तित किया जा सकेगा।

44. किराये पर देने या उप-किराये पर देने का अधिकार - खुदकाश्त का धारक अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग को इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों के अधीन किराये पर दे सकेगा और किरायेदार अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग को उप-किराये पर दे सकेगा:

बशर्ते कि ऐसा कोई उप-पट्टा किसी भी तरह से किरायेदार को उसके भू-स्वामी के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

45. किराये पर देने और उप-किराये पर देने पर प्रतिबंध.- (1) कोई भी खुदकाशत धारक अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग को किसी एक समय में पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराये पर नहीं देगा और कोई भी खातेदार काशतकार या उसका बंधकदार उप-किराये पर नहीं देगा :

[परन्तु ऐसे कृषि प्रसंस्करण और कृषि कारबार उद्यमों से संबंधित कृषि संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए, जिन्हें राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से अनुमोदित किया जाए [या प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी अन्य समान रोपण के प्रयोजन के लिए] खुदकाशत धारक या भूस्वामी अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग को पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकेगा या खातेदार काशतकार उप-पट्टे पर दे सकेगा और ऐसे पट्टे या उप-पट्टे को पन्द्रह वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।]

[परन्तु यह और भी कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क की उप-धारा (5क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्रयोजन के लिए, कोई कुढ़कास्त धारक या भूमि स्वामी अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को तीस वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकेगा या कोई खातेदार काशतकार उप-पट्टे पर दे सकेगा तथा ऐसे पट्टे या उप-पट्टे को दस वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।]

(2) जहां कोई पट्टा या उप-पट्टा उप-धारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए एक बार प्रदान कर दिया गया है [या बढ़ा दिया गया है] वहां उसी भूमि के संबंध में कोई और पट्टा या उप-पट्टा, जैसा भी मामला हो, प्रथम वर्णित पट्टे या उप-पट्टे की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(3) कोई भी गैर खातेदार काशतकार अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए उप-किराए पर नहीं देगा।

(4) कोई भी उप-किराएदार या खुदकाशत का किरायेदार धारा 46 में वर्णित परिस्थितियों को छोड़कर अपनी पूरी जमीन या उसका कोई भाग उप-किराए पर नहीं देगा।

46. अपवादात्मक मामलों में किराये पर देना या उप-किराये पर देना- (1) खुदकाशत धारक द्वारा किराये पर देने और किरायेदार द्वारा उप-किराये पर देने पर धारा 45 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे-

(क) नाबालिग हो, या

(ख) पागल, या

(ग) मूर्ख, या

(घ) ऐसी महिला जो अविवाहित हो या तलाकशुदा हो या अपने पति से अलग हो गई हो। या विधवा हो। या

(ई) कोई व्यक्ति जो अंधेपन या अन्य शारीरिक अक्षमता या अंग-भंग के कारण अपनी जोत को जोतने में असमर्थ हो। या

(च) ऐसा व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बल का सदस्य है। या

(छ) ऐसा व्यक्ति जो कारावास या कारावास में बंदी है; या

(ज) कोई व्यक्ति जो पच्चीस वर्ष से अधिक आयु का न हो, जो अभियोजन का छात्र हो, किसी मान्यताप्राप्त संस्था में उसका अध्ययन:

परंतु जहां कोई होल्डिंग एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित की जाती है, वहां इस धारा के उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसे सभी व्यक्ति इसमें विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रकार के न हों।

(2) कोई पट्टा या उप-पट्टा, जो उपधारा (1) के उपबंधों के अभाव में अवैध होता, पट्टाकर्ता की मृत्यु हो जाने या उसमें विनिर्दिष्ट वर्णन के अंतर्गत न आने के पश्चात् दो वर्ष से अधिक समय तक प्रवृत्त नहीं रहेगा।

46ए. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा पट्टे पर देने या उप-पट्टे पर देने के लिए विशेष उपबंध - धारा 44, 45 और 46 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, उक्त धाराओं के अधीन अपनी पूरी जोत या उसका कोई भाग किसी ऐसे व्यक्ति को पट्टे पर नहीं देगा या उप-पट्टे पर नहीं देगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

47. उप-पट्टे से उत्तराधिकारी आबद्ध - किसी किरायेदार का हित-उत्तराधिकारी, जिसने उप-पट्टा लिया है, उप-पट्टे की शर्तों से आबद्ध होगा, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों।

47ए. आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्रों में कतिपय स्थानान्तरणों के संबंध में उपबंध - इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में कृषि काशतकारों के स्थानान्तरण से संबंधित कोई बात आबू, अजमेर या सुनेल क्षेत्र में काशतकार की जोत की बिक्री, बंधक, पट्टा, उपपट्टा या अन्य प्रकार के स्थानान्तरण पर लागू नहीं होगी, जो राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, 1957 के प्रारंभ होने से पूर्व विधिपूर्वक किया गया हो और प्रत्येक ऐसे स्थानान्तरण के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे स्थानान्तरण की शर्तों और ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले उससे संबंधित प्रचलित विधि द्वारा शासित होते रहेंगे। (2) धारा 43-ए की उपधारा (2) के उपबंध ऐसे प्रत्येक अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

किरायेदारी का आदान-प्रदान

48. भूमि का विनिमय - (1) एक ही वर्ग के काशतकार उस भूमि का विनिमय कर सकते हैं जो उनके पास एक ही भू-स्वामी से उस भू-स्वामी की लिखित सहमति से है या उस

भूमि का विनिमय कर सकते हैं जो उनके पास विभिन्न भू-स्वामियों से है, ऐसे सभी भू-स्वामियों की लिखित सहमति से।

(2) कोई भू-स्वामी किसी काश्तकार के साथ समझौते के तहत, उस काश्तकार को, उस भूमि के अलावा जो पट्टे पर दी गई है, ऐसी भूमि के बदले में, जो उस काश्तकार के स्वामित्व में सम्मिलित है, भूमि दे सकेगा।

49. चकबंदी के लिए विनिमय - (1) कोई खातेदार काश्तकार, जो उस क्षेत्र को, जिस पर वह खेती करता है, चकबंदी कराना चाहता है, वह सहायक कलेक्टर को अपनी खेती की भूमि के किसी भाग को किसी अन्य खातेदार काश्तकार द्वारा खेती की गई भूमि के साथ विनिमय करने के लिए प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर सहायक कलेक्टर विहित रीति से जांच करने के पश्चात् संतुष्ट हो जाता है कि उचित आधार विद्यमान हैं, तो वह ऐसे आवेदन को या तो पूर्णतः या भागतः स्वीकृत कर सकेगा और आवेदक द्वारा खेती की गई भूमि अन्य काश्तकार को आबंटित कर सकेगा, जिसका मूल्य आवेदक द्वारा प्राप्त भूमि के लगभग बराबर है और जिसकी गुणवत्ता भी वैसी ही है।

49ए. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा विनिमय के लिए विशेष उपबंध - धारा 48 और 49 में किसी बात के होते हुए भी, किसी काश्तकार को, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, उन धाराओं में से किसी के अधीन अपनी जोत का विनिमय ऐसी भूमि के लिए करने का अधिकार नहीं होगा, जो किसी ऐसे व्यक्ति की जोत में सम्मिलित है, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और धारा 49 के अधीन आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यदि वह इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है।

50. विनिमय पर काश्तकारों का अधिकार - धारा 48 या धारा 49 के अधीन भूमि के विनिमय पर काश्तकार को विनिमय में प्राप्त भूमि पर वही अधिकार होगा जो विनिमय में दी गई भूमि पर था।

51. अन्य भूमि के बदले में आबंटित भूमि में अधिकार - तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि अन्य भूमि के बदले में आबंटित भूमि किसी पट्टे, बंधक या अन्य भार से भारित है, तो ऐसा पट्टा, बंधक या अन्य भार अंतरित कर दिया जाएगा और ऐसी अन्य भूमि से, या ऐसी अन्य भूमि के ऐसे भाग से संबद्ध कर दिया जाएगा, जैसा कि सहायक कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और तदुपरि पट्टेदार, बंधकदार या अन्य भार वहन करने वाले का उस भूमि में या उसके विरुद्ध कोई अधिकार नहीं रहेगा, जिससे पट्टा, बंधक या अन्य भार अंतरित किया गया था:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, सम्बन्धित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

52. **अधिकार अभिलेख में विनिमय की प्रविष्टि**- धारा 48 या धारा 49 के अधीन भूमि के विनिमय पर, उससे संबंधित समुचित प्रविष्टि अधिकार अभिलेख में की जाएगी।

किरायेदारी का विभाजन

53. **होल्लिंग का विभाजन** - (1) **हटाया गया ।**

(2) किसी होल्लिंग का विभाजन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा-

(i) सह-किरायेदारों के बीच समझौते द्वारा निम्नलिखित के संबंध में-

(क) जोत का ऐसा विभाजन; और

(ख) जोत को जिन विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, उन पर किराये का वितरण; या

(ii) सह-किरायेदारों में से एक या अधिक द्वारा किए गए वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश द्वारा, जो होल्लिंग को विभाजित करने और उसके किराये को उन विभिन्न भागों में वितरित करने के प्रयोजनार्थ हो, जिनमें वह विभाजित है।

(3) **छोड़ा गया.**

(4) एक या एक से अधिक जोत के विभाजन के लिए प्रत्येक वाद में सभी सह-काशतकारों और भू-धारकों को पक्षकार बनाया जाएगा।

(5) एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए वाद संस्थित किया जा सकेगा, बशर्ते कि पक्षकार एक ही हों।

54. **छोड़ा गया .**

54ए. **हटाया गया ।**

अध्याय 5

आत्मसमर्पण, परित्याग और विलुप्ति किरायेदारी का आत्मसमर्पण

55. **समर्पण** - आगामी वर्ष में भी अपनी जोत पर कब्जा जारी रखने के लिए पट्टे या अन्य करार द्वारा आबद्ध किरायेदार के अलावा कोई किरायेदार 1 मई को या उसके पूर्व कब्जा छोड़कर अपनी जोत समर्पित कर सकता है, तथा उसके साथ अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार या नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा गिरफ्तारी का लिखित प्रमाण भी संलग्न कर सकता है, चाहे ऐसी जोत उप-किराए पर दी गई हो या बंधक हो।

56. **भू-स्वामी को सूचना** - (1) धारा 55 के अधीन किसी भी समर्पण से पूर्व, ऐसा समर्पण करने वाला काशतकार अपने भू-स्वामी को ऐसा करने के अपने आशय की पंजीकृत

सूचना किसी भी वर्ष की पहली मई से कम से कम तीस दिन पूर्व भेजेगा और जब तक ऐसी सूचना नहीं भेजी जाती है, काश्तकार समर्पण की तारीख से अगले कृषि वर्ष के लिए जोत के किराये के लिए भू-स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा:

बशर्ते कि काश्तकार किसी ऐसी अवधि के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा जिसके दौरान जोत किसी अन्य काश्तकार को पट्टे पर दी गई हो या भू-स्वामी द्वारा अपने उपयोग या खेती के लिए ली गई हो,

(2) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे समझौते पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसके द्वारा कोई काश्तकार और उसका भूस्वामी किसी पूरी जोत या उसके किसी भाग को समर्पित करने पर सहमत हो जाएं :

बशर्ते कि ऐसा करार धारा 55 में निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया गया हो।

57. **वृद्धि पर अभ्यर्पण** - धारा 55 और 56 में किसी बात के होते हुए भी, जब किसी जोत के किराये में वृद्धि के लिए डिक्री या आदेश पारित किया जाता है, तो उसका किरायेदार, ऐसी डिक्री या आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसी जोत को उस तारीख को, जिसको ऐसी वृद्धि प्रभावी होती है, अभ्यर्पित करने की अपनी इच्छा की एक पंजीकृत सूचना भूमिधारक को भेजने के पश्चात्, ऐसी जोत को तदनुसार अभ्यर्पित कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक मामले में किरायेदार, ऐसे अभ्यर्पण के पश्चात् किसी भी जोत के संबंध में, ऐसी जोत के लिए देय किराये के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

58. **समर्पण को अपास्त करने के लिए वाद-** (1) कोई भू-स्वामी, जिसे धारा 56 या धारा 57 के अधीन नोटिस भेजा गया है, ऐसे नोटिस को अवैध घोषित कराने के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

(2) यदि ऐसा कोई वाद संस्थित नहीं किया जाता है तो भू-स्वामी द्वारा समर्पण स्वीकार कर लिया गया समझा जाएगा।

59. **अभ्यर्पित जोत का कब्जा लेना** - कोई भू-स्वामी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अभ्यर्पित जोत में प्रवेश कर सकता है तथा उस पर कब्जा ले सकता है।

किरायेदारी का परित्याग

60. **परित्याग** - (1) उपधारा (2) और (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि कोई काश्तकार खेती करना बंद कर देता है और पड़ोस छोड़ देता है, तो वह अपनी जोत में अपना हित नहीं खोएगा, यदि वह उस पर ऐसे व्यक्ति को छोड़ देता है जो देय किराए के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो और ऐसे प्रबंध की भूमिधारक को लिखित सूचना दे देता है।

(2) यदि इस प्रकार प्रभारी छोड़ा गया व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है-

- (i) किरायेदार की मृत्यु की स्थिति में किरायेदार का हित किस पर हस्तांतरित होगा, या
- (ii) जो उस व्यक्ति के लाभ के लिए जोत का प्रबंध करता है, जिस पर काश्तकार की मृत्यु की स्थिति में काश्तकार का हित निहित होगा, काश्तकार सात वर्ष की अवधि की समाप्ति पर अपने जोत में अपना हित खो देगा, जब तक कि वह ऐसी अवधि के भीतर उस पर खेती पुनः शुरू नहीं कर देता, और ऐसा हित उस व्यक्ति को निहित होगा जिस पर काश्तकार का हित उसकी मृत्यु की स्थिति में निहित होगा।
- (3) यदि इस प्रकार प्रभार में छोड़ा गया व्यक्ति उपधारा (2) में उल्लिखित व्यक्ति नहीं है तो काश्तकार के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह जिस अवधि के लिए उप-किराए पर दे सकता था, उसकी समाप्ति पर उसने अपनी जोत छोड़ दी है, जब तक कि वह उस अवधि के भीतर उस पर खेती पुनः शुरू नहीं कर देता।
- (4) यदि कोई काश्तकार उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार नहीं बल्कि अन्यथा खेती करना बंद कर देता है और पड़ोस छोड़ देता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अपनी जोत छोड़ दी है।

61. परित्यक्त समझी गई जोत का कब्जा लेने से पूर्व प्रक्रिया --(1) जहां यह उपधारणा की जाती है कि काश्तकार ने अपनी जोत छोड़ दी है, वहां तहसीलदार, यथास्थिति, स्वप्रेरणा से या भू-स्वामी के आवेदन पर, विहित रीति से उद्घोषणा जारी कराएगा और तामील कराएगा या प्रकाशित कराएगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि ऐसे काश्तकार की जोत को परित्यक्त समझी जाने तथा तदनुसार उस पर प्रवेश करने तथा कब्जा लेने का आशय है, जब तक कि इसके विपरीत प्रभाव का युक्तियुक्त कारण न दर्शाया जाए।

(2) तहसीलदार या भू-स्वामी, जैसा भी मामला हो, उस खाते में प्रवेश कर सकता है और कब्जा ले सकता है, यदि उद्घोषणा के प्रत्युत्तर में-

(i) उद्घोषणा की तामील या प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, उस काश्तकार द्वारा, जिसके बारे में यह उपधारणा की गई है कि उसने जोत छोड़ दी है, या ऐसे काश्तकार की ओर से या उसकी स्वयं की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, कोई उपस्थिति नहीं दी जाती है या इसके विपरीत प्रभाव का कोई उचित कारण नहीं बताया जाता है, या

(ii) ऐसे प्रवेश और कब्जे के संबंध में पूर्वोक्त अवधि के भीतर आपत्ति दर्ज कराई जाती है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

(3) यदि किसी खाते पर इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में प्रवेश किया जाता है और उसका कब्जा लिया जाता है, तो उसके किरायेदार को धारा 186 के अर्थ में विधि की प्रक्रिया के अलावा या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उससे बेदखल किया गया समझा जाएगा।

(4) जहां किसी जोत पर उपधारा (2) के अधीन प्रवेश किया जाता है और उसका कब्जा ले लिया जाता है, वहां उसे धारा 62 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी अन्य काश्तकार को पट्टे पर दिया जा सकता है या भूस्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस पर खेती की जा सकती है।

61. उन काश्तकारों के अधिकार, जिनके बारे में यह माना जाता है कि उन्होंने अपनी जोत छोड़ दी है - (1) धारा 60 और 61 में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यापक आपदा, जैसे सूखा, अकाल, महामारी या इसी प्रकार की अन्य किसी आपदा के कारण या किसी अन्य उचित कारण से खेती करना बंद कर देने और पड़ोस छोड़ देने वाले काश्तकार के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसके तहत वह उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट तरीके से, निर्धारित अवधि के भीतर और शर्तों के अधीन रहते हुए अपनी जोत पर पुनः कब्जा प्राप्त कर सकता है।

(2) ऐसा कोई भी किरायेदार, धारा 61 की उपधारा (1) के तहत जारी की गई घोषणा की तारीख या प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर, अपने पुनःबहाली और अपने जोत के प्रत्यावर्तन के लिए तहसीलदार को निर्धारित तरीके से आवेदन कर सकेगा और यदि वह तहसीलदार को यह समाधान कर देता है कि उसने किसी ऐसे कारण से या किसी ऐसे कारण से पड़ोस छोड़ दिया है, जैसा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, तो उपधारा धारा 61 के तहत प्रवेश की गई और कब्जा ली गई जोत पर कब्जा उसे इस तरह से लौटा दिया जाएगा मानो उसने उसे इस तरह नहीं छोड़ा था, बशर्ते कि वह ऐसे प्रत्यावर्तन की तारीख तक उस पर देय सभी किराए के बकाए का भुगतान करे, जिसमें परित्याग की अवधि भी शामिल है:

बशर्ते कि यदि होलिंग या उसका कोई भाग धारा 61 की उपधारा (4) के अधीन होगा:

(i) किसी अन्य किरायेदार को किराये पर दिया गया है। ऐसे अन्य किरायेदार से देय किराये की राशि ऐसे बकाया की राशि से कटौती योग्य होगी। या

(ii) भूमि स्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती की गई हो। ऐसी खेती की अवधि के लिए कोई किराया देय नहीं होगा।

63. किरायेदारी कब समाप्त होगी - (1) किरायेदार का अपनी जोत या उसके किसी भाग में हित, जैसा भी मामला हो, समाप्त हो जाएगा।

(i) जब उसकी मृत्यु हो जाती है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार योग्यता पाने का हकदार कोई उत्तराधिकारी नहीं रह जाता है:

(ii) जब वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसे अभ्यर्पित या त्याग देता है:

(iii) जब उसकी भूमि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1, 1894) के अन्तर्गत अर्जित की गई हो।

(iv) जब उसे कब्जे से वंचित कर दिया गया हो और कब्जा पुनः प्राप्त करने का उसका अधिकार परिसीमा द्वारा वर्जित हो गया हो:

(v) जब उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वहां से बेदखल कर दिया गया हो।

(vi) जब वह किसी भू-स्वामी के सभी अधिकार अर्जित कर लेता है या उनमें सफल हो जाता है या भू-स्वामी उसे विरासत में प्राप्त करता है या अन्यथा अर्जित करता है।

(vii) जब वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसे बेचता है या दान करता है। या

(viii) यदि वह वैध पासपोर्ट प्राप्त किए बिना या विधिक प्राधिकार के बिना भारत से किसी विदेशी देश में प्रवास करता है:

(ix) यदि भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जाता है या भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 15, 1956) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पुनः ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है।

स्पष्टीकरण - खंड (आठ) के प्रयोजन के लिए, कोई किरायेदार जो भारत पासपोर्ट अधिनियम, 1920 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 34, 1920) के अधीन वैध पासपोर्ट प्राप्त किए बिना या विधिपूर्ण प्राधिकारी के बिना किसी विदेशी देश में जाता है या प्रवेश करता है, उसके बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह भारत से किसी विदेशी देश में प्रवास कर गया है।

(2) किसी किरायेदार के हित का विलोपन उसके अधीन किसी उप-किरायेदार के हित को भी समाप्त करने के लिए कार्य करेगा:

परन्तु प्रत्येक मामले में जो उपधारा (1) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट मामला नहीं है, ऐसे उपधारा (1) के अधीन, जब तक कि वह स्वयं भी इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्ध के अधीन बेदखल न कर दिया गया हो या बेदखल किए जाने के योग्य न हो या जब तक कि उसे विधि के अनुसार न होकर किसी अन्य तरीके से अपनी जोत में प्रवेश न दे दिया गया हो, ऐसी जोत में और उसमें के सुधारों में अपने प्रधान अभिधारी के अधिकार के अर्जन के लिए धारा 23, 24 और 25 के अनुसार अवधारित प्रतिकर के संदाय पर आवेदन करने का अधिकार होगा।

64. **विलुप्त होने पर रिक्ति** --इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जब किसी काश्तकार या उप-काश्तकार का हित समाप्त हो जाता है, तो वह अपनी जोत खाली कर देगा, किन्तु फसलों को हटाने के संबंध में उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बेदखल होने पर प्राप्त होते।

अध्याय 6

सुधार

65. **सरकार का सुधार करने का अधिकार** - राज्य सरकार या कोई भूस्वामी राज्य भर में किसी भी भूमि पर कोई सुधार कर सकता है या उसे प्रभावित कर सकता है।
66. **खातेदार काशतकारों का सुधार करने का अधिकार**- (1) खातेदार काशतकार अपनी जोत में कोई भी सुधार कर सकता है:

बशर्ते कि राज्य सरकार समय-समय पर:-

- (क) लोकहित में, उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों में धारा 5 के खंड (19) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी सुधार को किए जाने को प्रतिबंधित कर सकेगा, और,
- (ख) ऐसी किसी अधिसूचना के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों में ऐसे किसी सुधार को विनियमित करने के लिए नियम बनाना।
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
- (3) किसी होल्लिंग में किया गया कोई भी सुधार उस होल्लिंग का भाग माना जाएगा।

67. **भूमिधारकों का सुधार करने का अधिकार**- राज्य सरकार से भिन्न कोई भूमिधारक, तहसीलदार की मंजूरी से, निर्धारित तरीके से आवेदन करके और प्रदान की गई मंजूरी से, अपने किसी काशतकार की जोत पर कोई सुधार कर सकता है या उसे प्रभावित कर सकता है;

परन्तु यदि ऐसे खाते का काशतकार गैर खातेदार काशतकार या खुदकाशत का काशतकार या उप-काशतकार है या यदि ऐसा भूमिधारक जो सुधार करना चाहता है वह कुआं है तो ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

आगे यह भी प्रावधान है कि धारा 5 के खंड (19) के खंड (क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट सभी या कोई सुधार, जोत के कुल क्षेत्रफल के पचासवें भाग से अधिक क्षेत्र में विस्तारित नहीं होंगे, जैसा कि विहित किया जाए और विहित परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य स्थिति में स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

68. **तहसीलदार द्वारा अनुमति कब दी या अस्वीकार की जा सकेगी** - वह तहसीलदार, जिसके समक्ष धारा 67 के उपबंधों के अधीन आवेदन किया जाता है, पक्षों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात्, जैसा वह ठीक समझे, ऐसे प्रतिबंधों के, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, अधीन रहते हुए सुधार करने की अनुमति दे सकेगा अथवा अनुमति देने से इनकार कर सकेगा:

बशर्ते कि तहसीलदार किसी ऐसे कार्य के लिए अनुमति नहीं देगा, जो,

- (i) इस अधिनियम में परिभाषित सुधार नहीं है,

- (ii) जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया है, उसके लिए यह बहुत महंगा है,
- (iii) ऐसा सुधार नहीं है जिसे करने का आवेदक हकदार है, या
- (iv) धारा के अंतर्गत लिखित सहमति की आवश्यकता होती है, जब तक कि ऐसी सहमति पहले प्राप्त न कर ली गई हो।

69. जब भूमिधारक और काश्तकार दोनों एक ही सुधार करना चाहते हैं, तब उपबंध - (1) यदि खातेदार काश्तकार और उसका भूमिधारक, जो राज्य सरकार नहीं है, दोनों एक ही सुधार करना चाहते हैं, जिसके लिए वे इस अधिनियम के अधीन हकदार हैं, तो तहसीलदार आवेदन करने पर काश्तकार को कार्य निर्दिष्ट अवधि के भीतर निष्पादित करने की अनुमति देगा और उचित कारण दर्शाए जाने पर ऐसी अवधि को समय-समय पर बढ़ा सकेगा:

बशर्ते कि ऐसे विस्तार की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) यदि काश्तकार ऐसी अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर कार्य निष्पादित करने में असफल रहता है तो भू-स्वामी को ऐसा सुधार करने का अधिकार होगा।

70. अन्य काश्तकारों का सुधार करने का अधिकार- धारा 66 की उपधारा (1) के पहले और दूसरे परन्तुक द्वारा अधिरोपित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, गैर खातेदार काश्तकार या खुदकाश्त काश्तकार या उप-काश्तकार कोई सुधार कर सकता है, किन्तु वह बेदखल होने पर किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसे सुधार करने के लिए उसने तहसीलदार का पूर्व आदेश या खुदकाश्त धारक या खातेदार काश्तकार, जैसी भी स्थिति हो, की लिखित अनुमति प्राप्त न कर ली हो।

71. सुधार करने पर निर्बन्धन- इस अध्याय की कोई बात किसी काश्तकार या भू-स्वामी को, जो राज्य सरकार या भू-स्वामी न हो, हकदार नहीं बनाएगी या हकदार समझी जाएगी।

(क) किसी भी प्रकार का सुधार करना। या

(ख) किसी ऐसी भूमि के लिए अहितकर कोई सुधार करना, जो ऐसे सुधार से लाभान्वित होने वाली जोत में सम्मिलित नहीं है, जब तक कि ऐसे काश्तकार या भूमिधारक ने, यथास्थिति, भूमिधारक या राज्य सरकार की और ऐसी किसी भूमि के काश्तकार की भी लिखित सहमति प्राप्त न कर ली हो।

72. पूर्ण किराये का दायित्व - सुधार करने वाला किरायेदार, इसके विपरीत लिखित समझौते के अभाव में, होल्टिंग का पूरा किराया देने के लिए उत्तरदायी बना रहेगा:

परन्तु जहां ऐसा किराया वस्तु के रूप में देय है और उप-विभागीय अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि धारा 70 के अधीन खुदकाश्त के काश्तकार या उप-काश्तकार द्वारा

किए गए सुधार के परिणामस्वरूप कृषि उपज में वृद्धि हुई है, वहां उप-विभागीय अधिकारी काश्तकार द्वारा आवेदन किए जाने पर धारा 118 और 119 के उपबंधों के अनुसार किराए की नकद गणना करेगा।

73. हानि के लिए प्रतिकर - (1) भूमि स्वामी के रूप में, धारा 67 के अधीन किसी काश्तकार की जोत पर कोई सुधार करने या उसे प्रभावित करने वाला कोई सुधार करने पर, वह काश्तकार को ऐसी किसी हानि के लिए प्रतिकर देने के लिए दायी होगा, जो उसने ऐसा करते समय काश्तकार को पहुंचाई हो।

(2) यदि ऐसे भू-स्वामी द्वारा किए गए सुधार का प्रभाव किसी काश्तकार द्वारा ऐसे भू-स्वामी से धारित किसी भूमि की उत्पादक शक्तियों को क्षीण करना है, तो ऐसा काश्तकार, उपधारा (1) के अधीन उसे दिए जाने वाले प्रतिकर के अतिरिक्त, अपने किराये में ऐसी कटौती का हकदार होगा, जिसे न्यायालय न्यायसंगत समझे।

74. सुधार के लिए प्रतिकर-- कोई किरायेदार जिसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई सुधार किया है, निम्नलिखित मामलों में प्रतिकर पाने का हकदार होगा, अर्थात्-

(i) जब उसकी बेदखली के लिए कोई डिक्री या आदेश पारित किया जाता है। या

(ii) जब उसे गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया हो और उसने अपनी जमीन पर दोबारा कब्जा नहीं पाया हो। या

(iii) जब वह अपने पट्टे की अवधि की समाप्ति पर जोत खाली कर देता है, यदि सुधार धारा 70 के उपबंधों के अधीन किया गया था:

उसे उपलब्ध कराया-

(क) उस दशा को छोड़कर, जब काश्तकार द्वारा अपने कब्जे के लिए जोत पर बनाया गया आवास गृह हो या उसके द्वारा अपने जोत पर कृषि प्रयोजनों के लिए बनाया गया अल्पावास या कोई अन्य निर्माण हो, डिक्री की तारीख से तीस वर्ष या उससे अधिक पूर्व किए गए किसी सुधार या ऐसी बेदखली या ऐसे बेदखली या खाली कराने के लिए प्रतिकर देय नहीं होगा।

(ख) बेदखली के किसी (13) डिक्री या आदेश के निष्पादन में या बेदखली के नोटिस के अनुसरण में बेदखल किया गया किरायेदार ऐसी डिक्री या आदेश या नोटिस की तारीख के बाद उसके द्वारा शुरू किए गए किसी भी सुधार के लिए मुआवजे का हकदार नहीं होगा। और-

(ग) किसी ऐसे सुधार के लिए प्रतिकर देना संभव नहीं होगा जो सहायक कलेक्टर की राय में उस तारीख को उपयोगी नहीं रह गया है जिस तारीख को किरायेदार उसके लिए प्रतिकर पाने का हकदार हो जाता है।

75. प्रतिकर की रकम --(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी सुधार के लिए या उसके मद्दे देय प्रतिकर की रकम अवधारित करते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा--

(i) वह राशि जिससे जोत के मूल्य या उपज में ऐसे सुधार के कारण या उसके कारण वृद्धि या कमी होती है;

(ii) ऐसे कार्य की स्थिति और उसके प्रभाव की संभावित अवधि के संबंध में;

(iii) ऐसे कार्य के निर्माण के लिए नियोजित श्रम और पूंजी को, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

(क) कार्य के बदले किराए में कोई कमी या छूट या किरायेदार को कोई अन्य लाभ,

(ख) भूमिधारक द्वारा काश्तकार को धन, सामग्री या श्रम के रूप में दी गई कोई सहायता, और

(ग) पुनर्ग्रहण या असिंचित भूमि को सिंचित में परिवर्तित करने की स्थिति में, वह समयावधि जिसके दौरान मुआवजे का दावा करने वाले पक्ष को सुधार का लाभ मिला है; तथा

(iv) ऐसे अन्य विषयों पर, जो विहित किये जायें।

(2) जब किसी किरायेदार द्वारा किया गया सुधार लाभ पहुंचाता है -

(क) वह भूमि जहां से उसे बेदखल किया गया है या गलत तरीके से बेदखल किया गया है, और

(ख) उसके कब्जे में की अन्य भूमि। मुआवजे का निर्धारण इस सीमा के संदर्भ में किया जाएगा कि खंड (क) में उल्लिखित भूमि को ऐसे सुधार से किस हद तक लाभ मिला है।

76. अन्य भूमियों को लाभ पहुंचाने वाला कार्य- (1) यदि किसी काश्तकार ने ऐसी भूमि पर सुधार कार्य किया है, जिसे बकाया लगान के लिए डिक्री के निष्पादन में बेचा गया है, या जिससे उसे बेदखल कर दिया गया है, तो क्रेता या भूमिधारक, जैसा भी मामला हो, कार्य का स्वामी हो जाएगा, किन्तु काश्तकार अपने कब्जे में शेष बची भूमि के संबंध में कार्य के लाभ का उसी सीमा तक और उसी प्रकार हकदार होगा, जिस प्रकार वह अब तक इससे लाभान्वित हो रहा था।

(2) यदि किसी काश्तकार ने ऐसी भूमि पर सुधार किया है जो बकाया लगान के लिए डिक्री के निष्पादन में उसकी भूमि का एक भाग बेच दिए जाने के पश्चात् या उसे अपनी भूमि के एक भाग से बेदखल कर दिए जाने के पश्चात् उसके कब्जे में रह गई है, तो क्रेता या भूमिधारक, जैसा भी मामला हो, उस भूमि के संबंध में ऐसे कार्य का लाभ पाने का हकदार होगा जो काश्तकार के कब्जे में नहीं रह गई है, उसी सीमा तक और उसी सीमा तक और उसी रीति से जैसे कि वह उससे अब तक लाभान्वित हो रहा है।

(3) यदि किसी भू-स्वामी ने कोई ऐसा कार्य किया है, जिससे किसी काश्तकार की जोत को लाभ होता है और ऐसी जोत का पूरा भाग या उसका कोई भाग बकाया किराये के लिए डिक्री के निष्पादन में बेच दिया जाता है, तो क्रेता बेची गई भूमि के संबंध में ऐसे कार्य के लाभ का उसी सीमा तक और उसी रीति से हकदार होगा, जिस रीति से ऐसी भूमि को अब तक उससे लाभ हुआ है।

77. परिव्यय या सुधार का पंजीकरण- (1) यदि राज्य सरकार या काश्तकार के अलावा कोई भूमिधारक यह चाहता है कि किसी सुधार पर व्यय की गई राशि निर्धारित की जाए, तो तहसीलदार उस प्रयोजन के लिए उसको आवेदन किए जाने पर और दूसरे पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात तथा ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसी वह ठीक समझे, परिव्यय की राशि निर्धारित करेगा और उसे निर्धारित प्ररूप में रखे गए रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(2) रजिस्टर में की गई प्रविष्टि, कार्य की लागत के संबंध में आवेदन के पक्षकारों या उनके उत्तराधिकारियों के बीच किसी भी पश्चातवर्ती कार्यवाही में व्यय की राशि का निर्णायक सबूत होगी।

78. सुधारों के संबंध में विवाद - यदि कोई प्रश्न उठता है कि-

(क) सुधार करने का अधिकार, या

(ख) क्या कोई विशेष कार्य सुधारात्मक है, या

(ग) क्या कोई कार्य धारा 71 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, या

(घ) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर की रकम या उपधारा (2) के अधीन किराये में कटौती की रकम। या

(ई) क्या किसी सुधार के लिए मुआवजा देय है, या

(च) ऐसे मुआवजे की रकम। या

(छ) धारा 73 के अधीन सुधार के लाभ का अधिकार।

सहायक कलेक्टर आवेदन पर या अन्यथा प्रश्न का निर्णय करेंगे।

अध्याय 7

पेड़

79. पेड़ लगाने के लिए काश्तकार के अधिकार - (1) काश्तकार अपनी जोत पर पेड़ लगा सकता है, बशर्ते कि ऐसे पेड़ों से भूमि का उत्पादक मूल्य कम न हो और ऐसा काश्तकार जोत का पूरा किराया देना जारी रखे।

(2) यदि कोई काश्तकार इस प्रकार वृक्ष लगाता है या लगाने का प्रस्ताव करता है कि उसके खाते में सम्मिलित न की गई भूमि का मूल्य कम हो जाए, तो कोई व्यक्ति, जिसका हित उससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, ऐसी भूमि पर वृक्ष लगाने पर रोक लगाने या काश्तकार को उस पर पहले से लगाए गए वृक्षों को हटाने का निर्देश देने के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकता है और तहसीलदार प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने और ऐसा करने के पश्चात्, जैसा वह ठीक समझे, आवेदन को ऐसे संशोधनों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जैसा वह ठीक समझे, या तो स्वीकार कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है।

79ए. सार्वजनिक सड़कों के किनारे सरकारी भूमि पर पेड़ लगाने का काश्तकार का अधिकार - काश्तकार अपनी जोत से लगी सार्वजनिक सड़क के किनारे सरकारी भूमि (चाहे कृषि योग्य हो या अन्यथा) पर ऐसे विशेष या सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए पेड़ लगा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं और ऐसे पेड़ ऐसे काश्तकार की संपत्ति होंगे।

80. इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान वृक्षों पर काश्तकार का अधिकार - इस अधिनियम या किसी प्रथा या संविदा में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ पर खातेदार काश्तकार की जोत पर खड़े बिखरे वृक्ष ऐसे काश्तकार में निहित होंगे:

परन्तु जहां ऐसे वृक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ पर किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति हों, वहां ऐसे व्यक्ति को काश्तकार द्वारा उस निमित्त विहित नियमों के अनुसार प्रतिकर दिया जाएगा।

81. खाली भूमि पर वृक्ष (1) - कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर खाली भूमि पर खड़े किसी वृक्ष पर विधिपूर्ण कब्जा रखता है, उस पर अपना कब्जा बनाए रखेगा और जहां भूमि किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दी गई है, वहां वृक्ष ऐसे अन्य व्यक्ति में निहित हो जाएगा - धारा 80 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित प्रतिकर के भुगतान के अधीन रहते हुए।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, खाली भूमि पर खड़ा या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में लगाया गया कोई वृक्ष भूमिधारक की संपत्ति समझा जाएगा।

82. भूमि से स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय न होने वाले वृक्ष -- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी भी होल्डिंग पर खड़े सभी वृक्ष भूमि से जुड़े हुए समझे जाएंगे और इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् उसमें हित भूमि से स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होंगे और ऐसे वृक्षों की उपज को एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे के रूप में दिए जाने के सिवाय, हस्तांतरणीय नहीं होंगे।

83. **वृक्षों को हटाया नहीं जा सकेगा, सिवाय जैसा उपबंधित है**- किसी विधि, प्रथा या अनुबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अधिभोगित या खाली भूमि पर खड़े वृक्षों को वहां से हटाया नहीं जा सकेगा, सिवाय जैसा धारा 84 में उपबंधित है।

84. **पेड़ों को कब और किसके द्वारा हटाया जा सकता है** -

(1) **छोड़ा गया.**

(2) सीलिंग क्षेत्र से नीचे भूमि पर कब्जा करने वाला खातेदार काशतकार किसी भी प्रयोजन के लिए अपने कब्जे में खड़े वृक्षों को हटा सकता है;

परन्तु ऐसा कोई भी काशतकार अपने वास्तविक या कृषि उपयोग के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए वृक्षों को ऐसे प्राधिकारी की अनुमति के बिना तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए नहीं हटाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) गैर खातेदार काशतकार, तहसीलदार की पूर्व अनुमति से, अपने खाते में खड़े किसी भी वृक्ष को अपने घरेलू या कृषि उपयोग के लिए हटा सकेगा।

(4) कोई उप-किराएदार, उस व्यक्ति की पूर्व अनुमति से, जिससे वह भूमि रखता है, अपने घरेलू या कृषि उपयोग के लिए अपनी भूमि पर खड़े किसी भी वृक्ष को हटा सकता है।

(5) खातेदार काशतकार, जो अधिकतम सीमा से अधिक भूमि रखता है और उसमें निहित या उसके कब्जे में मौजूद किसी वृक्ष को हटाना चाहता है, वह उपखण्ड अधिकारी द्वारा दी जाने वाली अनुज्ञप्ति के अधीन ऐसा कर सकेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, विहित रीति से आवश्यक जांच करने के पश्चात् तथा विहित विषय पर विचार करने के पश्चात्, विहित फीस के संदाय पर, ऐसे निबंधनों, निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, विहित प्ररूप में अपेक्षित अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा।

(7) इस धारा की कोई बात राज्य सरकार पर लागू नहीं होगी या राजस्व अभिलेखों में राज्य के नाम से दर्ज किसी भूमि पर किसी प्रयोजन के लिए खड़े किसी वृक्ष को हटाने, हटवाने या हटाने का आदेश देने के राज्य सरकार के अधिकार या शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

85. **वृक्षों से संबंधित विवाद** - यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है -

(क) किसी भी पेड़ को लगाने के अधिकार के संबंध में, या

(ख) इसे लगाने के तरीके के बारे में, या

(ग) उसके स्वामित्व के संबंध में, या

(घ) उसे हटाने के अधिकार के संबंध में, ऐसे विवाद का निर्णय आवेदन पर या अन्यथा तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।

86. **गैरकानूनी निष्कासन के लिए दंड** - जो कोई भी धारा 83 या धारा 84 के सभी या किसी भी प्रावधान या इसके तहत दिए गए लाइसेंस की किसी भी शर्त या प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, वह एक सहायक कलेक्टर द्वारा उसके पास किए गए आवेदन या रिपोर्ट पर दंडनीय होगा।

(क) प्रथम उल्लंघन की स्थिति में:

(i) जहां कोई वृक्ष हटाया गया हो, वहां हटाए गए प्रत्येक वृक्ष के लिए एक सौ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा; तथा

(ii) अन्य मामले में, जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक हो सकेगा; तथा

(ख) दूसरे या पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में, जुर्माने से, जो खंड (क) के अधीन लगाए जा सकने वाले जुर्माने की रकम से दुगुना हो सकेगा, दण्डित किया जा सकेगा और कोई वृक्ष या उसकी लकड़ी, जिसके संबंध में ऐसा उल्लंघन किया गया हो, राज्य सरकार को जब्त कर ली जाएगी।

87. **छोड़ा गया.**

अध्याय आठ

घोषणात्मक मुकदमे

88. **अधिकार की घोषणा के लिए वाद-** (1) कोई व्यक्ति जो किरायेदार या सह-किरायेदार होने का दावा करता है, यह घोषणा करने के लिए वाद ला सकता है कि वह किरायेदार है या ऐसी संयुक्त किरायेदारी में अपने हिस्से की घोषणा के लिए वाद ला सकता है।

(2) खुदकाशत का किरायेदार यह घोषणा करने के लिए वाद ला सकेगा कि वह ऐसा किरायेदार है।

(3) उप-किरायेदार उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद ला सकता है जिससे वह संपत्ति रखता है, ताकि यह घोषित किया जा सके कि वह उप-किरायेदार है।

(4) राज्य सरकार से भिन्न कोई भू-धारक किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो किसी खाते का किरायेदार या सह-किरायेदार या खुदकाशत का किरायेदार या उप-किरायेदार होने का दावा करता है, ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

89. **किरायेदारी के वर्ग आदि के संबंध में वाद** - किरायेदारी के जारी रहने के दौरान किसी भी समय, राज्य सरकार के अलावा किरायेदार या भूमिधारक निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के संबंध में घोषणा के लिए वाद दायर कर सकता है, अर्थात्:-

(क) वह वर्ग जिससे किरायेदार संबंधित है।

(ख) जोत का क्षेत्र, क्रमांकित भूखण्ड या सीमाएं।

(ग) होल्टिंग के संबंध में देय किराया और वह तरीका जिससे वह देय होगा:

(घ) देय किराये की दशा में, वह तारीखें जिनको तथा जिन किशतों में वह देय है।

(ङ) वस्तु के रूप में देय लगान की दशा में, मूल्यांकन का समय, स्थान और रीति, फसलों का विभाजन या परिदान।

(च) गैर खातेदार काशतकार या खुदकाशत काशतकार या उप-काशतकार की दशा में, वह अवधि जिसके लिए काशतकारी चलनी है। तथा।

(छ) कोई विशेष शर्तें जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों।

90. **भूमि को खुदकाशत घोषित करने के लिए वाद** -जब किसी काशतकार द्वारा अपनी जोत या अपनी खेती के रूप में दावा किया जाता है, तो उस भूमि को भू-स्वामी द्वारा भी अपनी खुदकाशत के रूप में दावा किया जाता है, तब ऐसा काशतकार या भू-स्वामी अपनी स्थिति की घोषणा के लिए वाद दायर कर सकता है।

91. **अन्य अधिकारों की घोषणा के लिए वाद**- अन्यथा विशिष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपने सभी या किन्हीं अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है, जिनका अन्यथा उपबंध नहीं है।

92. **अनेक होल्टिंग्स के संबंध में एकल वाद**-- अनेक होल्टिंग्स के संबंध में धारा 88 या धारा 89 या धारा 90 के उपबंधों के अधीन एकल वाद संस्थित किया जा सकता है, बशर्ते कि पक्षकार एक ही हों।

92ए. **निषेधाज्ञा के लिए वाद** --इस अधिनियम में अन्यत्र अन्यथा विशिष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपने सभी या किसी अधिकार के संबंध में, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 (केन्द्रीय अधिनियम 1, 1877) के अध्याय 10 के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए, निषेधाज्ञा के लिए वाद ला सकेगा।

अध्याय 9

किराये का निर्धारण और संशोधन

सामान्य प्रावधान

93. **किराये के भुगतान का दायित्व** - प्रत्येक किरायेदार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किराये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

परन्तु आबू, अजमेर या सुनेल क्षेत्र में भूमि का काशतकार उस दर पर किराया देना जारी रखेगा जिस पर वह राजस्थान राजस्व कानून (विस्तार) अधिनियम, 1957 के लागू होने से

ठीक पहले देय था, जब तक कि उसे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 1056) के इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्धारित या परिवर्तित नहीं कर दिया जाता।

94. **प्रारंभिक किराया** - इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भूमि पर अधिभोग ग्रहण करने पर काश्तकार ऐसा किराया देने के लिए उत्तरदायी होगा जैसा उसके और उसके भू-स्वामी के बीच तय हो।
95. **किराये के संबंध में उपधारणा** - किसी किरायेदार द्वारा देय किराया या किराये की दर या दर धारा 94 के अधीन उसके द्वारा देय किराया या किराये की दर मानी जाएगी, जब तक कि उसमें इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है।

किराये की अधिकतम सीमा

96. **सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली अधिकतम नकद किराया** - किसी भी कानून, नियम, प्रयोग या प्रथा के विपरीत होने पर भी राज्य सरकार से सीधे कोई भूमि रखने वाले काश्तकार से नकद किराए के रूप में वसूल की जाने वाली अधिकतम राशि - से अधिक नहीं होगी।

(क) जहां ऐसी भूमि के संबंध में किराया तय कर दिया गया है, वहां अंतिम बंदोबस्त के दौरान उसके लिए स्वीकृत किराया दर, और

(ख) जहां ऐसी भूमि के संबंध में किराये का निपटान नहीं किया गया है, वहां पड़ोस में समान भूमि के लिए अंतिम निपटान के दौरान स्वीकृत किराये की दर।

97. **अधिकतम नकद किराया निर्धारित करने का प्राधिकार** - इसके विपरीत किसी प्रथा, प्रयोग या प्रथा, या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून, अधिनियम, नियम, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार धारा 98, 99 और 100 के उपबंधों के अनुसार किसी संपदा-धारक द्वारा किसी किरायेदार से या किसी किरायेदार द्वारा किसी उप-किरायेदार से वसूल किए जाने वाले नकद किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकेगी।
98. **जहां भू-राजस्व का निपटान हो चुका है, वहां अधिकतम किराया** - ऐसे क्षेत्रों में जहां भू-राजस्व का निपटान हो चुका है और काश्तकारों द्वारा किराया नकद देय है, वहां संपदा-धारक द्वारा वसूल किया जाने वाला अधिकतम किराया राज्य सरकार द्वारा भू-राजस्व की राशि और अन्य कृषि-स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा और वह ऐसे भू-राजस्व की राशि से तीन गुना से अधिक नहीं होगा।
99. **उन क्षेत्रों में अधिकतम किराया जहां किराये का निपटान हो चुका है** - उन क्षेत्रों में जहां किराये का निपटान हो चुका है और उप-किरायेदार किराये का भुगतान नकद में करते हैं, वहां किरायेदार द्वारा अपने उप-किरायेदार से वसूल किया जाने

वाला अधिकतम किराया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा ताकि वह ऐसे किरायेदार द्वारा देय राशि के दोगुने से अधिक न हो।

100. **कतिपय मामलों में उच्चतम अधिकतम सीमा** - धारा 98 और 99 में किसी बात के होते हुए भी, शहरी क्षेत्र में किसी होलिंग के संबंध में देय नकद किराए की राशि या किसी विधवा, अवयस्क, विकलांग व्यक्ति या किसी ऐसे विद्यार्थी को, जो 25 वर्ष से कम आयु का है और किसी मान्यताप्राप्त संस्था में अध्ययन कर रहा है, देय नकद किराए की राशि उक्त धाराओं के अधीन निर्धारित अधिकतम राशि के डेढ़ गुना तक हो सकेगी।

स्पष्टीकरण - इस धारा में 'नगरीय क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें कम से कम 15,000 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले किसी कस्बे के दो मील के भीतर आबादी तथा कृषि भूमि सम्मिलित है।

101. **धारा 98, 99 और 100 के उपबंधों के अनुसार धारा 97 के अधीन निर्धारित अधिकतम किराया, किसी किरायेदार या उप-किरायेदार से वसूल किए जाने वाले किराये की राशि में वृद्धि को प्रभावित करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर, निर्धारित अधिकतम से कम दर पर किराया दे रहा हो।**

101ए. असंबद्ध भूमियों पर फल वृक्षों के नीचे की भूमियों पर लागू न होने वाली अधिकतम सीमा के बारे में उपबंध- धारा 98, 99 और 100 के उपबंध उन भूमियों पर लागू नहीं होंगे जो फल वृक्षों के नीचे हैं और जिनके संबंध में भू-राजस्व का निपटान नहीं किया गया है।

102. **अधिक वसूली गई रकम की वसूली** - यदि कोई भू-स्वामी धारा 97 के साथ पठित धारा 98, 99 और 100 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम किराये से अधिक किराया वसूल करता है तो ऐसी अधिक राशि ऐसे भू-स्वामी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी, बशर्ते कि काश्तकार ऐसी वसूली के तीन वर्ष के भीतर तहसीलदार को इस संबंध में आवेदन करे।

103. **कुछ मामलों में वस्तु लगान का नकद लगान में परिवर्तन** - ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें लगान की दरें विकसित, निर्धारित और स्वीकृत नहीं की गई हैं, किन्तु कर निर्धारण सर्किल बना दिए गए हैं और सर्किल दरें निर्धारित कर दी गई हैं, सहायक कलेक्टर आवेदन करने पर, ऐसी दरों के आधार पर काश्तकारों द्वारा देय नकद लगान का निर्धारण कर सकेगा और निर्धारित तरीके से गांव में इस प्रकार निर्धारित लगान की घोषणा कर सकेगा।

104. **वस्तु के रूप में किराये की अधिकतम दर** - (1) किसी भी अनुबंध, प्रथा, प्रयोग या प्रथा के विपरीत होने पर भी, जहां किराये वस्तु के रूप में देय हैं, वहां भूमि धारक द्वारा काश्तकार से वसूली जाने वाली अधिकतम राशि प्रत्येक फसल के लिए सकल उपज के छठे भाग से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि राज्य सरकार, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (11) में उल्लिखित किसी व्यक्ति को उप-किरायेदार द्वारा किराए के रूप में देय इस धारा के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम वस्तुगत किराए से अधिक राशि का निर्धारण कर सकेगी।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा में 'सकल उपज' पद के अंतर्गत पुआल, भूसा या फसल या घास के सूखे डंठल या पला, लूंग या पापड़ी जैसी कोई अन्य प्राकृतिक उपज शामिल नहीं है। (2) उपधारा (1) की कोई बात -

(क) धारा 94 के अधीन सहमत या धारा 115 के अधीन निर्धारित किराए के रूप में किरायेदार द्वारा देय राशि या अनुपात में, जैसा भी मामला हो, वृद्धि करने के लिए कार्य करेगा। या

(ख) कपास, चारा, जीरा, धनिया, तम्बाकू, अलसी और इसी प्रकार की किसी भी फसल के संबंध में देय प्रथागत दर पर किसी ऐसे किराये (जिसे स्थानीय रूप से बिघोरी कहा जाता है) को प्रभावित नहीं करेगा। या

(ग) राजस्थान लघु सिंचाई एवं जल निकास संकर्म अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम संख्या 12, 1953) के उपबंधों के अनुसार किसी काश्तकार को दुष्प्रेरित करने के अधिकार या किसी भू-स्वामी को वृद्धि या किराया देने के अधिकार पर रोक लगा सके। अथवा

(घ) इस अधिनियम के अलावा, वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत लगाए गए किसी भी शुल्क, प्रभार की दर को प्रभावित करना।

105. **जहां भूमिधारक उत्पादन में योगदान देता है, वहां वस्तु दर की उच्च दर** - जहां भूमिधारकों द्वारा फसल-बंटवारा उप-किराएदारों या खुदकाश्त के काश्तकारों के साथ अनुबंधित किया जाता है और भूमिधारक खाद और बीज पर व्यय को पचास प्रतिशत की सीमा तक साझा करके फसलों के उत्पादन में योगदान देता है, धारा 104 के अनुसार वसूली योग्य वस्तु किराया सकल उपज के एक चौथाई तक हो सकता है:

परन्तु इस धारा के अधीन फसल बंटवारे के अनुबंध को राजस्व न्यायालय द्वारा तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा अनुबंध भूमिधारक द्वारा उप-किराएदार या खुदकाश्त के काश्तकार के साथ पंजीकृत विलेख के अधीन न किया गया हो।

किराये की गणना

106. **किराये की गणना कैसे की जाएगी** - किसी होल्लिंग के लिए किराये की गणना सामान्यतः उस क्षेत्र के लिए निर्धारित और स्वीकृत किराये की दरों के अनुसार की जाएगी जिसमें ऐसी होल्लिंग स्थित है।

किराया दरें और किराया दर अधिकारी की नियुक्ति

107. **कतिपय परिस्थितियों में किराया-दरों का निर्धारण** - किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसके लिए किराया दरें निर्धारित नहीं की गई हैं या जिसमें बंदोबस्त की अवधि की समाप्ति से पूर्व किराया दरों में संशोधन आवश्यक समझा जाता है, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना जारी किए बिना -

(I) आदेश दे सकेगा कि ऐसे क्षेत्र या किसी जिले या उसके किसी भाग के लिए किराया-दरें पुनरीक्षण द्वारा या अन्यथा निर्धारित की जाएंगी, और

(ii) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किराया दर प्रस्तावित करने के लिए सहायक कलेक्टर से नीचे के पद के किसी अधिकारी को, जिसे आगे किराया अधिकारी कहा जाएगा, नियुक्त कर सकेगा।

108. **किराया-दरों की अवधि** -जब किसी क्षेत्र या क्षेत्र के भाग के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किराया-दरें अवधारित कर दी गई हों, तब उनका तब तक पुनः अवधारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे क्षेत्र या भाग की बंदोबस्त की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है:

परन्तु राज्य सरकार इस आधार पर कि कृषि उपज या किसी विशेष प्रकार की उपज के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि या गिरावट हुई है, पहले की तारीख पर किराया-दरों के निर्धारण का आदेश दे सकेगी:

आगे यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार लगान-दरों के निर्धारण को ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे, या तो इस आधार पर कि कृषि उपज की कीमतों में कोई पर्याप्त वृद्धि या गिरावट नहीं हुई है, या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर।

109. **किराया दर अधिकारी की अतिरिक्त शक्तियां** - (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किराया दरें प्रस्तावित करने के अतिरिक्त, किराया दर अधिकारी, यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा सशक्त किया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किराए के निर्धारण, संराशीकरण, उपशमन और वृद्धि के लिए वादों का निर्णय करेगा।

(2) ऐसे वाद उसके न्यायालय में बोर्ड की मंजूरी से उसके द्वारा नियत की गई अवधि के भीतर संस्थित किए जा सकेंगे और उसमें पारित डिक्री और आदेश अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन के अधीन होंगे मानो वे सहायक कलेक्टर द्वारा पारित डिक्री और आदेश हों।

किराया-दर निर्धारित करने की प्रक्रिया

110. **सर्किलों का गठन और मिट्टी का वर्गीकरण** - (1) यदि वह क्षेत्र जिसके लिए किराया दरें निर्धारित की जानी हैं, पहले से ही मूल्यांकन सर्किलों में विभाजित है, तो

किराया दर अधिकारी प्रत्येक सर्किल के लिए और उसमें मिट्टी के प्रत्येक अलग वर्ग के लिए अलग-अलग दरें प्रस्तावित करेगा।

(2) यदि वह क्षेत्र, जिसके लिए लगान दरें निर्धारित की जानी हैं, कर निर्धारण वृत्तों में विभाजित नहीं किया गया है या उसकी भूमि का वर्गीकरण नहीं किया गया है या यदि उसमें संशोधन अपेक्षित है, तो किराया दर अधिकारी भूमि का वर्गीकरण करेगा और राजस्थान भूमि संक्षिप्त बंदोबस्त अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम उन्नीस, 1953) में अधिकथित रीति से वृत्त बनाएगा तथा प्रत्येक वृत्त में भूमि के प्रत्येक वर्ग के लिए किराया दरें प्रस्तावित करेगा।

111. **दरों का आधार** - किराया दर अधिकारी ऐसी किराया दर प्रस्तावित करेगा जो उसे उचित प्रतीत हो और ऐसा करते समय वह निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा और उनकी तुलना करेगा-

(i) उन किरायेदारों द्वारा भुगतान किए गए किराए का स्तर, जिनके पास कई वर्षों तक पर्याप्त संपत्ति थी या जिन्हें अलग-अलग समय पर पर्याप्त संपत्ति रखने की अनुमति दी गई थी;

(ii) उस समय पड़ोस के मुख्य बाजारों में प्रचलित कृषि उपज की कीमतें;

(iii) उगाई गई फसलों और उपज की मात्रा में परिवर्तन;

(iv) उपज का मूल्य, यह देखने के लिए कि प्रस्तावित दरों पर जोत का मूल्यांकन ऐसे मूल्य के छोटे भाग से अधिक न हो;

(v) फसलों का चक्रीकरण तथा विश्राम की अवधि जो काश्तकार आमतौर पर भूमि पर बोते हैं;

(छह) उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसके लिए दरें प्रस्तावित हैं, या राज्य के अन्य भागों में फसल कटाई प्रयोगों का परिणाम;

(vii) खेती का खर्च, तथा किसान को अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण पर होने वाला खर्च, और

(viii) ऐसे अन्य मामले जो सामान्यतः किरायेदार द्वारा देय किराये को प्रभावित करते हैं।

112. **प्रस्तावित दरों की संशोधन सहित या उसके बिना प्रयोज्यता** - किराया दर अधिकारी प्रत्येक गांव के लिए यह भी रिकार्ड करेगा कि क्या उसके द्वारा प्रस्तावित दरें संशोधन के बिना लागू हैं या किस सीमा तक उनमें समग्र गांव के लिए या उसमें निर्दिष्ट क्षेत्र या मिट्टी के वर्ग के लिए संशोधन की आवश्यकता है, और ऐसे गांव, क्षेत्र या वर्ग पर उनके लागू होने पर दरें तदनुसार संशोधित समझी जाएंगी।

113. **विशेष मामलों में दरों के लिए प्रावधान** - किराया दर अधिकारी - भी प्रस्ताव करेगा

- (i) अस्थिर और स्थानान्तरित खेती वाले क्षेत्रों के लिए संशोधित किराया दरें और
- (ii) जब किसी गांव के लगान का बड़ा हिस्सा वस्तु के रूप में चुकाया जाता है, तो ऐसे लगान के परिवर्तन की दरें;

114. **किराया-दरों के प्रकाशन और अनुमोदन की प्रक्रिया**- (1) किराया दर अधिकारी पूर्वगामी धाराओं के अधीन अपने द्वारा किए गए प्रस्तावों और अभिलेखों को ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा, जैसी विहित की जाए और ऐसे प्रस्तावों और अभिलेखों के संबंध में की गई किसी भी आपत्ति को प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा।

(2) जब ऐसी आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार कर लिया गया हो और विहित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटारा कर दिया गया हो, तो किराया दर अधिकारी अपने द्वारा किए गए प्रस्तावों और अभिलेखों को, यदि कोई हो, ऐसे संशोधनों के पश्चात्, जैसा वह ठीक समझे, बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किराया दर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और अभिलेखों की प्राप्ति पर, बोर्ड ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझे, ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदित या परिवर्तित कर सकेगा और उन्हें राज्य सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा।

(4) राज्य सरकार प्रस्तावों को संशोधन सहित या उसके बिना स्वीकृत कर सकेगी अथवा पुनर्विचार के लिए बोर्ड को वापस भेज सकेगी।

(5) राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत किराया दरें, प्रश्रुत क्षेत्र के लिए स्वीकृत किराया दरें होंगी, जब तक कि उनमें कानून के अनुसार परिवर्तन या संशोधन न कर दिया जाए।

किराये का निर्धारण

115. **किराए का निर्धारण** - (1) जब किसी किराए पर सहमति नहीं हुई है और किसी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भूमि पर कब्जा करने के लिए स्वीकार किया गया है जो उसे स्वीकार करने या अनुमति देने का हकदार है, इस आशय से कि उससे काश्तकारी का अनुबंध प्रभावी हो जाए, तो इस प्रकार स्वीकार किया गया व्यक्ति या उसे इस प्रकार स्वीकार करने या अनुमति देने का हकदार व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि का किराया निर्धारित करने के लिए और ऐसे किराए के बकाया के लिए डिक्री के लिए वाद ला सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी मामले में पारित डिक्री उस तारीख से प्रभावी होगी, जो न्यायालय निर्दिष्ट करे।

116. **आंशिक बेदखली या समर्पण पर 'किराये का निर्धारण'** - जब किसी काश्तकार को न्यायालय के आदेश या डिक्री के अधीन उसकी जोत के केवल एक भाग से बेदखल कर दिया जाता है, या वह ऐसे भाग को विधिक रूप से समर्पित कर देता है, तो वह या राज्य सरकार के सिवाय भू-स्वामी किसी भी समय उस न्यायालय में आवेदन कर सकेगा, जिसमें बेदखली का वाद होगा, शेष भाग के किराए के निर्धारण के लिए।

117. **कुछ मामलों में लगान के बारे में विवाद-** (1) जब किसी जोत के संबंध में देय लगान फसल से भिन्न हो जाता है और ऐसी किसी फसल के बारे में कोई विवाद है, तो तहसीलदार, आवेदन किए जाने पर, फसलों की स्थिति और यदि कोई हो, तो उनकी क्षति की सीमा का पता लगाने के लिए जोत का निरीक्षण कर सकता है और यदि फसलें हटा दी गई हैं, तो तहसीलदार आवश्यक जांच करने के बाद पक्षकारों के आचरण से ऐसे निष्कर्ष निकाल सकता है जो उसे उचित प्रतीत हों।

(2) जब किसी जोत के किराये के भुगतान के लिए अब तक अपनाई गई प्रथा के बारे में कोई विवाद हो, तो तहसीलदार आवेदन किए जाने पर और निर्धारित तरीके से संक्षिप्त जांच करने के बाद ऐसे विवाद पर अपना पंचाट दे सकेगा और किराया ऐसे पंचाट के अनुसार तब तक देय होगा जब तक कि उसे उपधारा (3) के अनुसार रद्द या संशोधित नहीं कर दिया जाता।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन दिए गए किसी पंचाट से स्वयं को व्यथित महसूस करता है, उसमें परिवर्तन के लिए या उसे किसी भी आधार पर अपास्त करने के लिए वाद ला सकता है।

(4) जहां शेष राशि के भुगतान के ढंग के बारे में विवाद है, अर्थात् ऐसा किराया नकद या पश्चवर्ती रूप में देय है या फसल के आकलन या मूल्यांकन पर आधारित है या बोई गई फसल या कटाई या कटाई के मूल्यों के साथ भिन्न दरों पर आधारित है या भागतः एक ऐसे तरीके से और भागतः दूसरे या अन्य तरीकों से है, वहां भूस्वामी या काश्तकार ऐसे ढंग की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

118. **लगान का संराशीकरण** - (1) जहां लगान अब तक वस्तु के रूप में दिया गया है या वह फसल के अनुमान या मूल्यांकन पर या बोई गई फसल या कटाई या कटाई की कीमतों के साथ बदलती दरों पर या भागतः ऐसे तरीकों में से एक और भागतः ऐसे तरीकों में से किसी अन्य या अन्य पर आधारित है, राज्य सरकार या काश्तकार से भिन्न भूमिधारक ऐसे लगान को निश्चित मौद्रिक लगान में संराशीकरण के लिए वाद ला सकता है और न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे, परंतु ऐसे वाद में जिसमें भूमिधारक वादी है और काश्तकार द्वारा यह दलील दी जाती है कि जोत की उपज का खेती योग्य क्षेत्र जंगली जानवरों, बाढ़ से नुकसान के कारण असाधारण रूप से उतार-चढ़ाव के लिए

उत्तरदायी है और यदि न्यायालय समझता है कि संराशीकरण अवांछनीय है तो वह वाद को खारिज कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी वाद में पारित डिक्री उस कृषि वर्ष के प्रारम्भ से प्रभावी होगी, जिसमें ऐसी डिक्री पारित की गई थी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह निदेश न दे कि वह किसी पूर्वतर या पश्चातवर्ती तारीख से प्रभावी होगी, जो विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(3) किसी काश्तकार द्वारा राज्य सरकार से सीधे धारित भूमि के मामले में, किराये के रूपान्तरण के लिए कोई वाद आवश्यक नहीं होगा और काश्तकार ऐसे रूपान्तरण के लिए सहायक कलेक्टर को आवेदन कर सकेगा और उस मामले में इस धारा के अन्य उपबन्ध ऐसे आवेदन पर लागू होंगे।

119. **चालू अवधि और लगान** - जब किसी भूमि के संबंध में लगान धारा 115 के अधीन नियत कर दिया गया है या धारा 118 के अधीन परिवर्तित कर दिया गया है, तब उसमें तब तक परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा जब तक उस क्षेत्र के, जिसमें ऐसी भूमि स्थित है, बन्दोबस्त की अवधि समाप्त न हो जाए या जब तक उसमें इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिवर्तन न कर दिया जाए।

किराये में संशोधन

120. **किराया परिवर्तित करने की विधि**- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी किरायेदार (जिसके अंतर्गत खुदकाश्त का किरायेदार और उप-किरायेदार भी है) का किराया केवल निम्नलिखित आधार पर बढ़ाया या कम किया जा सकेगा-

(क) पंजीकृत समझौते द्वारा, या

(ख) राज्य सरकार से सीधे धारित भूमि के मामले में, काश्तकार के आवेदन पर या तहसीलदार की रिपोर्ट पर, किसी वाद में पारित सक्षम राजस्व न्यायालय की डिक्री या आदेश द्वारा।

121. **किराया वृद्धि के आधार**- किसी किरायेदार का किराया इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर बढ़ाया जा सकता है, अर्थात:

(i) कि किरायेदार द्वारा देय किराया उसके लिए उपयुक्त स्वीकृत किराया-दरों पर गणना किए गए किराए से काफी कम है, या

(ii) कि काश्तकार के पास मौजूद भूमि की उत्पादक शक्ति नदी संबंधी क्रियाकलापों के कारण बढ़ गई है, या

(iii) कि काश्तकार के पास मौजूद भूमि की उत्पादक शक्तियाँ भूमिधारक द्वारा या उसके खर्च पर किए गए सुधार से बढ़ गई हैं, या

(iv) कि काश्तकार की जोत का क्षेत्रफल जलोढ़ या अन्य प्रकार से बढ़ा दिया गया है:

परन्तु किसी भी दशा में किराया इतना नहीं बढ़ाया जाएगा कि वह इस अध्याय में निर्धारित अधिकतम राशि से अधिक हो जाए।

122. **वृद्धि की सीमाएं** - किसी किरायेदार का किराया उसके वर्तमान किराए के एक चौथाई से अधिक बढ़ाया जाएगा, इस शर्त के अधीन कि निर्धारित किराया किसी भी मामले में उचित स्वीकृत किराया-दरों पर गणना किए गए किराए के तीन-चौथाई से कम नहीं होगा:

उसे उपलब्ध कराया -

(i) यह धारा क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण किराये में वृद्धि के मामले में लागू नहीं होगी, और

(ii) वृद्धि को तीन वर्षों से अधिक नहीं, बल्कि वार्षिक वेतन वृद्धि द्वारा प्रभावी करने का आदेश दिया जाएगा, यदि वह विद्यमान किराये के एक-चौथाई से कम न हो।

123. **वृद्धि के वाद या आवेदन में किरायेदार की दलील** - यदि वह किरायेदार, जिससे किराया वृद्धि का दावा किया गया है, यह साबित कर देता है कि दावा की गई वृद्धि का पूरा भाग या उसका कोई भाग किसी ऐसे सुधार के कारण है जो उसके द्वारा पिछले वर्ष में किया गया था और जिसे करने का वह हकदार था, तो न्यायालय केवल ऐसी वृद्धि के लिए, यदि कोई हो, डिक्री या आदेश पारित करेगा जैसा कि वह पारित कर सकता था, यदि किरायेदार ने कोई सुधार नहीं किया होता।

124. **किराये में कमी के आधार** - किसी किरायेदार का किराया इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर कम किया जा सकेगा, अर्थात्:

(i) कि किरायेदार द्वारा देय किराया उसके लिए उपयुक्त स्वीकृत किराया-दरों पर गणना किए गए किराए से काफी अधिक है; या

(ii) कि वर्तमान लगान के प्रचलन के दौरान भूमिधारक द्वारा किए गए सुधार या काश्तकार के नियंत्रण से परे किसी कारण से काश्तकार की भूमि की उत्पादक शक्तियाँ कम हो गई हैं; या

(iii) उसकी जोत का क्षेत्रफल जलमग्नता या अतिक्रमण के कारण या किसी सार्वजनिक प्रयोजन या सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य के लिए भूमि लेने के कारण कम हो गया है; या

(iv) कि उसके द्वारा देय किराया उस पट्टे, करार, डिक्री या आदेश में निर्दिष्ट किसी आधार पर कम किया जा सकता है जिसके तहत वह किराया धारण करता है; या

(v) ऐसा किराया इस अध्याय में निर्धारित अधिकतम किराया से अधिक है।

125. **वृद्धि या कमी कब प्रभावी होगी** - लगान में वृद्धि या कमी के लिए प्रत्येक डिक्री या आदेश, उस कृषि वर्ष के अगले वर्ष के प्रारंभ से प्रभावी होगा जिसमें ऐसी डिक्री या आदेश पारित किया गया था, जब तक कि न्यायालय विशेष कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश न दे कि यह किसी पूर्वतर या पश्चातवर्ती तारीख से प्रभावी होगी, जो विनिर्दिष्ट की जाएगी।
126. **कृषि आपदाओं में लगान की छूट या निलंबन** - किसी क्षेत्र में अकाल या अभाव पड़ने पर या किसी क्षेत्र की फसलों को प्रभावित करने वाली कृषि आपदा आने पर, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई प्राधिकारी, राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, ऐसे क्षेत्र में किसी काश्तकार द्वारा देय लगान के पूरे भाग या उसके किसी भाग को किसी अवधि के लिए छूट या निलंबित कर सकेगा।
127. **परिसीमा अवधि की गणना में निलंबन की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा** --जब किसी राशि का भुगतान धारा 126 के उपबंधों के अनुसार निलंबित कर दिया गया है, तो वह अवधि, जिसके दौरान निलंबन जारी रहता है, ऐसी राशि की वसूली के लिए किसी वाद या आवेदन के लिए विहित परिसीमा अवधि की गणना में शामिल नहीं की जाएगी।
128. **प्रेषित या निलम्बित किराये की वसूली न करना**-- कोई भी भू-स्वामी ऐसा किराया, जिसका भुगतान धारा 126 के अधीन या निलम्बन की अवधि के दौरान निलम्बित कर दिया गया है, या ऐसा किराया, जिसका भुगतान उक्त धारा के अधीन निलम्बित कर दिया गया है, न तो एकत्र करेगा और न ही उसकी वसूली के लिए कोई वाद या आवेदन प्रस्तुत करेगा।

असाधारण और आपातकालीन प्रावधान

129. **आपात स्थितियों में लगान का पुनरीक्षण** - (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जब राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि किसी असाधारण कारण से कृषि उपज की कीमतों में अचानक और पर्याप्त वृद्धि हुई है या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कलेक्टर से नीचे की रैंक का अधिकारी नियुक्त कर सकेगी और उसे निम्नलिखित सभी या इनमें से कोई प्रदान कर सकेगी:

(क) इस अधिनियम के अधीन किराया दर अधिकारी की शक्तियाँ;

(ख) स्वीकृत किराया दरों के अनुसार किराए में कमी करने या उसे बढ़ाने की शक्ति,

(ग) किसी आपातस्थिति में किराये में ऐसी किराया-दर के अनुसार कटौती करने के अलावा अन्य किसी तरीके से कटौती करने की शक्ति।

(2) इस धारा के अधीन लगान में कमी या वृद्धि करने वाला प्रत्येक आदेश, उस वर्ष के, जिसमें वह आदेश पारित किया गया था, अगले कृषि वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व की तारीख से प्रभावी नहीं होगा, जैसा कि उसे पारित करने वाला अधिकारी निर्दिष्ट करे।

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त अधिकारी द्वारा किराया कम करने या बढ़ाने संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को की जा सकेगी।

(4) राजस्व अपील प्राधिकारी के अपील आदेश पर बोर्ड को पुनरीक्षण करना होगा और बोर्ड ऐसे आदेश उस मामले में पारित कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे।

अध्याय X

किराये का भुगतान और वसूली

130. **लगान के भुगतान के लिए उपज का दृष्टिबंधन** - किसी जोत की उपज उसके संबंध में देय राशि के लिए दृष्टिबंधक मानी जाएगी और जब तक ऐसे लगान की मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक ऐसी उपज पर कोई अन्य दावा किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में या अन्यथा बिक्री द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जाएगा।

131. **किरायेदार द्वारा भुगतान के बारे में उपधारणा** - किसी किरायेदार द्वारा, जिससे किराया मिलना है, उस भूस्वामी को किया गया कोई भुगतान, जिसे किराया मिलना है, किरायेदार की ओर से किसी प्रतिकूल आशय के साक्ष्य के अभाव में, किराए के कारण किया गया भुगतान समझा जाएगा।

132. **किराया भुगतान का आवेदन** - (1) किसी किरायेदार द्वारा अपने भू-स्वामी को किया गया भुगतान, चाहे डिक्री की संतुष्टि में हो या अन्यथा, उस बकाया के निर्वहन के लिए लागू नहीं किया जाएगा जिसकी वसूली वादों और आवेदनों की सीमा के बारे में वर्तमान में लागू कानून द्वारा वर्जित है।

(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधान के अधीन, जब किरायेदार अपने भूमिधारक को किराए के रूप में भुगतान करता है, इस स्पष्ट सूचना के साथ कि वह भुगतान को किसी भी वर्ष, किस्त या होल्लिंग में जमा करना चाहता है, भुगतान, यदि स्वीकार किया जाता है, तो तदनुसार जमा किया जाएगा और यदि किरायेदार ऐसी कोई सूचना नहीं देता है, तो भूमिधारक भुगतान को बाद के बकाया के बजाय पहले के बकाया में और जहां एक से अधिक बकाया एक ही तारीख के हैं, वहां बड़े बकाया के बजाय समान बकाया में जमा करेगा।

133. **किराया कैसे देय होगा** - किराए का भुगतान किरायेदार द्वारा भूमिधारक को धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार सीधे या डाक मनीऑर्डर द्वारा या जमा राशि द्वारा किया जा सकता है।

परन्तु यह कि किसी भू-स्वामी द्वारा डाक मनीआर्डर द्वारा या न्यायालय में जमा की गई राशि को स्वीकार करना, स्वयं या मनीआर्डर कूपन पर लिखी गई किसी बात के आधार पर, किसी विशेष वर्ष की किस्त या जोत के कारण देय या बकाया किराए की राशि के बारे में उसके द्वारा स्वीकृति या भुगतानकर्ता द्वारा किरायेदार के रूप में स्वीकृति नहीं माना जाएगा।

134. **मनीआर्डर पावती के बारे में उपधारणा** - जब किराया डाक मनीआर्डर द्वारा भेजा जाता है, तब स्वीकृति की स्थिति में, आदाता की रसीदें, और अस्वीकृति की स्थिति में, डाकघर द्वारा विधिवत् स्टाम्पित मनीआर्डर पर पृष्ठांकन, बिना किसी औपचारिक सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य होंगे और जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, उन्हें ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति का अभिलेख माना जाएगा।

135. **काशतकार का रसीद पाने का अधिकार** --(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो लगान या किराए के रूप में प्रत्यक्ष भुगतान करता है, वह भूमिधारक से इस प्रकार भुगतान की गई रकम के लिए भूमिधारक या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रसीद तुरन्त प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) भू-स्वामी धारा 137 के उपबंधों के अधीन मुद्रित पुस्तक से लगान या सेयर के रूप में दी गई प्रत्येक राशि के लिए पृथक रसीद देगा तथा अपने द्वारा दी गई प्रत्येक रसीद का प्रतिपण तैयार करके अपने पास रखेगा।

(3) यदि भूस्वामी और काशतकार के बीच किसी वाद या कार्यवाही में, जिसमें किराये के भुगतान का प्रश्न हो, भूस्वामी रसीद पुस्तिका प्रस्तुत नहीं करता है या प्रस्तुत करने के न्यायालय के आदेश के बावजूद, प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो न्यायालय भूस्वामी के विरुद्ध कोई भी उपधारणा कर सकता है, जिसे वह उचित समझे।

136. **रसीद का विवरण** - (1) रसीद और काउंटरफ़ॉइल में निम्नलिखित विवरण निर्दिष्ट किए जाएंगे, अर्थात्,

(क) भुगतानकर्ता का नाम और माता-पिता का नाम तथा आदाता का नाम,

(ख) गांव का नाम,

(ग) भुगतान की गई राशि,

(घ) क्या भुगतान किराये के रूप में या किराए के रूप में किया गया है।

(ई) क्या एक से अधिक जोत है, उस जोत या जोत का संकेत जिसका किराया भुगतान के रूप में जमा किया गया है,

(च) वह वर्ष और किस्त जिसके लिए भुगतान किया गया है,

(छ) क्या भुगतान पूर्ण रूप से या केवल आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है,

(ज) वह तारीख जिस दिन भुगतान किया गया, और

(i) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायें।

(2) यदि रसीद में इस धारा द्वारा अपेक्षित विशिष्टियां सारवान रूप से अंतर्विष्ट नहीं हैं या यदि किराये और सेयर के लिए संयुक्त रसीद धारा 135 की उपधारा (2) के उल्लंघन में दी गई है, तो जब तक प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वह रसीद दिए जाने की तारीख तक किराये और सेयर के लिए सभी मांगों से पूर्णतः मुक्त हो गई है।

137. **प्राप्ति पुस्तकें मुद्रित करने और उपलब्ध कराने का सरकार का दायित्व.**- राज्य सरकार निर्धारित प्रपत्र में प्रतिपर्ण सहित प्राप्ति पुस्तकें सभी तहसीलों पर मुद्रित कराएगी और लागत मूल्य पर विक्रय हेतु रखेगी:

परन्तु यदि किसी विशेष तारीख को तहसील में कोई मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध न हों, तो भू-स्वामी तहसीलदार से यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा कि ऐसी कोई पुस्तकें उपलब्ध नहीं थीं और भू-स्वामी तब काश्तकार को धारा 136 में विहित विशिष्टियां देते हुए एक अनंतिम रसीद जारी करेगा।

138. **लेखा विवरण का काश्तकार का अधिकार**- काश्तकार, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, जिसका वह हकदार है, भूमिधारक को चार आने की फीस देकर, कृषि वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर उससे लेखा विवरण प्राप्त करेगा, जिसमें ऐसे विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी, जो समय-समय पर साधारणतया या किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र या मामलों के वर्ग के लिए विहित की जाएं।

139. **तहसीलदार के न्यायालय में किराया जमा करना** --(1) किरायेदार तहसीलदार के न्यायालय में किश्त या किश्तों या ऐसे आवेदन की तारीख को बकाया किराए की किश्त या किश्तों की असंदत्त शेष राशि जमा करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है और यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) के उपबंधों का सारतः अनुपालन करता है तो तहसीलदार ऐसा जमा प्राप्त करेगा और उसके लिए रसीद देगा जो जमा की गई रकम के लिए त्यागपत्र के रूप में कार्य करेगी मानो ऐसी रकम उसे प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर ली गई हो।

(2) ऐसे आवेदन में उस व्यक्ति का नाम विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसे जमा की गई रकम किराये के बकाया के रूप में देय है या जहां कई व्यक्ति ऐसी रकम संयुक्त रूप से या अलग-अलग प्राप्त करने के हकदार हैं, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम या जहां किराएदार को इस बारे में सद्भाविक संदेह हो कि ऐसी रकम प्राप्त करने का हकदार कौन है, वहां उस व्यक्ति का नाम जिसे अंतिम बार किराया दिया गया था और उस व्यक्ति का नाम जो अब किराया मांग रहा है।

140. **तहसीलदार द्वारा जमा राशि का निपटान** - यदि तहसीलदार जमा राशि प्राप्त करता है, तो वह आवेदन में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों पर और किसी अन्य व्यक्ति पर, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसी जमा राशि का हकदार है, ऐसी जमा राशि की प्राप्ति की सूचना निःशुल्क तामील कराएगा।

(2) तहसीलदार निक्षेप की रकम किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकेगा जो उसे उसका हकदार प्रतीत हो अथवा यदि उसकी राय में इस बारे में कोई संदेह है कि निक्षेप किस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए तो वह ऐसी रकम को तब तक रोके रख सकेगा जब तक कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसा संदेह दूर न हो जाए।

(3) यदि तहसीलदार ऐसा निर्देश दे तो भुगतान डाक मनीआर्डर द्वारा किया जा सकेगा।

(4) यदि जमा की गई रकम की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व इस धारा के अधीन कोई संदाय नहीं किया जाता है तो जमा की गई रकम, सक्षम न्यायालय के किसी प्रतिकूल आदेश के अभाव में, जमाकर्ता के आवेदन पर और धारा 139 के उपबंधों के अधीन तहसीलदार द्वारा दी गई रसीद लौटाने पर या जमा करने के उसके द्वारा ऐसे अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, जिसे न्यायालय पर्याप्त समझे, जमाकर्ता को वापस की जा सकेगी।

141. **वाद के लंबित रहने के दौरान न्यायालय में किराया जमा करना** --कोई किरायेदार, जो धारा 211 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन किसी जोत के किराए के किसी भाग के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसी जोत का संपूर्ण किराया उस न्यायालय में जमा कर सकेगा, जिसके समक्ष वाद लंबित है और ऐसी जमा राशि, अपील में पारित किसी आदेश के अधीन रहते हुए, ऐसे न्यायालय के आदेशों के अनुसार निपटाई जाएगी।

142. **वादों पर रोक** - इस अध्याय की पूर्वगामी धारा के उपबंधों के अधीन किसी निक्षेप के संबंध में की गई किसी बात के संबंध में कोई वाद या अन्य कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं की जाएगी, किन्तु कोई व्यक्ति जो अपने को ऐसी निक्षेप की रकम वसूल करने का हकदार समझता है, उसे उस व्यक्ति से वसूल करने के लिए वाद ला सकेगा, जिसे वह रकम दी गई है।

143. **धारा 139 से 142 कब लागू नहीं होती** - धारा 139 से 142 की कोई बात उन मामलों में लागू नहीं होगी जिनमें भूमि किसी काश्तकार द्वारा राज्य सरकार से सीधे ली गई हो, जिसे भूमिधारक के रूप में उसके संबंध में किराया देय हो।

144. **उपज के संबंध में अधिकार और दायित्व** - (1) जब लगान खड़ी फसल के अनुमान या मूल्यांकन पर आधारित हो, तो काश्तकार फसल पर अनन्य कब्जे का हकदार होगा।

(2) जब किराया फसल के कट जाने या कट जाने के पश्चात् उसके आकलन या मूल्यांकन पर आधारित हो या उपज के विभाजन द्वारा देय हो, तो काश्तकार उस पर अनन्य कब्जे का

हकदार होगा, किन्तु वह उसके किसी भाग को खलिहान से ऐसे समय या ऐसी रीति से हटाने का हकदार नहीं होगा, जिससे उचित समय पर उसका आकलन, मूल्यांकन बाधित हो।

(3) किसी भी स्थिति में, काश्तकार को, भूमिधारक की ओर से किसी भी हस्तक्षेप के बिना, खेती के दौरान फसल काटने और कटाई करने का अधिकार होगा।

(4) यदि काश्तकार फसल या उपज का कोई भाग उपधारा (2) के उपबंधों के प्रतिकूल हटाता है, तो धारा 149 के उपबंधों के अधीन पंचाट देने के प्रयोजन के लिए वह फसल या उपज पड़ोस में समान भूमि पर उस फसल के समय उगाई गई उसी प्रकार की सर्वोत्तम फसल के बराबर समझी जाएगी।

(5) यदि राज्य सरकार के अलावा कोई भू-स्वामी किसी काश्तकार को फसल की देखभाल करने, उसे काटने, एकत्र करने या भंडारण करने से रोकता है या कटाई के कार्यों में अन्यथा हस्तक्षेप करता है, तो वह काश्तकार की शिकायत पर, घर को एक सौ रुपए से अधिक नहीं, ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की जा सकती है और ऐसी राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और काश्तकार को दी जाएगी।

145. **वस्तुगत लगान का उपज के वास्तविक विभाजन द्वारा वसूल किया जाना** - जब लगान उपज के हिस्से के रूप में वस्तुगत रूप में देय हो, तो वह सामान्यतः उपज के वास्तविक विभाजन द्वारा वसूल किया जाएगा :

परन्तु यदि काश्तकार और भूस्वामी सहमत हों, या जहां ऐसी प्रथा प्रचलित हो, वहां लगान के रूप में देय उपज की मात्रा खलिहान में खड़ी फसल के मूल्यांकन द्वारा अवधारित की जा सकेगी।

146. **माल ढुलाई की अनुमति नहीं** - जब लगान वस्तु के रूप में दिया जाता है, तो भूमिधारक अपने हिस्से की उपज को अपने निवास स्थान या किसी बाजार तक पहुंचाने के लिए माल ढुलाई के रूप में उपज की किसी अतिरिक्त मात्रा या उसके समतुल्य धन का दावा या प्राप्ति नहीं करेगा।

147. **कलेक्टर द्वारा वर्तमान मूल्यों की विवरणी प्रकाशित करना** - किसी तहसील में कटाई संक्रियाओं की समाप्ति के एक मास के भीतर, या उसके पश्चात् यथाशीघ्र, कलेक्टर, विहित रीति से, ऐसी तहसील में उगाई गई सभी खाद्य और गैर-खाद्य फसलों की कटाई के समय की वर्तमान बाजार प्रक्रिया की विवरणी तैयार करेगा और इस प्रकार तैयार की गई विवरणी को किसी जोत की उपज के धन मूल्य का निर्धारण करने के लिए स्वीकार किया जाएगा:

परन्तु यदि राज्य सरकार ने किसी समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी कृषि उपज का मूल्य निर्धारित किया है तो ऐसा मूल्य ऐसा मूल्यांकन करने के लिए स्वीकार किया जाएगा।

148. विभाजन, अनुमान या मूल्यांकन करने के लिए अधिकारी के लिए आवेदन-(I) जब किराया उपज के विभाजन द्वारा देय हो या फसल के अनुमान या मूल्यांकन पर आधारित हो-

(क) यदि भूस्वामी, जो राज्य सरकार न हो, या काश्तकार उचित समय पर उपस्थित होने में लापरवाही बरते, या

(ख) यदि उपज के विभाजन, मात्रा या मूल्य के बारे में विवाद हो तो कोई भी पक्ष तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा कि विभाजन, आकलन या नियुक्ति करने के लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया जाए।

(2) आवेदन के साथ आवेदक ऐसा शुल्क जमा करेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण - इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, 'उचित समय' से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसे स्थानीय क्षेत्र में प्रथा या अभ्यास फसल के विभाजन, आकलन या मूल्यांकन के लिए अंतिम तारीख या नीचे विनिर्दिष्ट तारीख, जो भी पहले हो, समझी जाती है, अर्थात्:

(क) खरीफ फसल के संबंध में

(i) मूल्यांकन के अनुमान के लिए - 5 नवम्बर या मार्गशीर्ष बदी 30, और

(ii) विभाजन के लिए - 5 फरवरी मार्गशीर्ष बदी 30;

(ख) रबी फसल के संबंध में

(i) मूल्यांकन के अनुमान के लिए - 30 मार्च या चैत बदी 30, और

(ii) विभाजन के लिए - 30 मई जेठ सुदी 15

149. **ऐसे आवेदन पर प्रक्रिया-** (1) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार विपक्षी को लिखित नोटिस जारी करेगा कि वह उस तारीख को, जो आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के बाद की नहीं होगी, तथा नोटिस में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित हो और एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा जिसके द्वारा ऐसा विभाजन, अनुमान या मूल्यांकन किया जाएगा।

(2) यदि विरोधी पक्षकार यह आपत्ति करता है कि लगान का भुगतान उपज के विभाजन द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह फसल के अनुमान या मूल्यांकन पर आधारित नहीं है, जिसके अनुसार कोई राशि नहीं दी जानी है, तो ऐसा अधिकारी आपत्ति को अभिलिखित करेगा, किन्तु इसमें इसके पश्चात् दिए गए अनुसार कार्यवाही करेगा।

(3) ऐसा अधिकारी प्रत्येक पक्षकार से कहेगा कि वह उपज के विभाजन में, या फसल के आकलन या मूल्यांकन में सहायता करने के लिए पड़ोस के एक निवासी को मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त करे तथा स्वयं भी नियुक्त करेगा।

(4) यदि कोई भी पक्षकार उपस्थित होने में असफल रहता है या मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करने से इंकार करता है, तो ऐसा अधिकारी अपनी ओर से मूल्यांकनकर्ता को नामित करेगा।

(5) ऐसा अधिकारी मूल्यांकनकर्ताओं की राय दर्ज करेगा तथा अपना निर्णय देते समय उन पर विचार करेगा।

(6) उपज के विभाजन की दशा में, यदि पक्षकार अधिकारी द्वारा प्रस्तावित विभाजन की रीति से सहमत हो जाएं तो विभाजन तदनुसार किया जाएगा और यदि पक्षकार विभाजन की ऐसी रीति से सहमत नहीं होते हैं या यह दावा किया जाता है कि कोई लगान देय नहीं है तो ऐसा अधिकारी उपज या फसल के मूल्य का अनुमान लगाएगा, अपना पंचाट सुनाएगा और उसे अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा।

(7) पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाएगा कि पंचाट दिया जा चुका है और वे ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से एक सप्ताह के भीतर पंचाट पर आपत्तियां दर्ज कराने के हकदार होंगे और तहसीलदार ऐसी आपत्तियों को सुनने और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात, जो आवश्यक प्रतीत हो, उपधारा (8) में उपबंधित के सिवाय पंचाट को पुष्ट करेगा, उपांतरित करेगा या अपास्त करेगा और यदि कोई रकम बकाया पाई जाती है तो ऐसी रकम और लागतों, यदि कोई हों, के भुगतान के लिए आदेश पारित करेगा और ऐसा आदेश किराये के बकाया के लिए डिक्री का प्रभाव रखेगा।

(8) यदि कोई पक्षकार यह आपत्ति करता है कि लगान फसल के अनुमान या मूल्यांकन या उपज के विभाजन पर आधारित नहीं है या कोई राशि नहीं दी जानी है, परंतु भूमिधारक द्वारा लगान के रूप में दावा की गई उपज का अनुपात वास्तव में देय राशि से अधिक है, तो तहसीलदार ऐसी आपत्ति पर निर्णय नहीं करेगा, बल्कि यह निर्देश देगा कि पक्षकार अपने अधिकार का निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय से करवाएं और ऐसे मामलों में तहसीलदार भूमिधारक के आवेदन पर काश्तकार को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे निर्णय के एक माह के भीतर वाद के निर्णय के अनुसार लगान देने के लिए जमानत सहित या रहित बंधपत्र को पूरा करे।

(9) यदि कोई काश्तकार उपधारा (8) में उल्लिखित बंधपत्र प्रस्तुत करने से इंकार करता है तो तहसीलदार फसल या उसकी उपज को उस सीमा तक कुर्क कर सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझे।

150. **उपज के किराए के लिए वाद** - यदि लगान, जो फसल के अनुमान या मूल्यांकन पर आधारित है या जो उपज के विभाजन द्वारा देय है, बकाया है और धारा 149 की उपधारा (7) के प्रावधान के तहत किराए के बकाया के लिए डिक्री के प्रभाव

वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, भूमिधारक ऐसी बकाया राशि की वसूली के लिए वाद ला सकता है।

151. **किश्तें; कम निश्चित** - किरायेदार का किराया निम्नलिखित किश्तों में और निम्नलिखित दरों पर देय होगा: -

(क) यदि किरायेदारी के पक्षकारों द्वारा किश्तों और तारीखों पर सहमति हो गई है, तो इस प्रकार सहमत हुई किश्तें और तारीखें;

(ख) ऐसे किसी करार के अभाव में, यदि ऐसी किश्तें और तारीखें निपटान के दौरान निर्धारित और वसूल कर ली गई हों, तो ऐसी किश्तें और तारीखें निर्धारित और दर्ज की जाएंगी।

(ग) अन्य मामलों में, एक या अधिक किश्तों में तथा ऐसी तारीखों को, जो प्रचलित प्रथा या पद्धति के अनुसार हो।

152. **बकाया किराया** - किराये की कोई किस्त, जो उसके देय होने के दिन को या उससे पहले नहीं चुकाई जाती, उस दिन के अगले दिन बकाया हो जाती है, जिस दिन वह देय हुई थी और तब किरायेदार बकाया पर ऐसी दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए।

153. **बकाया किराये के लिए गिरफ्तारी या नजरबंदी का प्रतिषेध** - किराए के बकाया के लिए कोई भी आदेश किरायेदार की गिरफ्तारी या नजरबंदी द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा।

154. **बकाया वसूलने की विधि**- इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किराये का बकाया धारा 169 के उपबंधों के अनुसार वाद या नोटिस द्वारा वसूल किया जा सकेगा।

155. **सह-किरायेदार के विरुद्ध वाद**- कोई सह-किरायेदार, जिसने किसी अन्य सह-किरायेदार के कारण किराया दिया है या जिससे ऐसा किराया वसूल किया गया है, ऐसे सह-किरायेदार के विरुद्ध इस प्रकार भुगतान की गई राशि के लिए वाद दायर कर सकता है।

156. **बकाया के लिए संयोजन** --(1) वादी एक ही वाद में एक ही काश्तकार के विरुद्ध बकाया किराये के कई दावों को संयोजित कर सकता है, बशर्ते कि वे गांव में स्थित जोत के संबंध में हों।

(2) ऐसे वाद में डिक्री में विभिन्न जोतों के संबंध में देय राशि, यदि कोई हो, पृथक रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

157. **बकाया के लिए दावे पर डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा विपत्ति के लिए परिहार** - (1) यदि बकाया लगान के लिए वाद में डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि जोत का क्षेत्रफल कमजोर पड़ने से या अन्यथा इस प्रकार कम हो गया था या उसकी उपज सूखे, ओला, कीटों, रेत के जमाव या

अन्य ऐसी विपत्ति के कारण उस अवधि के दौरान इस प्रकार क्षतिग्रस्त या कम हो गई थी जिसके लिए बकाया का दावा किया गया है कि उस अवधि के लिए काश्तकार द्वारा देय पूरी रकम या लगान न्यायसंगत रूप से डिक्री नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय उस अवधि के लिए काश्तकार द्वारा देय लगान में से ऐसी छूट दे सकता है जो उसे न्यायसंगत प्रतीत हो।

(2) इस धारा के अधीन दी गई कोई छूट, किरायेदार द्वारा देय किराये में कटौती करने वाली नहीं समझी जाएगी, सिवाय उस अवधि के लिए जिसके लिए ऐसी छूट दी गई है।

158. **सिंचाई शुल्क के बकाया की वसूली** - कोई व्यक्ति जिसे सिंचाई शुल्क या नलबट के कारण कोई राशि बकाया है, ऐसी राशि की वसूली के लिए वाद दायर कर सकता है।

159. **भू-राजस्व के बकाया के रूप में कुछ बकाया का वाद**- राज्य सरकार से सीधे धारित भूमि के संबंध में किराये के बकाया या राज्य सरकार को देय अन्य राशियों के बकाया या किसी ऐसी संपदा के संबंध में, जिसे किसी समय प्रवृत्त कानून के अधीन कुर्क कर लिया गया है या जिसे राजस्थान वार्ड न्यायालय अधिनियम, 1951 (राजस्थान अधिनियम XXVIII, 1951) या राज्य के उन भागों में प्रवृत्त किसी समतुल्य कानून के उपबंधों के अनुसार वार्ड न्यायालय के अधीक्षण में रखा गया है, जिन पर वह अधिनियम लागू नहीं होता है और विस्तारित नहीं होता है, भू-राजस्व के बकाया के रूप में अभिलिखित किया जा सकेगा:

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसी सम्पदाओं से संबंधित बकाया की वसूली को प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी, जो परिसीमा विधि के अधीन वर्जित हैं।

160. **भुगतान करने से सामान्य इनकार के मामले में बकाया की वसूली** - (1) किसी स्थानीय क्षेत्र में उसे वसूल करने के हकदार व्यक्तियों को किराया देने से सामान्य इनकार की स्थिति में, राज्य सरकार आवश्यक जांच करने के बाद आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि ऐसे किराए को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

(2) किसी स्थानीय क्षेत्र में, जिस पर उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना लागू होती है, कोई भू-स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति, जिस पर लगान का बकाया बकाया है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बकाया वसूलने के लिए वाद लाने के बजाय, उसे वसूलने के लिए कलेक्टर को लिखित में आवेदन कर सकेगा, जो स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात कि दावा की गई रकम बहुत अधिक है, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, भू-राजस्व के बकाया के रूप में ऐसी रकम को ब्याज सहित वसूल करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(3) कलेक्टर को किसी ऐसी राशि के संबंध में किसी वाद में प्रतिवादी नहीं बनाया जाएगा जिसकी वसूली के लिए इस धारा के अधीन आदेश पारित किया गया हो।

(4) इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात या इस धारा के अधीन पारित कोई आदेश निम्नलिखित पर रोक नहीं लगाता-

(क) किसी भू-स्वामी को आवेदन के लिए वाद द्वारा कोई ऐसी रकम वसूल करने से रोकना, जो उसे देय है और जो इस धारा के अधीन वसूल नहीं की गई है; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे इस धारा के अधीन उससे देय राशि से अधिक राशि वसूल की गई है, भू-स्वामी के विरुद्ध वाद द्वारा उस अन्य व्यक्ति तक पहुंच प्राप्त करने से, जिसके आवेदन पर बकाया राशि वसूल की गई थी।

(5) कलेक्टर उपधारा (2) के अधीन वास्तव में वसूली गई रकम के साढ़े सात प्रतिशत के बराबर राशि संग्रहण व्यय के रूप में काटकर राज्य सरकार को जमा करेगा और ऐसे संग्रहण व्यय का भार किरायेदार पर पड़ेगा:

परन्तु जहां कलेक्टर की यह राय है कि एक ओर काश्तकार और दूसरी ओर भूस्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के बीच, जिसका किराया बकाया है, देय किराए के संबंध में सद्भावपूर्ण विवाद था, वहां वह वसूली के व्यय का भार दोनों पक्षों के बीच ऐसे अनुपात में विभाजित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

अध्याय 11

बेदखली

सामान्य

161. **बेदखली अधिनियम के अनुसार होगी-** किसी भी किरायेदार को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही उसकी जमीन से बेदखल किया जाएगा।

162. **बेदखली पर बकाया मांग की पूर्ति** - धारा 164, 165 और 166 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब किसी खातेदार काश्तकार को किराये का भुगतान न करने पर बेदखली के आदेश या डिक्री के निष्पादन में उसकी पूरी जोत या उसके किसी भाग से बेदखल किया जाता है, तो कब्जे की सुपुर्दगी की तारीख को ऐसी जोत के संबंध में देय सभी बकाया किराये का भुगतान कर दिया गया समझा जाएगा।

163. **छोड़ा गया .**

164. **बेदखली पर सुधार के लिए प्रतिकर** - यदि किरायेदार अपने द्वारा किए गए किसी सुधार के लिए प्रतिकर का दावा करता है और दावा स्वीकार्य पाया जाता है, तो किसी किरायेदार को उसके खाते या उसके किसी भाग से बेदखल करने का आदेश देने वाला न्यायालय, ऐसे सुधार के कारण किरायेदार को देय प्रतिकर की राशि का निर्धारण करेगा।

165. **प्रतिकर का भुगतान** - (1) यदि पूर्वगामी धारा के अधीन अवधारित प्रतिकर, किरायेदार से होल्लिंग के कारण किराए के बकाया के रूप में वसूली योग्य राशि तथा लागत, यदि कोई हो, से अधिक है, तो बेदखली का आदेश या डिक्री, किरायेदार को देय शेष राशि का न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान करने की शर्त पर होगी। (2) यदि प्रतिकर, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किरायेदार से वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं है, तो किरायेदार द्वारा प्रतिकर के लिए किया गया कोई भी दावा उसकी बेदखली पर संतुष्ट माना जाएगा।

166. **बेदखली के प्रभावी होने पर फसलों और वृक्षों पर अधिकार**- (1) यदि किसी काश्तकार की बेदखली के लिए डिक्री या आदेश के अनुसरण में कब्जे की डिलीवरी की तारीख को, जोत पर कोई असंग्रहीत फसलें या काश्तकार में निहित कोई वृक्ष विद्यमान हैं, तो डिक्री या आदेश को निष्पादित करने वाला न्यायालय ऐसी फसलों या वृक्षों का मूल्य निर्धारित करेगा और निम्नलिखित तरीके से आगे बढ़ेगा:-

(क) यदि धारा 164 के अधीन निर्धारित प्रतिकर, यदि कोई हो, काटने के पश्चात, काश्तकार से देय राशि ऐसी फसलों या वृक्षों के मूल्य के बराबर या उससे अधिक है, तो न्यायालय जोत का कब्जा भू-स्वामी को सौंप देगा और ऐसी फसलों या वृक्षों पर काश्तकार के सभी अधिकार भू-स्वामी को हस्तांतरित हो जाएंगे;

(ख) यदि धारा 164 के अंतर्गत निर्धारित प्रतिकर, यदि कोई हो, घटाने के पश्चात काश्तकार से देय राशि ऐसी फसलों या वृक्षों के मूल्य से कम है, तथा

(i) भूमिधारक ऐसी राशि और ऐसे मूल्य के बीच का अंतर काश्तकार को दे देता है, तो न्यायालय भूमिधारक को जोत का कब्जा सौंप देगा और ऐसी फसलों या वृक्षों पर काश्तकार के सभी अधिकार भूमिधारक को हस्तांतरित हो जाएंगे, या

(ii) भू-स्वामी ऐसे अंतर का भुगतान नहीं करता है:—

(क) जहां ऐसा मूल्य केवल काश्तकार में निहित वृक्षों या ऐसे वृक्षों के साथ-साथ एकत्रित न की गई फसलों से संबंधित है, वहां काश्तकार तब तक बेदखल नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसे मूल्य के लिए उसके दावों की संतुष्टि नहीं हो जाती है, और

(ख) जहां ऐसा मूल्य केवल एकत्रित न की गई फसलों से संबंधित है, वहां न्यायालय भूमि का कब्जा भूमिधारक को सौंप देगा, किन्तु काश्तकार को ऐसी फसलों की देखभाल करने, उन्हें इकट्ठा करने और हटाने का अधिकार होगा, तथा भूमि के उपयोग और कब्जे के लिए ऐसा प्रतिकर देने का अधिकार होगा, जैसा न्यायालय तय करे।

(XXX)

(1-ए) किरायेदार या भूमिधारक द्वारा आवेदन किए जाने पर, न्यायालय द्वारा उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अधीन किरायेदार द्वारा बेदखली की डिक्री या आदेश निष्पादित किया जाएगा।

(2) इस धारा की कोई बात धारा 183 के उपबंधों के अधीन भूमि से बेदखल किए गए अतिचारी पर लागू नहीं होगी और कब्जा दिए जाने के समय ऐसी भूमि पर विद्यमान कोई फसल या वृक्ष धारा 183 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए भूमिधारक में निहित होंगे।

167. **नोटिस की विषय-वस्तु और तामील -**

(1) इस अध्याय के अधीन किरायेदार को जारी किए जाने वाले प्रत्येक नोटिस में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे: -

(क) भू-स्वामी का नाम, विवरण और निवास स्थान;

(ख) किरायेदार का नाम, विवरण और निवास स्थान;

(ग) जोत का विवरण, जिसमें उस गांव या अन्य स्थानीय क्षेत्र का नाम निर्दिष्ट किया गया हो जिसमें वह स्थित है; तथा

(घ) जोत की दर्ज संख्या, किराये की ऐसी किस्त की रकम, जिसका कोई भाग बकाया है, और ऐसी बकाया रकम।

(2) किरायेदार पर ऐसे नोटिस की तामील की रीति न्यायालय द्वारा समन की तामील की रीति के समान होगी:

(xxx)

बशर्ते कि ऐसा नोटिस किरायेदार को पंजीकृत डाक के माध्यम से भी दिया जाएगा, जिसकी पावती देय होगी:

आगे यह भी प्रावधान है कि यदि किरायेदार नहीं मिलता है या नोटिस स्वीकार करने या अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, तो नोटिस की तामील किरायेदार के निवास के सामान्य स्थान पर उस स्थान के दो व्यक्तियों की उपस्थिति में चिपकाकर की जाएगी, जो ऐसी तामील के सत्यापन में नोटिस पर हस्ताक्षर करेंगे और ऐसी तामील किरायेदार पर सम्यक् तामील समझी जाएगी।

168. **आवासीय मकानों से बेदखली से उन्मुक्ति** - कोई भी किरायेदार गांव में अपने आवासीय मकान से, धारा 66 के उपबंधों के अधीन सुधार के रूप में बनाए गए मकान के अलावा, केवल इसलिए बेदखल नहीं किया जा सकेगा कि उसे उस गांव में उसके जोत से बेदखल कर दिया गया है।

किराये के बकाया के कारण बेदखली

169. **बकाया राशि के भुगतान और चूक होने पर बेदखली के लिए नोटिस जारी करना**- (1) जब कभी किसी काश्तकार से देय किराया दो वर्ष या उससे

अधिक अवधि से बकाया हो, तो तहसीलदार, राज्य सरकार से सीधे धारित भूमि के मामले में *स्वप्रेरणा* से और अन्य मामलों में भूमिधारक के आवेदन पर, ऐसे काश्तकार को नोटिस जारी कर सकेगा, जिसमें उससे नोटिस की तामील के तीस दिन के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने या उपस्थित होकर उसे स्वीकार करने या उसका विरोध करने के लिए कहा जाएगा:

परन्तु इस धारा के अधीन किसी बकाया के भुगतान के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा जो आवेदन की तारीख को तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया हो।

(2) इस धारा के अधीन जारी नोटिस में यह उल्लेख किया जाएगा कि बकाया राशि का भुगतान न करने पर किरायेदार को भूमि से बेदखल किया जा सकता है।

170. **नोटिस जारी करने के पश्चात् प्रक्रिया** - (1) यदि काश्तकार उपस्थित नहीं होता है या उपस्थित होकर दावा किया गया बकाया स्वीकार कर लेता है, तो तहसीलदार उसे ऐसा बकाया भुगतान करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित करेगा:

परन्तु यदि आदेश **एकपक्षीय रूप से** पारित किया जाता है तो किरायेदार ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह तहसीलदार को यह समाधान कर देता है कि या तो उस पर नोटिस की तामील नहीं हुई थी या नियत तिथि को उसके पास उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण था तो तहसीलदार आदेश को अपास्त कर देगा और मामले की सुनवाई इसमें इसके पश्चात् निर्धारित तरीके से करेगा।

(2) यदि किरायेदार उपस्थित होता है और बकाया के लिए दावे का विरोध करता है, तो पूर्व न्यायालय शुल्क के भुगतान पर नोटिस को किराए के बकाया के लिए वाद माना जाएगा:

उसे **उपलब्ध कराया-**

(i) यदि ऐसा नोटिस तहसीलदार द्वारा स्वप्रेरणा से जारी किया गया हो तो कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं होगा, तथा

(ii) यदि तहसीलदार मुकदमे की सुनवाई करने में सक्षम न हो तो कागजात अधिकारिता रखने वाले राजस्व न्यायालय को भेजे जाएंगे।

(3) यदि ऐसे वाद में न्यायालय पाता है कि किरायेदार से राशि बकाया है, तो वह उसे न्यायालय में ऐसी राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए डिक्री पारित करेगा।

171. **धारा 170 के अधीन पारित आदेश के परिणाम और रद्दीकरण** - (1) यदि काश्तकार धारा 170 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन तहसीलदार द्वारा आदेशित या उस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन न्यायालय द्वारा आदेशित बकाया राशि को उस पर ब्याज सहित और आवेदन की लागत या डिक्री द्वारा अधिनिर्णीत लागत, यदि कोई हो, ऐसे आदेश के पारित होने या डिक्री के अंतिम

होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अगले 31वें दिन तक संदत्त करने में असफल रहता है तो, जैसा भी मामला हो, तहसीलदार या डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय तत्काल आदेश देगा कि काश्तकार को संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग से बेदखल कर दिया जाए और उसे तदनुसार तत्काल बेदखल कर दिया जाएगा।

(2) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, किरायेदार को उसके किराये के किसी भाग का, जिसे धारा 126 के उपबंधों के अधीन माफ या निलंबित कर दिया गया है, भुगतान करने में असफल रहने के कारण बेदखल नहीं किया जाएगा।

172. **उपस्थित होने पर किरायेदारों द्वारा प्रतिकर का दावा** - धारा 164 और 165 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब किरायेदार धारा 169 के अधीन उसको दी गई सूचना के प्रत्युत्तर में उपस्थित होता है, तो उससे पूछा जाएगा कि क्या वह सुधारों के कारण प्रतिकर का कोई दावा करता है, यदि उसके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया जाता है, और यदि वह ऐसा दावा करता है, तो तहसीलदार मामले को निर्णय के लिए उप-विभागीय अधिकारी को भेजेगा।

173. **कतिपय मामलों में वादों और आवेदनों पर प्रतिबंध** --(1) धारा 170 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 169 के उपबंधों के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट बकाया के संबंध में किराये के बकाया के लिए कोई वाद नहीं लाया जाएगा।

(2) किसी ऐसे बकाया के संबंध में धारा 169 के उपबंधों के अधीन कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा जिसकी वसूली के लिए धारा 150 या धारा 154 के अधीन वाद संस्थित किया गया हो।

174. **बकाया किराये के लिए डिक्री के निष्पादन में बेदखली** - (1) अध्याय 10 के अधीन किसी वाद में पारित बकाया किराये के लिए डिक्री, विधि के अधीन अनुज्ञेय निष्पादन के किसी अन्य ढंग के अतिरिक्त, किरायेदार को उसके खाते से बेदखल करके निष्पादित की जा सकेगी।

परन्तु कोई भी किरायेदार तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि निष्पादन के अन्य सभी तरीकों का सहारा न लिया गया हो और डिक्री की तारीख से दो वर्ष के भीतर किसी भी ऐसे तरीके से डिक्री की पूर्ण संतुष्टि न हो गई हो।

(2) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, भूमिधारक उस न्यायालय को, जिसने डिक्री पारित की थी, डिक्री के अधीन देय रकम के भुगतान के लिए काश्तकार को नोटिस जारी करने तथा चूक की स्थिति में उसे बेदखल करने के लिए आवेदन कर सकेगा,

(3) उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय एक नोटिस जारी करेगा जिसमें डिक्री के अधीन देय राशि का उल्लेख होगा तथा किरायेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसकी तामील से दो माह के भीतर न्यायालय में ऐसी राशि का भुगतान कर दे अथवा

भुगतान में चूक होने की स्थिति में कारण बताओ कि उसे उसके खाते से क्यों न बेदखल कर दिया जाए तथा यह भी बताए कि यदि उसे बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया जाता है तो क्या वह अपने द्वारा किए गए किसी सुधार के कारण प्रतिकर का दावा करता है।

(4) यदि रकम इस प्रकार संदत्त कर दी जाती है तो न्यायालय डिक्री पर संतुष्टि अभिलिखित करेगा और उसके लिए रसीद देगा, जो जमा की गई रकम के लिए मुक्ति के रूप में कार्य करेगी मानो ऐसी रकम डिक्रीधारक द्वारा प्राप्त कर ली गई हो और वह ऐसी रकम डिक्रीधारक को संदत्त करेगा।

(5) न्यायालय, किरायेदार के आवेदन पर,

(i) समय-समय पर डिक्री के तहत देय राशि के भुगतान के लिए समय बढ़ा सकता है, बशर्ते कि बढ़ाई गई अवधि किसी भी मामले में तीन महीने से अधिक नहीं होगी, या

(ii) इसके भुगतान को ऐसी किस्तों में करने की अनुमति दे सकती है, जो वह निर्धारित कर सकती है।

(6) यदि किरायेदार उपस्थित होता है और दावा करता है कि डिक्री को उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तरीके से वैध रूप से निष्पादित किया जा सकता है, तो न्यायालय उस संबंध में किसी अन्य आवेदन की आवश्यकता के बिना, ऐसे अन्य तरीके से डिक्री को निष्पादित करने के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

(7) यदि किरायेदार उपस्थित होता है और दावा करता है कि उसे किसी अन्य आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय ऐसे दावे पर निर्णय करेगा।

(8) यदि किरायेदार उप-धारा (2) के तहत जारी नोटिस के जवाब में उपस्थित नहीं होता है या वह उपस्थित होता है, लेकिन डिक्रीटल राशि का भुगतान नहीं करता है या उप-धारा (5) के तहत समय के विस्तार के लिए या किस्तों में भुगतान की अनुमति के लिए आवेदन नहीं करता है या ऐसा आवेदन करने के बाद, विस्तारित समय के भीतर या निर्धारित किस्तों में डिक्रीटल राशि का भुगतान नहीं करता है या उप-धारा (6) या उप-धारा (7) के तहत बेदखली के लिए गैर-दायित्व का दावा नहीं करता है या यदि उप-धारा (6) के तहत किरायेदार द्वारा निर्दिष्ट निष्पादन का तरीका निष्फल साबित हुआ है या उप-धारा (7) के तहत उसका दावा खारिज कर दिया गया है, तो अदालत एक आदेश पारित करेगी कि उसे उसके होल्डिंग से बेदखल कर दिया जाए:

परन्तु जहां इस धारा के अधीन कार्यवाही पर विचार करने वाला न्यायालय सहायक कलेक्टर से निम्न श्रेणी का है, वहां वह ऐसी बेदखली के लिए आदेश पारित नहीं करेगा, अपितु कार्यवाही को सहायक कलेक्टर के आदेश के लिए प्रस्तुत करेगा, जो उसका अवलोकन करने तथा ऐसी आगे की जांच करने तथा ऐसी आगे की कार्रवाई करने के पश्चात्, जिसे वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक और उचित समझे, या तो बेदखली के लिए

आवेदन को अस्वीकार कर देगा या काशतकार को उसके खाते से बेदखल करने के लिए आदेश पारित करेगा।

(9) जब किसी काशतकार को उसके खाते से बेदखल करने का आदेश उपधारा (8) के अधीन पारित कर दिया गया है, तो यदि उपस्थित होकर उससे पुनः यह बताने के लिए कहा जाए कि क्या वह अपने द्वारा किए गए किसी सुधार के कारण प्रतिकर का दावा करता है, और यदि वह ऐसा कोई दावा करता है या उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए नोटिस के प्रत्युत्तर में पहले ऐसा कोई दावा कर चुका है, तो न्यायालय ऐसे प्रतिकर की रकम का आकलन करने के लिए आगे बढ़ेगा और उसका भुगतान धारा 165 के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(10) उपधारा (8) के अधीन आदेश के अनुसरण में किसी किरायेदार की बेदखली धारा 166 और 168 में निहित उपबंधों के अधीन होगी।

(11) यदि बेदखली के आदेश के पारित होने के एक माह के भीतर काशतकार डिफ्रीटल राशि न्यायालय में जमा कर देता है तो बेदखली का आदेश रद्द कर दिया जाएगा, जब तक कि उसके अनुसरण में कब्जा भूस्वामी को नहीं दे दिया जाता।

175. **अवैध हस्तांतरण या उप-पट्टे के लिए बेदखली** - (1) यदि कोई किरायेदार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार के अलावा अपने पूरे होल्लिंग या उसके किसी हिस्से को हस्तांतरित या उप-पट्टे पर देता है, या हस्तांतरित या उप-पट्टे पर देने के लिए एक साधन निष्पादित करता है और हस्तांतरिती या उप-पट्टेदार या प्रकल्पित हस्तांतरिती या उप-पट्टेदार ने ऐसे हस्तांतरण या उप-पट्टे के अनुसरण में ऐसे होल्लिंग या ऐसे हिस्से में प्रवेश किया है या उस पर कब्जा कर रखा है, किरायेदार और कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार होल्लिंग या होल्लिंग के किसी भी हिस्से को प्राप्त कर सकता है या उस पर कब्जा कर सकता है, भूमि धारक के आवेदन पर, इस प्रकार हस्तांतरित या उप-पट्टे पर दिए गए या हस्तांतरित या उप-पट्टे पर दिए जाने के लिए प्रकल्पित क्षेत्र से बेदखल होने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन में, यथास्थिति, हस्तांतरिती या उप-किराएदार या प्रकल्पित हस्तांतरिती या उप-किराएदार को पक्षकार के रूप में शामिल किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन आवेदन किए जाने पर न्यायालय विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी करेगा कि वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित हो और कारण बताए कि उसे इस प्रकार अंतरित या उपपट्टे पर दिए गए या अंतरित या उपपट्टे पर दिए जाने का तात्पर्यित क्षेत्र से क्यों न बेदखल कर दिया जाए।

(4) यदि नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थिति दर्ज कराई जाती है और निष्कासन के दायित्व पर विवाद किया जाता है, तो न्यायालय उचित न्यायालय शुल्क के भुगतान पर आवेदन को वाद मानेगा और मामले को वाद के रूप में आगे बढ़ाएगा:

परन्तु यह कि राज्य सरकार से सीधे धारित भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं होगा।

(4-क) उपधारा (4) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि आवेदन धारा 42 में या धारा 43 की उपधारा (2) के परन्तुक या धारा 49-क में निहित उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में है, तो न्यायालय पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात, संक्षिप्त रूप में जांच समाप्त करेगा और जहां तक संभव हो, उसके समक्ष अनावेदकों के उपस्थित होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा, जिसमें उक्त उपबंधों के उल्लंघन में हस्तांतरित या उप-पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से किरायेदार और उसके हस्तांतरिती या उप-पट्टेदार को बेदखल करने का निर्देश दिया जाएगा।

(5) यदि ऐसी कोई उपस्थिति नहीं होती है, या यदि उपस्थिति होती है, किन्तु बेदखली के दायित्व पर कोई प्रतिवाद नहीं किया जाता है, तो न्यायालय आवेदन पर ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।

176. **धारा 175 के अधीन डिक्री या आदेश** - धारा 175 के अधीन डिक्री या आदेश, किसी किरायेदार और उसके हस्तांतरिती या उप-पट्टेदार या प्रकल्पित हस्तांतरिती या उप-पट्टेदार को, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार के अलावा, हस्तांतरित या उप-पट्टे पर दिए गए या हस्तांतरित या उप-पट्टे पर दिए जाने के लिए प्रकल्पित क्षेत्र से बेदखल करने का निर्देश दे सकेगा।

177. **हानिकारक कार्य या शर्त के उल्लंघन के कारण बेदखली** - (1) भूस्वामी के आवेदन पर, किसी काश्तकार को उसकी जोत से बेदखल किया जा सकता है -

(क) किसी ऐसे कार्य या चूक के आधार पर जो उस जोत की भूमि के लिए हानिकारक है या उस उद्देश्य से असंगत है जिसके लिए उसे पट्टे पर दिया गया था, या

(ख) इस आधार पर कि उसने या उससे धारित वस्तु को धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त को तोड़ा है जिसके भंग होने पर वह विशेष संविदा द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है, बेदखल किए जाने के दायित्व के अधीन है:

परन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वृक्ष लगाना या कोई सुधार करना इस धारा के अधीन बेदखली का आधार नहीं माना जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन में, किरायेदार के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को पक्षकार के रूप में शामिल किया जा सकेगा और जहां वाद का हेतुक पूर्णतः या अंशतः किरायेदार के अंतरिती या उप-पट्टेदार द्वारा किए गए किसी कार्य या चूक या शर्त के उल्लंघन पर आधारित है, वहां ऐसे अंतरिती या उप-पट्टेदार को पक्षकार के रूप में शामिल किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन आवेदन किए जाने पर न्यायालय विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी करेगा कि वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित हो तथा कारण बताए कि उसे होल्डिंग से क्यों न बेदखल कर दिया जाए।

(4) यदि नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थिति दर्ज कराई जाती है और निष्कासन के दायित्व पर विवाद किया जाता है, तो न्यायालय उचित न्यायालय शुल्क के भुगतान पर आवेदन को वादपत्र मानेगा और मामले को वाद के रूप में आगे बढ़ाएगा:

परन्तु यह कि राज्य सरकार से सीधे धारित भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में कोई न्यायालय फीस देय नहीं होगी।

(5) यदि ऐसी कोई उपस्थिति नहीं होती है या यदि उपस्थिति होती है, किन्तु बेदखली के दायित्व पर विवाद नहीं किया जाता है, तो न्यायालय आवेदन पर ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।

178. **धारा 177 के अधीन डिक्री या आदेश** --(1) धारा 177 के अधीन डिक्री या आदेश द्वारा किसी किरायेदार को उसके ऐसे भाग से बेदखल करने का निर्देश दिया जा सकेगा जैसा कि न्यायालय मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दे।

(2) ऐसी डिक्री या आदेश में यह भी निर्देश दिया जाएगा कि यदि किरायेदार नुकसान की मरम्मत कर देता है या ऐसा प्रतिकर दे देता है, जैसा न्यायालय डिक्री या आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर या वाद के भीतर ऐसी अतिरिक्त अवधि दे देता है, जिसे न्यायालय, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अनुज्ञात करे, तो डिक्री या आदेश को लागतों के संबंध में ही निष्पादित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

179. **प्रतिकर आदि के लिए वाद-** धारा 177 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भू-स्वामी बेदखली के लिए नोटिस जारी करने या जारी करने के लिए आवेदन करने के बदले में वाद कर सकेगा:-

(क) मुआवजे के लिए, या

(ख) बिना प्रतिकर के निषेधाज्ञा के लिए, या,

(ग) क्षति या बर्बादी की मरम्मत के लिए प्रतिपूर्ति सहित या उसके बिना।

180. **खुदकाशत या गैर-खातेदार किरायेदारों या उप-किरायेदारों की बेदखली के लिए अतिरिक्त प्रावधान** - (1) खुदकाशत का किरायेदार या गैर-खातेदार किरायेदार या उप-किरायेदार भी निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर बेदखली के लिए आवेदन करने पर उत्तरदायी होगा, अर्थात् -

(क) ऐसे काश्तकार या उप-काश्तकार द्वारा धारित भूमि, उस जिले या जिले के उस भाग के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम क्षेत्र से अधिक है जिसमें ऐसी भूमि स्थित है और भू-धारक द्वारा अपनी निजी खेती के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त क्षेत्र से बेदखली चाही गई है:

परन्तु विभिन्न जिलों या जिले के भागों के लिए भिन्न-भिन्न सीमाएं निर्धारित की जा सकेंगी, तथापि, इस प्रकार कि ऐसे किरायेदार या उप-किरायेदार के लिए उसके श्रम और उसके परिवार के श्रम की लागत को छोड़कर बारह सौ रुपए की शुद्ध वार्षिक आय सुनिश्चित हो सके।

(ख) वह वर्ष दर वर्ष किरायेदार या उप-किरायेदार है:

बशर्ते कि आबू क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष भूमि पर कब्जा रखने वाले किसी भी किरायेदार या उप-किरायेदार को इस खंड के तहत बेदखल नहीं किया जाएगा;

स्पष्टीकरण - खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, वर्ष-दर-वर्ष किरायेदार या उप-किरायेदार जोत में ऐसा किरायेदार या उप-किरायेदार शामिल होगा जो पट्टे या उप-पट्टे के निर्धारण के पश्चात जोत पर कब्जा बनाए रखता है और पट्टाकर्ता या उसका विधिक प्रतिनिधि किरायेदार या उप-किरायेदार से किराया स्वीकार करता है या अन्यथा उसके कब्जे को जारी रखने की सहमति देता है।

(ग) कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात धारा 45 के अधीन प्रदान किया गया पट्टा या उप-पट्टा समाप्त हो गया है या चालू कृषि वर्ष की समाप्ति से पूर्व समाप्त हो जाएगा और भू-धारक को अपनी निजी खेती के लिए भूमि की आवश्यकता है;।

(घ) कि भूमि कृषि वर्ष 1948-49 से ठीक पहले लगातार पांच वर्ष की अवधि के लिए भूस्वामी की निजी खेती के अधीन थी और उस वर्ष के दौरान या उसके बाद, एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे या उप-पट्टे पर दी गई थी और ऐसा पट्टा या उप-पट्टा समाप्त हो गया होता और काश्तकार या उप-काश्तकार भूमि का कब्जा अपने भूस्वामी को वापस करने के लिए उत्तरदायी होता, यदि राजस्थान (काश्तकारों का संरक्षण) अध्यादेश, 1949 (राजस्थान अध्यादेश IX, 1949) के उपबंध न होते, जब तक कि इस बीच ऐसे पट्टे या उप-पट्टे की अवधि के दौरान किसी कानून के अधीन ऐसे काश्तकार या उप-काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत न हो गए हों :

परन्तु कोई भू-स्वामी खंड (घ) के अधीन बेदखली के आदेश का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उस भूमि की, जिससे बेदखली चाही गई है, अपनी निजी खेती के लिए अपेक्षा न रखता हो, और जब तक कि ऐसी भूमि खंड (क) में प्रयोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र से अधिक न हो;

आगे यह भी प्रावधान है कि कोई भू-स्वामी जो अपनी निजी खेती के अंतर्गत उस पर लागू अधिकतम क्षेत्रफल के बराबर भूमि रखता है, वह भी खंड (घ) के अधीन किसी काश्तकार को बेदखल करने के आदेश का हकदार नहीं होगा और कम क्षेत्रफल रखने वाला भू-स्वामी

केवल ऐसे क्षेत्र से ऐसे आदेश का हकदार होगा जो उसके द्वारा पहले से धारित क्षेत्रफल के साथ मिलकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा।

(1-ए) राजस्थान राजस्व कानून (विस्तार) अधिनियम, 1957 के प्रारंभ से पहले से आबू क्षेत्र में भूमि रखने वाला कोई भी काश्तकार समय बीत जाने के कारण उपधारा (1) में वर्णित किसी भी आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकेगा या यदि ऐसे प्रारंभ से पहले वह बॉम्बे काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अर्थ में अपनी जोत का क्रेता समझा गया हो। (2) राज्य सरकार उस स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगी जहां एक से अधिक काश्तकार या उप-काश्तकार हैं, या जहां काश्तकार या काश्तकारों द्वारा धारित क्षेत्र उस क्षेत्र से अधिक है जहां से उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत बेदखली की मांग की जा सकती है।

181. **आवेदन और नोटिस** --(1) धारा 180 के अधीन बेदखली के लिए आवेदन पहली जुलाई और 30 सितम्बर के बीच किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) उपधारा (11) के अधीन प्रत्येक आवेदन में उस आधार का उल्लेख किया जाएगा जिस पर बेदखली के लिए आवेदन किया गया है।

(3) पूर्वगामी उपधाराओं के अनुसार आवेदन किए जाने पर, विहित फीस के भुगतान पर, किरायेदार या उप-किरायेदार को विहित रीति से नोटिस तामील किया जाएगा जिसमें उसे सूचित किया जाएगा कि यदि वह बेदखली पर विवाद करना चाहता है तो उसे नोटिस तामील किए जाने के तीस दिन के भीतर उसका विरोध करना होगा।

182. **नोटिस जारी करने के पश्चात् की प्रक्रिया** - (1) यदि कोई किरायेदार या उप-किरायेदार, जिस पर धारा 181 के अधीन नोटिस तामील किया गया है, उपस्थित होता है और बेदखली के अपने दायित्व को स्वीकार करता है, तो न्यायालय उसे बेदखल करने का आदेश पारित करेगा, किन्तु वह किसी भी खर्च के लिए उत्तरदायी नहीं होगा:

(2) यदि किरायेदार या उप-किरायेदार ऐसी सूचना द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय उसे बेदखल करने का आदेश पारित करेगा:

बशर्ते कि ऐसा किरायेदार या उप-किरायेदार ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि या तो उसे नोटिस की तामील नहीं की गई थी या नोटिस द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उसके पास उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण था, तो न्यायालय आदेश को अपास्त कर देगा और इसके पश्चात निर्धारित तरीके से आवेदन पर सुनवाई करेगा।

(3) यदि निर्धारित अवधि के भीतर किरायेदार या उप-किरायेदार उपस्थित होता है और बेदखली के अपने दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय, उचित न्यायालय शुल्क के भुगतान पर, आवेदन को वादपत्र मानेगा और मामले को वाद के रूप में आगे बढ़ाएगा:

परन्तु यदि राज्य सरकार से सीधे धारित भूमि के संबंध में आवेदन तहसीलदार द्वारा किया गया हो तो कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं होगा।

(4) इस धारा के अधीन पारित किसी डिक्री या आदेश पर धारा 178 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे।

(5) जहां कोई संपदा-धारक, जो संघ की सशस्त्र सेनाओं का सदस्य रहा है, अपने खुदकाशत या गैर-खातेदार काशतकार की बेदखली की मांग करता है, या जहां कोई खातेदार काशतकार, जो ऐसा सदस्य रहा है, धारा 180 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (घ) के अधीन अपने उप-किरायेदार की बेदखली की मांग करता है, वहां उन खंडों के परंतुकों में या धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय ऐसी डिक्री या आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि, यथास्थिति, खुदकाशत या गैर-खातेदार काशतकार या उप-किरायेदार को, यथास्थिति, उसकी संपूर्ण जोत से या उसके किसी भाग से, यदि वह ऐसे संपदा-धारक या ऐसे खातेदार काशतकार पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक नहीं है, बेदखल कर दिया जाएगा।

182ए. धारा 180 के अधीन कुछ आवेदन के लिए समय की सीमा - धारा 180 के खंड (क) या खंड (घ) के अधीन बेदखली के लिए कोई आवेदन इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात किया गया हो तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा:

परन्तु जहां भूमि गैर-खातेदार काशतकार या खुदकाशत काशतकार या धारा 46 में प्रगणित किसी व्यक्ति के उप-काशतकार द्वारा धारित है, वहां बेदखली के लिए ऐसा आवेदन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर या उस धारा द्वारा परिकल्पित अक्षमता समाप्त होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, जो भी बाद में हो, प्रस्तुत किया जा सकेगा:

182बी. निजी खेती के अधीन न लाई गई भूमि का प्रत्यावर्तन --(1) यदि वह भूमिधारक, जिसके कहने पर या जिसके आवेदन पर धारा 180 के खंड (क) या खंड (घ) के अधीन किसी भूमि से बेदखली का आदेश दिया गया है, वास्तविक बेदखली की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक ऐसी भूमि पर निजी तौर पर खेती करने में असफल रहता है, तो बेदखल किए गए व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा:

- (i) उस भूमि की वापसी के लिए जहां से उसे इस प्रकार बेदखल किया गया था, या
 - (ii) खातेदारी अधिकारों तथा ऐसी भूमि में सुधार के अधिकारों के अर्जन के लिए, या
 - (iii) ऐसे पुनर्स्थापन और अधिग्रहण दोनों के लिए,
- (2) किसी भूमि में खातेदारी अधिकारों और सुधार अधिकारों के अर्जन के लिए उपधारा (1) के अधीन आवेदन पर धारा 20 से 31 में अंतर्विष्ट उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह धारा 19 के अधीन आवेदन हो।

183. **कुछ अतिचारियों की बेदखली** - (1) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान में किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई अतिचारी जिसने विधिपूर्ण प्राधिकार

के बिना किसी भूमि पर कब्जा कर लिया है या उसे बनाए रखा है, उप-धारा (2) में निहित प्रावधानों के अधीन, उसे बेदखल करने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के वाद पर बेदखल होने के लिए उत्तरदायी होगा और इसके अलावा वह प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए जुर्माना के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके दौरान वह पूरे या उसके किसी हिस्से में ऐसे कब्जे में रहा है, एक राशि जो वार्षिक किराए के पंद्रह गुना तक हो सकती है।

(2) ऐसी भूमि के मामले में, जो राज्य सरकार से सीधे धारित है या जिस पर राज्य सरकार, तहसीलदार के माध्यम से कार्य करते हुए, अतिचारी को काश्तकार के रूप में स्वीकार करने की हकदार है, तहसीलदार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15, 1956) की धारा 91 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

183ए. बंधक अवधि की समाप्ति के पश्चात भूमि का कब्जा न दिए जाने पर बंधकदार की संक्षिप्त बेदखली - (1) यदि बंधकदार धारा 43 की उपधारा (3), (4) या (4-क) के अनुसार भूमि का कब्जा नहीं देता है, तो बंधककर्ता बंधक अवधि की समाप्ति की तारीख से बारह वर्ष के भीतर और जहां ऐसी अवधि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 के प्रारंभ से पूर्व धारा 43 की उपधारा (4-क) के अधीन समाप्त हुई समझी जाती है, वहां ऐसे प्रारंभ के बारह वर्ष के भीतर उस सहायक कलेक्टर को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता में भूमि या उसका अधिकांश भाग स्थित है, और सहायक कलेक्टर पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात, पक्षकारों के उसके समक्ष उपस्थित होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, जहां तक साध्य हो सके, संक्षिप्त रूप में जांच समाप्त करेगा और उसके पश्चात बंधककर्ता को भूमि का कब्जा दिए जाने का आदेश पारित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करते समय, सहायक कलेक्टर, धारा 43 की उपधारा (4) या (4-घ) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात्, जब तक बंधकदार भूमि पर कब्जा बनाए रखता है, बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को देय अन्तःस्थायी लाभ की रकम तथा वह दर अवधारित कर सकेगा जिस पर भविष्य में बंधकदार द्वारा भूमि पर कब्जा सौंपने तक अन्तःस्थायी लाभ देय होगा तथा उसके भुगतान के लिए आदेश दे सकेगा।

183बी. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिचारी की संक्षिप्त बेदखली - (1) इस अधिनियम के किसी उपबंध में अंतर्विष्ट प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई अतिचारी, जिसने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के काश्तकार द्वारा धारित भूमि पर विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना कब्जा कर लिया है या बनाए रखा है, उसे बेदखल करने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के आवेदन पर या विहित रीति से आवेदन पर बेदखल किया जा सकेगा; तथा वह प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए, जिसके दौरान वह उस संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग पर ऐसा कब्जा रहा है, शास्ति के रूप में ऐसी राशि देने के लिए भी दायी होगा, जो वार्षिक किराए के पचास गुना तक हो सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पर जांच संक्षिप्त रूप में की जाएगी और जहां तक संभव हो, निर्धारित अवधि के भीतर तथा उस व्यक्ति को, जिसके बारे में अतिचारी होने का अभिकथन किया गया है, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् पूरी की जाएगी।

183सी. कुछ मामलों में अतिचार के लिए दंड - धारा 183-बी में अन्यथा अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई अतिचारी, जो-

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी काश्तकार की भूमि पर विधि सम्मत प्राधिकार के बिना कब्जा कर लेता है; या

(ख) राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1992 के लागू होने से पूर्व ऐसा कब्जा ले लेने के बाद, तहसीलदार द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित नोटिस की तामील की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसा कब्जा छोड़ने में असफल रहता है;

दोषसिद्धि पर, साधारण कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु तीन वर्ष तक का हो सकेगा, तथा जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा:

परन्तु जहां किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध के लिए अभियोजन चलाया जाता है, वहां यह साबित करने का भार उस पर होगा कि उसने अपराध नहीं किया है।

निष्कासन का प्रवर्तन

184. **निष्पादन का समय** - (1) बेदखली के लिए किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कब्जे का परिदान किसी भी वर्ष में पंद्रह अप्रैल से पहले या तीस जून के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा की कोई बात, पूर्ववर्ती पंद्रह मार्च के पूर्व निष्पादन के लिए किए गए आवेदन के संबंध में पारित कब्जे के परिदान के आदेश को या धारा 171 या धारा 183 के उपबंधों के अधीन पारित बेदखली के आदेश को लागू नहीं होगी।

185. **डिक्री या आदेश के निष्पादन का तरीका** - (1) धारा 184 में अन्यथा प्रदान की गई बात के सिवाय, प्रत्येक डिक्री या बेदखली का आदेश, अचल संपत्ति के परिदान के लिए डिक्री के निष्पादन से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम V) के प्रावधानों के अनुसार लागू किया जाएगा।

(2) प्रत्येक उप-पट्टेदार या हस्तान्तरिती, जिसका हित उसके भू-धारक या हस्तान्तरक की बेदखली पर समाप्त हो जाता है, बेदखली के आदेश या डिक्री के निष्पादन के प्रयोजन के लिए निर्णीत ऋणी समझा जाएगा, किन्तु जब तक वह कब्जा देने में प्रतिरोध या बाधा नहीं डालता, वह लागतों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

186. **छोड़ा गया .**

187. **गलत तरीके से बेदखल किए जाने के लिए उपाय-** (1) किसी किरायेदार को, जो उस समय लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं बल्कि अन्यथा उसकी जोत या उसके किसी हिस्से से बेदखल कर दिया गया है या कब्जा प्राप्त करने से रोका गया है, वह उसे बेदखल करने वाले या कब्जे से बाहर रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ निम्नलिखित सभी या किसी भी राहत के लिए मुकदमा कर सकता है, अर्थात:-

(i) जोत के कब्जे के लिए;

(ii) गलत तरीके से बेदखल या बेदखल किए जाने पर मुआवजे के लिए;

(iii) उसके द्वारा किए गए किसी भी सुधार के लिए मुआवजे के लिए।

परन्तु यह कि कब्जे के लिए कोई डिक्री पारित नहीं की जाएगी, जहां डिक्री पारित करने के समय वादी चालू कृषि वर्ष के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बेदखल किए जाने के लिए उत्तरदायी हो।

(2) यदि डिक्री कब्जे के लिए है तो किसी सुधार के लिए कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा और ऐसी डिक्री के अधीन यह भी होगा कि वादी द्वारा प्रतिवादी को, न्यायालय द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर, कोई रकम वापस की जाए जो प्रतिवादी ने उस समय प्रतिकर के रूप में दी हो जब उसे बेदखल या बेदखल किया गया था।

(3) जहां इस धारा के अधीन कब्जे के लिए किसी वाद में या किसी कब्जे के लिए किसी डिक्री के विरुद्ध अपील में उपधारा (1) के परन्तुक में कथित कारण से डिक्री पारित नहीं की जा सकती, वहां डिक्री केवल खर्चे के लिए होगी।

(4) जहां डिक्री गलत तरीके से बेदखल या बेदखल किए जाने के लिए प्रतिकर के लिए पारित की जाती है, न कि कब्जे के लिए, वहां दिया जाने वाला प्रतिकर उस पूरी अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान बेदखल या बेदखल किया गया किरायेदार कब्जे में रहने का हकदार था।

(5) कोई किरायेदार जिसने केवल कब्जे के लिए वाद दायर किया है, गलत तरीके से बेदखल किए जाने के लिए मुआवजे के लिए या उसी वाद हेतुक के संबंध में सुधार के लिए पृथक वाद दायर करने का हकदार नहीं होगा।

(6) इस धारा के अधीन कब्जे के लिए वाद में वादी को बेदखल करने वाला या उसे कब्जे से बाहर रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा वह व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसने वादी को बेदखल करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी बेदखली के पश्चात् सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर कब्जा कर लिया हो, प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जाएगा और कब्जे के लिए डिक्री पारित करते समय न्यायालय आदेश देगा कि ऐसे कब्जे वाले व्यक्ति को वहां से बेदखल कर दिया जाए :

परन्तु न्यायालय ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने का आदेश देने के स्थान पर, यदि उसने वाद के लिए नियत प्रथम सुनवाई के लिए समन की तामील से पूर्व जोत या उसके भाग में खेती की है, उसे केवल उस फसल के लिए ऐसी जोत या भाग के संबंध में वादी का उप-किराएदार घोषित कर सकेगा।

(7) इस धारा के अधीन पारित कब्जे के लिए डिक्री, यथावश्यक रूप से, उसी प्रकार प्रवर्तित की जाएगी मानो वह बेदखली के लिए डिक्री हो, किन्तु ऐसी डिक्री के प्रवर्तण के लिए विहित समय पर, यदि कोई हो, ध्यान नहीं दिया जाएगा।

187ए. कुछ व्यथित काशतकारों के लिए धारा 187 के उपबंधों की उपलब्धता --धारा 187 के उपबंध उस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे काशतकार को लागू और उपलब्ध होंगे, जिसने 15 अक्टूबर, 1955 को या उसके पश्चात् किन्तु राजस्थान काशतकारी (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1960 के प्रारंभ से पूर्व धारा 186 में प्रदत्त संक्षिप्त उपचार का लाभ नहीं उठाया था, जैसा कि वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व थी या जिसका ऐसे उपचार के लिए आवेदन उस धारा में प्रदत्त परिसीमा अवधि के समाप्त हो जाने के कारण वर्जित हो जाने के कारण खारिज कर दिया गया था और ऐसा काशतकार धारा 186 में या राजस्थान काशतकारी (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1960 के प्रारंभ से पूर्व तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 69 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 187 के उपबंधों के अधीन और उसके अनुसार वाद ला सकेगा।

187बी. कब्जे के आधार पर पुनःस्थापना के लिए संक्षिप्त वाद- (1) धारा 187 में किसी बात के होते हुए भी, कोई किरायेदार, जिसे उसकी सहमति के बिना, विधि के सम्यक् अनुक्रम के अलावा उसकी जोत या उसके किसी भाग से बेदखल कर दिया जाता है या बेदखल कर दिया जाता है, ऐसी जोत या उसके भाग में पुनःस्थापना और उस पर कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हुए वाद ला सकता है, भले ही ऐसे वाद में कोई अन्य हक स्थापित किया गया हो।

(2) इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसी जोत या उसके भाग पर अपना हक स्थापित करने तथा उसका कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए वाद लाने से नहीं रोकेगी।

(3) इस धारा के अधीन कोई भी वाद केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन किसी वाद में पारित किसी आदेश या डिक्री के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी और न ही ऐसे आदेश या डिक्री का कोई पुनर्विलोकन किया जाएगा।

(5) धारा 184 के उपबंध इस धारा के अधीन पारित किसी डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होंगे।

188. गलत तरीके से बेदखल किए जाने के विरुद्ध निषेधाज्ञा- (1) कोई भी काशतकार जिसके संपूर्ण जोत या उसके भाग के अधिकार या उपभोग पर उसके

भूस्वामी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता है या आक्रमण किए जाने की धमकी दी जाती है, शाश्वत निषेधाज्ञा दिए जाने के लिए वाद ला सकता है।

(2) न्यायालय आवश्यक जांच करने के पश्चात निम्नलिखित मामलों में शाश्वत निषेधाज्ञा दे सकेगा, अर्थात्-

(क) यदि आक्रमण से हुई या होने वाली वास्तविक क्षति का पता लगाने के लिए कोई मानक मौजूद नहीं है;

(ख) यदि आक्रमण ऐसा है कि आर्थिक मुआवजा पर्याप्त राहत प्रदान नहीं कर सकता;

(ग) जहां यह सम्भाव्य हो कि आक्रमण के लिए आर्थिक मुआवजा नहीं मिल सकता।

(घ) जहां निषेधाज्ञा कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिए आवश्यक हो।

अध्याय बारह

भूमि अनुदान

अनुकूल किराये की दरों पर अनुदान

189. **अनुकूल लगान दर पर अनुदानों की वृद्धि के लिए देयता** - (1) किसी भी समय लागू कानून में या कानून के बल वाले किसी भी प्रथा या उपयोग में या किसी भी आदेश के नियमों या शर्तों में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, अनुकूल लगान दर पर प्रत्येक अनुदान, जो ग्राम सेवा अनुदान नहीं है, अध्याय IX के प्रावधानों के अनुरूप स्वीकृत किराया दरों के अनुसार आवेदन पर किराए में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) ऐसी वृद्धि होने पर, अनुकूल किराये की दर पर अनुदान प्राप्तकर्ता खातेदार काश्तकार समझा जाएगा।

189ए. अनुकूल दरों पर अनुदान प्राप्तकर्ताओं के हित और अन्य अधिकारों का हस्तांतरण और हस्तांतरण - (1) अनुकूल किराये की दर पर अनुदान प्राप्तकर्ता का हित उत्तराधिकार योग्य है और उस पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार हस्तांतरित होगा।

(2) ऐसा हित उसी प्रकार और उसी सीमा तक हस्तान्तरित किया जा सकेगा जैसे खातेदार काश्तकार का अपने खाते में हित होता है।

(3) अनुकूल किराया दर पर अनुदान प्राप्तकर्ता को अपने अनुदान के संबंध में सुधारों और वृद्धियों के संबंध में वही अधिकार होंगे जो खातेदार काश्तकार को अपने खाते के संबंध में होते हैं और अध्याय VI और VII के प्रावधान लागू होंगे।

(4) अध्याय VIII, X, XI, XV और XVI के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा अनुदान प्राप्तकर्ता खातेदार काश्तकार हो:

189बी. अनुकूल दरों पर अनुदान प्राप्तकर्ताओं के ब्याज का विलोपन - अनुकूल किराये की दर पर अनुदान प्राप्तकर्ताओं का ब्याज समाप्त हो जाएगा - ।

(क) धारा 63 में उल्लिखित किसी घटना के घटित होने पर, या

(ख) जब उसके अनुदान के संबंध में किराया धारा 189 के उपबंधों के अनुसार बढ़ा दिया जाता है।

ग्राम सेवा अनुदान

190. **ग्राम सेवक के अधिकार और दायित्व** - (1) ग्राम सेवक का हित एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए उप-पट्टे के रूप में दिए जाने के सिवाय उत्तराधिकार योग्य या हस्तांतरणीय नहीं होगा और न ही ऐसा हित किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्की या बिक्री के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ग्राम सेवक गैर खातेदार काश्तकार समझा जाएगा।

191. **ग्राम सेवक की बेदखली** - (1) ग्राम सेवक को सम्पत्तिधारक के वाद पर या यदि ऐसा अनुदान राज्य सरकार से सीधे लिया गया हो तो निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर तहसीलदार द्वारा नोटिस दिए जाने पर उसके ग्राम सेवा अनुदान से बेदखल किया जा सकता है, अर्थात:

(i) कि उसे धारा 190 या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन में स्थानांतरित किया गया था या अन्यथा उसके अनुदान का निपटान किया गया था;

(ii) उसने वह सेवा प्रदान करना बंद कर दिया है जिसे प्रदान करने के लिए वह आबद्ध है या वह उसे उचित रूप से प्रदान करने में असफल रहा है;

(iii) उसने अपने अनुदान का विषय गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए बदल दिया है;

(iv) कि उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है या उसे बर्खास्त कर दिया गया है।

(2) अध्याय 11 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस धारा के तहत बेदखली की कार्यवाही पर उसी तरह लागू होंगे जैसे वे गैर-खातेदार काश्तकारों के मामले में लागू होते हैं।

192. **ग्राम सेवक या उसके उत्तराधिकारी को कब्जा दिलाने की शक्ति** - (1) यदि किसी ग्राम सेवक को उसके अनुदान से बेदखल कर दिया जाता है या उसकी

मृत्यु हो जाती है, तो तहसीलदार उसके उत्तराधिकारी के आवेदन पर उसे कब्जा दिला देगा।

(2) यदि कोई ग्राम सेवक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार के अलावा किसी अन्य तरीके से अपने अनुदान पर कब्जा खो देता है, तो तहसीलदार, आवेदन करने पर, उसे ऐसे अनुदान पर पुनः कब्जा दिला सकता है और उस समय उस पर कब्जा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को बेदखल कर सकता है।

193. **जब सेवाओं की आवश्यकता न हो तो भूमि का निपटान** - यदि कलेक्टर यह घोषित करता है कि किसी ग्राम सेवक द्वारा दी गई सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है तो ऐसा ग्राम सेवक अपने ग्राम सेवा अनुदान का 'खातेदार' बन जाएगा और उसे तदनुसार किराया देना होगा।

अध्याय XIII

ग्रोव होल्डर्स

194. **उपवन-धारकों के अधिकार और दायित्व**- (1) अध्याय 7 में किसी बात के होते हुए भी, उपवन-धारक वृक्षों को काट और बेच सकता है तथा वृक्षों को काट देने या मर जाने पर पुनः लगा सकता है।

(2) धारा 63 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो जहां तक हो सके, उपवन-धारक पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे काश्तकार पर लागू होते हैं, उपवन-धारक के अधिकार तब तक विद्यमान रहेंगे जब तक उपवन भूमि का स्वरूप वैसा ही बना रहता है, और जब ऐसी भूमि उपवन-भूमि नहीं रह जाती है तो उपवन-धारक उसका खातेदार काश्तकार बन जाएगा।

(3) ग्रोव भूमि का विभाजन धारा 53 के उपबंधों के अनुसार किया जा सकेगा, जो ग्रोव धारक पर उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे काश्तकार पर लागू होते हैं।

(4) जहां कोई व्यक्ति उस भूमि के संबंध में उपवन-धारक बन जाता है जिसका वह काश्तकार है, वहां वह उपवन-धारक के रूप में ऐसी भूमि को धारण करेगा तथा समस्त विद्यमान अधिकारों और दायित्वों को, जहां तक वे उससे असंगत हों, अधिक्रमित कर देगा।

195. **सुधार करने का अधिकार** - एक उपवन-धारक ऐसा सुधार कर सकता है जो एक खातेदार काश्तकार कर सकता है और अध्याय 6 के उपबंध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह एक खातेदार काश्तकार हो।

196. **हित का हस्तांतरण और अंतरण** - (1) किसी उपवन-धारक का हित उस पर लागू वैयक्तिक विधि के अनुसार हस्तांतरित होगा।

(2) किसी उपवन-धारक को अपनी पूरी या आंशिक जोत को विक्रय, दान या बंधक द्वारा हस्तांतरित करने का अधिकार होगा और खातेदार काश्तकारों द्वारा ऐसे हस्तांतरण पर लगाए गए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे:

बशर्ते कि बंधककर्ता द्वारा अंतरण की स्थिति में ऐसा अंतरण उपभोक्ता बंधक के रूप में बीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा और धारा 43 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध उस पर लागू होंगे।

(3) कोई उपवन-धारक अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग को उप-पट्टे पर दे सकेगा और धारा 45 द्वारा उप-पट्टे पर दिए जाने पर लगाए गए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे:

परन्तु किसी उप-किराएदार या उप-किराएदार को इस अधिनियम द्वारा उप-किराएदारों को प्रदत्त कोई अधिकार नहीं होगा, जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उसे प्रदत्त अधिकारों से भिन्न हो।

(4) कोई उपवन-धारक, लिखित करार द्वारा, अपने उपवन की उपज के संग्रहण या विक्रय के लिए एक बार में तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए फार्म या पट्टा दे सकेगा और ऐसे कृषक या पट्टेदार के अधिकार और दायित्व ऐसे करार की शर्तों के अनुसार सक्षम अधिकारिता वाले राजस्व न्यायालय द्वारा शासित और विनियमित होंगे तथा उसमें प्रवर्तनीय होंगे।

197. **किराये के संबंध में उपबंध** - (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खुदकाश्त धारक से भिन्न किसी बाग-धारक द्वारा बाग-भूमि के संबंध में देय किराया, उस दशा में और ऐसा होगा जैसा कि सहमति हो या ऐसे समझौते के अभाव में, सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा अवधारित किया जा सकेगा और किराये के निर्धारण तथा संशोधन से संबंधित अध्याय IX के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा बाग-धारक खातेदार काश्तकार हो।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे उपवन-धारक द्वारा उपवन भूमि के संबंध में कोई किराया देय नहीं होगा, जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अपने स्वामित्व को उपवन के प्रयोजनों के लिए किराए के बदले प्रीमियम का भुगतान करके स्थायी रूप से किराए से मुक्त अर्जित कर लिया हो:

बशर्ते कि ऐसे उपवन-धारक द्वारा उपधारा (1) के अनुसार किराया देय होगा-

(i) इस अधिनियम के प्रारंभ पर या ऐसे अर्जन से तीस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, यदि उसके द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम उस समय प्रचलित होल्लिंग के वार्षिक किराये से दस गुना से अधिक है, या

(ii) ऐसे प्रारंभ पर या ऐसे अर्जन से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, यदि उसके द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम ऐसे वार्षिक किराए के दस गुना से अधिक नहीं

था। (3) उप-किराएदार द्वारा किसी ग़ोव धारक को ग़ोव भूमि के संबंध में देय किराया नक़द होगा और ऐसा होगा जैसा कि उसके और उसके उप-किराएदार के बीच तय किया जा सकता है या ऐसे समझौतों के अभाव में, जैसा कि सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि इस उपधारा के अधीन किसी करार में उत्पादों के विनिर्दिष्ट भाग को बाग-धारक के निजी उपयोग के लिए ऐसे किराए के आंशिक भुगतान पर देने की कोई शर्त वैध समझी जाएगी। (4) अध्याय के उपबंध बाग-धारकों पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे खातेदार काश्तकारों पर लागू होते हैं।

198. **बेदखली** - (1) जब तक भूमि उपवन भूमि बनी रहती है, उपवन धारक धारा 177 में उल्लिखित किसी भी आधार पर बेदखली का भागी होगा और धारा 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 178, 179, 184, 185, 186, 187 और 188 के उपबंध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह किरायेदार हो।

(2) कोई उपवन-धारक जो अतिचारी है, धारा 183 के उपबंधों के अनुसार बेदखल किया जा सकेगा।

(3) किसी उप-किराएदार को धारा 175, 177, 180 और 183 में उल्लिखित किसी भी आधार पर बेदखल किया जा सकता है और अध्याय 11 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे।

(4) किसी किसान या पट्टेदार को, वाद आने पर, अपने करार की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर बेदखल किया जा सकता है। **198ए. अध्याय VIII, XV और XVI का लागू होना.**- अध्याय VIII, XV और XVI के प्रावधान, बाग भूमि पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानो बाग धारक खातेदार काश्तकार हो।

अध्याय XIV

दरादार या ठेकेदार

199. **इजारादार या ठेकादार द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य अधिकार** - (1) उसके 'इजारा' या ठेका की शर्तों द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, एक इजारादार या ठेकादार अवधि के दौरान और अपने इजारा या ठेका की सीमा तक इस अधिनियम के तहत छोटे के सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, सिवाय

- (i) किराया बढ़ाने या किरायेदार को बेदखल करने के लिए मुकदमा करने का अधिकार;
- (ii) कोई सुधार करने या कोई सुधार करने की अनुमति देने का अधिकार;
- (iii) वृक्षों को काटने का अधिकार;

(iv) अध्याय X1I के प्रावधानों के तहत किराए की अनुकूल दर पर अनुदानकर्ता पर मुकदमा चलाने का अधिकार।

(2) वह अधिकार जो पूर्वगामी उपधारा के अधीन इजारादार या ठेकेदार द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, पट्टाकर्ता द्वारा इजारा या ठेका की अवधि के दौरान प्रयोग नहीं किया जाएगा।

200. **इजारा या ठेका के हस्तांतरण या उत्तराधिकार पर प्रतिबंध - (1)**
इजारादार या ठेकादार का हित:

- (i) किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के निष्पादन में हस्तांतरणीय नहीं होगा; या
 - (ii) इजारा या ठेका की शर्तों के अनुसार प्रदान किए गए को छोड़कर, अन्यथा हस्तांतरणीय या वंशानुगत नहीं होगा।
- (2) जहां किसी इजारादार या ठेकेदार का हित उत्तराधिकार योग्य है, वहां वह उस पर लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार हस्तांतरित होगा।

201. **बेदखली के आधार -** किसी इजारादार या ठेकेदार को निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर बेदखल किया जा सकता है, अर्थात: -

- (i) उससे लिया जाने वाला किराया पूरा नहीं चुकाया गया है;
- (ii) उसके द्वारा पट्टाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या इजारा या ठेका के प्रयोजन से असंगत कोई कार्य किया गया है;
- (iii) कि उसने या उसके अधीन किसी उप-इजारेदार या उपठेकादार ने कोई शर्त तोड़ी है, जिसके उल्लंघन पर वह इजारा या ठेका की शर्तों के अनुसार बेदखल किया जा सकता है।
- (iv) इजारा या ठेका की अवधि चालू कृषि वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले समाप्त हो गई हो;
- (v) कि उसका व्यवहार काश्तकार या गांव के अन्य निवासियों के साथ उत्पीड़नात्मक रहा है।

202. **बेदखली के लिए कार्यवाही कैसे की जाएगी -** जब राज्य सरकार के अलावा कोई अन्य पट्टाकर्ता किसी भी आधार पर किसी इजारादार या ठेकेदार को बेदखल करना चाहता है, तो वह वाद द्वारा कार्यवाही करेगा।

203. **गलत तरीके से बेदखल किए जाने के लिए उपाय -** किसी इजारादार या ठेकेदार को, जिसे पूरे इजारा या ठेका क्षेत्र या उसके किसी भाग से गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया हो या पट्टाकर्ता या इसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या पट्टाकर्ता के एजेंट द्वारा गलत तरीके से इजारादार या ठेकेदार के रूप में

अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोका गया हो, वह ऐसे गलत तरीके से बेदखल किए जाने या गैरकानूनी हस्तक्षेप के लिए मुआवजे के लिए वाद दायर कर सकता है।

204. **समर्पण** - एक इजारादार या ठेकेदार किसी भी समय, पट्टाकर्ता की सहमति से, इजारा या ठेका क्षेत्र में अपना हित समर्पित कर सकता है।

205. **कब्जे में रखने का प्रावधान** - यदि कोई इजारादार या ठेकेदार अपने इजारा या ठेका की अवधि समाप्त होने के बाद भी कब्जे में रहता है और पट्टाकर्ता उससे किराया स्वीकार कर लेता है या अन्यथा उसके कब्जे को जारी रखने की सहमति दे देता है, तो इसके विपरीत किसी समझौते के अभाव में इजारा या ठेका प्रतिवर्ष नवीकृत माना जाएगा।

अध्याय XV

राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र

सामान्य

206. **लंबित मामलों आदि के लिए प्रावधान** - (1) इस अधिनियम के अंतर्गत निपटाए गए मामलों से संबंधित सभी वाद, मामले, अपील, आवेदन, संदर्भ और कार्यवाहियां, और इस अधिनियम के लागू होने पर राजस्व न्यायालय के समक्ष लंबित, इस अधिनियम के किसी भी विपरीत प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के तहत शुरू किए गए समझे जाएंगे और इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत निर्धारित तरीके से उनका विचारण, सुनवाई और निर्धारण किया जाएगा।

(2) ऐसे कोई वाद, मामले, अपील, आवेदन, निर्देश या कार्यवाही, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस राजस्व न्यायालय में नहीं आते या उसके द्वारा विचारणीय नहीं हैं, जिसके समक्ष वे पूर्वोक्त रूप से लंबित हैं, उस राजस्व न्यायालय को अंतरित कर दिए जाएंगे और विधि के अनुसार उसका प्रधान तथा अवधारित किया जाएगा, जिसमें वे आते हैं या जिसके द्वारा वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विचारणीय हैं।

(3) इस अधिनियम के लागू होने पर सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित कोई ऐसा वाद, आवेदन, मामला या कार्यवाही, जिसे धारा 207 द्वारा राजस्व न्यायालय द्वारा अनन्यतः विचारणीय घोषित किया गया है, ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा धारा 207 के अधीन सक्षम राजस्व न्यायालय को उससे निपटने और उसका निपटारा करने के लिए अंतरित किया जाएगा।

(4) इस अधिनियम के लागू होने पर राजस्व न्यायालय के समक्ष लंबित धारा 207 में निर्दिष्ट वादों, आवेदनों, मामलों या कार्यवाहियों के अलावा अन्य कोई वाद, आवेदन, मामला या कार्यवाहियां ऐसे राजस्व न्यायालय द्वारा उस सिविल न्यायालय को अंतरित कर दी जाएंगी, जिसे उनका विचारण, सुनवाई और अवधारण करने का अधिकार है।

207. **केवल राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञेय वाद और आवेदन-** (1) तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृति के सभी वाद और आवेदन राजस्व न्यायालय द्वारा सुने और निर्धारित किए जाएंगे।

(2) राजस्व न्यायालय के अलावा कोई अन्य न्यायालय किसी ऐसे वाद या आवेदन का अथवा किसी वाद हेतुक पर आधारित किसी वाद या आवेदन का संज्ञान नहीं लेगा जिसके संबंध में किसी ऐसे वादकर्ता आवेदन के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हो।

स्पष्टीकरण - यदि वाद का हेतुक ऐसा है जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा अनुतोष दिया जा सकता है, तो यह बात महत्वहीन है कि सिविल न्यायालय से मांगा गया अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा दिए जा सकने वाले अनुतोष से अधिक है, अतिरिक्त है, या समरूप नहीं है।

208. **सिविल प्रक्रिया संहिता का अनुप्रयोग** - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम V, 1908) के प्रावधान, सिवाय:

(क) इस अधिनियम की किसी बात से असंगत उपबंध, जहां तक असंगतता विस्तारित है।

(ख) केवल इस अधिनियम के दायरे से बाहर विशेष वादों या कार्यवाहियों पर लागू प्रावधान, और

(ग) चौथी अनुसूची की सूची 1 में अंतर्विष्ट उपबंध, चौथी अनुसूची की सूची 2 में अंतर्विष्ट उपांतरणों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन सभी वादों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

209. **कोई अनुतोष प्रदान करना जिसका वादी हकदार है-** किसी वाद या कार्यवाही में न्यायालय वादी के आवेदन पर तथा आवश्यक मुद्दे तैयार करने के पश्चात कोई अनुतोष प्रदान कर सकता है जिसे देने के लिए न्यायालय सक्षम है तथा जिसके लिए वह वादी को हकदार पाता है, भले ही वादपत्र या आवेदन में ऐसा अनुतोष न मांगा गया हो :

बशर्ते कि ऐसे मुद्दों को तैयार करने के बाद, न्यायालय किसी भी पक्ष के अनुरोध पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उचित समय प्रदान करेगा।

210. **प्रक्रिया जब किसी पर-व्यक्ति को सद्भावपूर्वक संदाय करने का अभिवचन किया जाता है** - जब इस अधिनियम के अधीन किराए के बकाया के लिए किसी किरायेदार के विरुद्ध संस्थित किसी वाद या कार्यवाही में किरायेदार यह अभिवचन करता है कि उसने उस जोत का किराया, जिसके संबंध में वाद या कार्यवाही संस्थित की गई है, किसी पर-व्यक्ति को संदत्त कर दिया है, जिसके बारे में वह सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह ऐसा किराया प्राप्त करने का हकदार है, तो

न्यायालय ऐसे किरायेदार के खर्चे पर ऐसे पर-व्यक्ति को वाद या कार्यवाही में पक्षकार बनाएगा और प्रश्न की जांच करेगा तथा उसका विनिश्चय करेगा।

211. **सह-हिस्सेदारों द्वारा वाद आदि** --(1) उपधारा (3) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जब किसी अधिकार, हक या हित में दो या अधिक सह-हिस्सेदार हों, तो उसके धारक द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात सभी बातें उनके द्वारा संयुक्त रूप से की जाएंगी, जब तक कि उन्होंने उन सभी की ओर से कार्य करने के लिए किसी अभिकर्ता को नियुक्त न कर लिया हो।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी स्थानीय प्रथा या विशेष संविदा पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसके द्वारा सह-हिस्सेदार, किरायेदार द्वारा देय किराये का पूरा भाग या उसका हिस्सा अलग से प्राप्त करने का हकदार है।

(3) जब दो या अधिक सह-हिस्सेदारों में से एक अकेले वाद लाने या कार्यवाही करने का हकदार नहीं है और शेष सह-हिस्सेदार संयुक्त रूप से उनके द्वारा वसूली योग्य धन के लिए वाद लाने या कार्यवाही में शामिल होने से इनकार करते हैं, तो ऐसा सह-हिस्सेदार अपने हिस्से के लिए अलग से वाद ला सकता है या कार्यवाही कर सकता है, तथा शेष सह-हिस्सेदारों को उसमें पक्षकार बना सकता है।

(4) जहां किसी होल्लिंग का किरायेदार या ऐसे किरायेदार का अवैध हस्तांतरिती भी ऐसी होल्लिंग में मालिकाना अधिकार में सह-हिस्सेदार है, वहां इस धारा की कोई बात उससे यह अपेक्षा नहीं करेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे किरायेदार या अवैध हस्तांतरिती के रूप में उसके विरुद्ध लाए गए या किए गए किसी वाद या आवेदन में उसे वादी या आवेदक के रूप में शामिल किया जाए।

212. **निषेधाज्ञा और रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान**-(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित हो जाता है कि-

(क) कोई संपत्ति, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा बर्बाद, क्षतिग्रस्त या अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने का खतरा है, या

(ख) यदि ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए उक्त संपत्ति को हटाने या निपटाने की धमकी देता है या उसका इरादा रखता है, तो न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा दे सकता है और यदि आवश्यक हो, तो रिसीवर नियुक्त कर सकता है।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश दिया गया है या जिसकी संपत्ति के संबंध में रिसीवर नियुक्त किया गया है, ऐसी राशि में नकद प्रतिभूति दे सकेगा, जितनी न्यायालय विरोधी पक्षकार को प्रतिकर देने के लिए अवधारित करे, यदि वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित हो जाती है, और ऐसी प्रतिभूति की राशि जमा

कर देने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर नियुक्त करने के आदेश को वापस ले सकेगा।

213. **बकाया किराये की डिक्री के निष्पादन में खातेदार काश्तकार के हित की बिक्री** --(1) धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खातेदार काश्तकार के अपने जोत में या उसके किसी भाग में हित को ऐसे जोत के बकाया किराये की डिक्री के निष्पादन में बेचा जा सकेगा और जब तक ऐसा हित उसके भूस्वामी द्वारा क्रय नहीं कर लिया जाता है, तब तक क्रेता का, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे जोत या भाग में वही हित होगा और उसके संबंध में वह काश्तकार के समान ही दायित्वों के अधीन होगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार खातेदार काश्तकार के अपने खाते के केवल एक भाग में हित को बेचने से पूर्व, डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय, बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, खाते के किराए को ऐसे भाग तथा खाते के शेष भाग पर वितरित करेगा।

(3) जब ऐसा हित बेचा जाता है -

(ए) उप-किरायेदार, या

(ख) कोई कृषि या अन्य मजदूर या ग्राम सेवक, जो गांव में रहता हो या,

(ग) कोई भी कृषक जो गांव में रहता है, या

(घ) राज्य सरकार या संपदा धारकों के अलावा कोई भू-स्वामी, या

(ई) संपदा धारक,

बिक्री की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, उपरोक्त प्राथमिकता क्रम में, उच्चतम बोली पर ऐसा हित लेने का दावा कर सकता है:

परंतु जहां एक ही वर्ग के दो या अधिक व्यक्ति, जो खंड (क) या खंड (ग) में उल्लिखित वर्ग है, ऐसा हित लेने का दावा करते हैं, वहां उस दावेदार को वरीयता दी जाएगी जो गांव में सबसे छोटे क्षेत्र में खेती करता है और जब वे समान क्षेत्र में खेती करते हैं तो दावे का निर्धारण विहित तरीके से किया जाएगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि यदि एक ही वर्ग के दो या अधिक व्यक्ति, जो खंड (ख) में उल्लिखित वर्ग है, ऐसा हित लेने का दावा करते हैं तो दावे का निर्धारण निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां खातेदार काश्तकार, जिसका हित इस धारा के अधीन बेचा गया है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, वहां खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित किसी भी वर्ग से संबंधित प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के बीच

वरीयता, किसी विशेष वर्ग के उस दावेदार को दी जाएगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।

214. **इस अधिनियम के अधीन मामलों में परिसीमा-** (1) तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाद और आवेदन उसमें विहित समय के भीतर संस्थित किए जाएंगे और किए जाएंगे तथा इस प्रकार विहित परिसीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात संस्थित किया गया प्रत्येक वाद या किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा:

परन्तु ऐसा कोई वाद या आवेदन, जिसके लिए उक्त अनुसूची द्वारा विहित अवधि इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्रवृत्त विधि द्वारा विहित अवधि से कम है, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् छह मास के भीतर या पूर्वोक्त विधि द्वारा विहित परिसीमा अवधि के भीतर, जो भी अवधि पहले समाप्त हो, संस्थित किया जा सकेगा या किया जा सकेगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसा कोई वाद या आवेदन जिसके लिए उक्त अनुसूची द्वारा परिसीमा अवधि निर्धारित की गई है किन्तु जिसके लिए पूर्वोक्त विधि द्वारा कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से संगणित उक्त अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर संस्थित या किया जा सकेगा।

(2) यदि किसी कृषि आपदा के कारण सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत किराये का भुगतान निलंबित कर दिया गया है, तो निलंबन की अवधि को ऐसे किराये की वसूली के लिए वाद के लिए निर्धारित सीमा अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 6X) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में वादों, अपीलों, आवेदनों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

215. **देय न्यायालय फीस-** इस अधिनियम के अधीन वादों और आवेदनों पर देय न्यायालय फीस तीसरी अनुसूची के छठे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से संस्थित या किए गए किसी वाद या आवेदन पर कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं होगा।

न्यायालय की शक्तियां

216. **राजस्व न्यायालयों की बैठक का स्थान-** (1) बोर्ड मामलों के निपटारे के लिए राज्य में किसी भी स्थान पर बैठक कर सकेगा।

(2) राजस्व अपील प्राधिकरण ऐसे स्थान या स्थानों पर बैठेगा जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश दे।

(3) कोई कलेक्टर, उप-मंडल अधिकारी या सहायक कलेक्टर उस जिले, उप-मंडल या अन्य स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर अपना न्यायालय स्थापित कर सकेगा, जहां उसकी नियुक्ति की गई है।

(4) तहसीलदार अपनी तहसील के भीतर किसी भी स्थान पर अपना न्यायालय स्थापित कर सकेगा।

217. **विभिन्न श्रेणियों के राजस्व न्यायालयों की सामान्य शक्तियां** --(1) इस अधिनियम के अधीन वादों और आवेदनों का निपटारा करने में सक्षम विभिन्न श्रेणियों के राजस्व न्यायालय वे होंगे जो तृतीय अनुसूची के सातवें स्तम्भ में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, तहसीलदार को उसके अनुसार केवल उन वादों या आवेदनों को निपटाने की शक्ति होगी, जिनमें राज्य सरकार पक्षकार नहीं है और जिनमें विषय-वस्तु की रकम या मूल्य तीन सौ रुपए से अधिक नहीं है या ऐसी अन्य अधिकतम सीमा, जो एक सौ रुपए से कम नहीं है, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे और जहां कोई वाद या आवेदन, जो तीसरी अनुसूची में तहसीलदार की क्षमता के भीतर निर्दिष्ट है, ऐसी रकम या मूल्य से अधिक है या राज्य सरकार के विरुद्ध लाया गया है या किया गया है, तो उसकी सुनवाई और निपटारा सहायक कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

218. **राजस्व न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियाँ** - पूर्वोक्त धारा में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त-

(i) राजस्व अपील प्राधिकारी को कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी;

(ii) कलेक्टर को उप-विभागीय अधिकारी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी;

(iii) उप-विभागीय अधिकारी को सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी; और

(iv) सहायक कलेक्टर को तहसीलदार के समान सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

219. **राजस्व न्यायालयों की अतिरिक्त शक्तियां**-(1) राज्य सरकार निम्नलिखित को प्रदान कर सकेगी-

(क) नायब तहसीलदार पर, तहसीलदार की सभी या कोई शक्तियां,

(ख) तहसीलदार पर सहायक कलेक्टर की सभी या कोई शक्तियां लागू होंगी, और

(ग) सहायक कलेक्टर पर, उप-विभागीय अधिकारी या कलेक्टर की सभी या कोई शक्तियां लागू होंगी।

(2) इस धारा के अधीन शक्तियां प्रदान करते समय राज्य सरकार व्यक्तियों को नाम से या अधिकारियों के वर्गों को सामान्यतया उनके पदीय पदनामों से सशक्त कर सकेगी।

(3) यदि किसी तहसील, उपखण्ड या अन्य क्षेत्र का कोई अधिकारी, जिसे इस धारा के अधीन नाम से कोई शक्तियां प्रदान की गई हैं, किसी अन्य तहसील, उपखण्ड, जिले या क्षेत्र में उसी प्रकृति के समान पद पर अन्तरित कर दिया जाता है, तो जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, उसे ऐसी अन्य तहसील, उपखण्ड, जिले या क्षेत्र में इस धारा के अधीन वही शक्तियां प्रदान की गई मानी जाएंगी।

220. **वे न्यायालय जिनमें कार्यवाही संस्थित की जाएगी** --तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी वाद और आवेदन, धारा 217 के उपबंधों के अनुसार उनका निपटारा करने में सक्षम निम्नतम श्रेणी के राजस्व न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे या किए जाएंगे।

परन्तु यदि किसी क्षेत्र में कोई सहायक कलेक्टर या उप-विभागीय अधिकारी नहीं है, तो उनमें से किसी के द्वारा संज्ञेय वाद या आवेदन ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले कलेक्टर के न्यायालय में या उससे अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जाएंगे।

221. **राजस्व न्यायालयों की अधीनता** -सभी राजस्व न्यायालयों का सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण बोर्ड में निहित होगा तथा ऐसे सभी न्यायालय बोर्ड के अधीन होंगे; तथा ऐसे अधीक्षण, नियंत्रण और अधीनता के अधीन रहते हुए-

(क) **हटाया गया** ।

(ख) किसी जिले के सभी अपर कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार उस जिले के कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे,

(ग) किसी उप-विभाग के सभी सहायक कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उस उप-विभागीय अधिकारी के अधीनस्थ होंगे, और

(घ) किसी तहसील के सभी अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार उस तहसील के तहसीलदार के अधीनस्थ होंगे।

अपील

222. **इस अधिनियम द्वारा अनुमति दिए जाने तक अपील नहीं की जा सकेगी** - इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

223. **मूल डिक्री के विरुद्ध अपील** - मूल डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकेगी।

- (i) कलेक्टर को, यदि ऐसा आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किया गया हो, तथा
- (ii) राजस्व अपील प्राधिकारी को, यदि ऐसा आदेश सहायक कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी या कलेक्टर द्वारा पारित किया गया हो।

224. **अपीलीय डिक्रियों के विरुद्ध अपीलें** --(1) कलेक्टर द्वारा अपील में पारित डिक्रियों के विरुद्ध अपील राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष होगी।

(2) राजस्व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित डिक्री के विरुद्ध बोर्ड में निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अपील की जा सकेगी, अर्थात्:

- (i) निर्णय का कानून के या कानून के बल वाली किसी प्रथा के विपरीत होना;
- (ii) निर्णय कानून या प्रथा के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे को निर्धारित करने में विफल रहा है, जो कानून का बल रखता है;
- (iii) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान की गई प्रक्रिया में कोई सारवान त्रुटि या दोष है, जिसके कारण गुण-दोष के आधार पर मामले के निर्णय में संभवतः कोई त्रुटि या दोष उत्पन्न हो गया हो, और
- (iv) निर्णय अभिलेख पर साक्ष्य के भार के विपरीत है, जहां निचली अपीलीय अदालत ने तथ्य के किसी प्रश्न पर ट्रायल कोर्ट के किसी निष्कर्ष को बदल दिया है या उलट दिया है।

225. **आदेशों से अपील** - (1) तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी आवेदन पर पारित अंतिम आदेश से तथा इस अधिनियम की धारा 212 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम, 5, 1908) की धारा 104 में वर्णित ऐसे अन्य आदेशों से अपील की जा सकेगी -

- (i) कलेक्टर को, यदि ऐसा आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किया गया हो,
 - (ii) राजस्व अपील प्राधिकारी को, यदि ऐसा आदेश सहायक कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी या कलेक्टर द्वारा पारित किया जाता है, और
 - (iii) बोर्ड को, यदि ऐसा आदेश राजस्व अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया हो।
- (1-ए) उप-धारा (1) के प्रावधान राजस्थान राजस्व कानून (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रारंभ की तारीख को लंबित सभी वादों, आवेदनों या कार्यवाहियों पर लागू होंगे।
- (1-ख) उन आदेशों के अतिरिक्त, जिनके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन अपील की जा सकती है, सभी लंबित अपीलें राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) अध्यादेश (1975 का अध्यादेश संख्या 13) के प्रारंभ होने की तारीख से उपशमित हो जाएंगी।
- (2) इस धारा के अधीन अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

226. **बोर्ड की अपील को सरसरी तौर पर खारिज करने की शक्ति** - बोर्ड या तो अपील स्वीकार कर सकता है या उसे सरसरी तौर पर खारिज कर सकता है।

227. **किसी डिक्री या आदेश को त्रुटि या अनियमितता के कारण उलटा या संशोधित नहीं किया जाएगा-** किसी डिक्री या आदेश को उलटा या पर्याप्त रूप से परिवर्तित नहीं किया जाएगा, न ही किसी मामले को अपील में, पक्षकारों के किसी गलत संयोजन या कार्रवाई के कारणों या किसी कार्यवाही में किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण, जो मामले के गुण-दोष पर प्रभाव नहीं डालती है, वापस भेजा जाएगा।

228. **अपीलों की सीमा-** (1) शिकायत की गई डिक्री या आदेश की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात कलेक्टर के समक्ष कोई अपील नहीं की जाएगी।

(2) शिकायत की गई डिक्री या आदेश की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील नहीं की जाएगी।

(3) शिकायत की गई डिक्री या आदेश की तारीख से नब्बे दिन की समाप्ति के पश्चात बोर्ड के समक्ष कोई अपील नहीं की जाएगी।

समीक्षा

229. **बोर्ड एवं अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति** - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम V, 1908) के उपबंधों के अधीन रहते हुए

(1) बोर्ड स्वप्रेरणा से या किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार के आवेदन पर स्वयं या अपने किसी सदस्य द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश का पुनरीक्षण कर सकता है, उसे रद्द, परिवर्तित या पुष्ट कर सकता है; और

(2) बोर्ड से भिन्न प्रत्येक राजस्व न्यायालय, ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री, आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन करने के लिए सक्षम होगा।

दोहराव

230. **बोर्ड की मामले मंगाने की शक्ति-** बोर्ड किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा विनिश्चित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकता है, जिसमें धारा 239 के अधीन बोर्ड या सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है और यदि ऐसा न्यायालय ऐसा प्रतीत होता है कि-

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया हो जो विधि द्वारा उसमें निहित न हो; या

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा हो; या

(ग) अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ किया हो।

बोर्ड मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

231. **उच्च न्यायालय को मामले मंगाने की शक्तियाँ**- उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद या आवेदन का अभिलेख मंगा सकता है जिसका निर्णय किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा किया जा चुका है और जिसमें धारा 239 के अधीन सिविल न्यायालय में अपील की जा सकती है किन्तु उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है, और यदि ऐसा सिविल या राजस्व न्यायालय-

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया हो जो विधि द्वारा उसमें निहित न हो; या

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा हो; या

(ग) अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ किया हो।

उच्च न्यायालय इसमें ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

संदर्भ

232. **अभिलेख मंगाने और बोर्ड को संदर्भित करने की शक्ति** - कलेक्टर अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा विनिश्चित या उसके समक्ष लंबित किसी मामले या कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, ताकि वह पारित आदेश या डिक्री की वैधता या औचित्य तथा कार्यवाही की नियमितता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सके, और यदि उसकी राय है कि ऐसे न्यायालय द्वारा पारित आदेश या डिक्री या की गई कार्यवाही में परिवर्तन किया जाना चाहिए, उसे रद्द किया जाना चाहिए या उलट दिया जाना चाहिए, तो वह उस मामले को अपनी राय के साथ बोर्ड के आदेश के लिए संदर्भित करेगा, तत्पश्चात बोर्ड ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे:

परन्तु इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग धारा 239 के क्षेत्राधिकार में आने वालेवादों या कार्यवाहियों के संबंध में नहीं किया जाएगा।

मामलों का स्थानांतरण

233. **राजस्व बोर्ड द्वारा मामलों का स्थानांतरण** - बोर्ड, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, किसी राजस्व न्यायालय से किसी वाद, कार्यवाही, आवेदन, अपील यावादों, कार्यवाही, आवेदन या अपील के वर्ग को किसी अन्य राजस्व न्यायालय को स्थानांतरित कर सकता है जो उससे निपटने के लिए सक्षम है।
234. **छोड़ा गया .**
235. **कलेक्टर और उप-विभागीय अधिकारी द्वारा मामलों का स्थानांतरण और वापसी** - कलेक्टर या उप-विभागीय अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय से कोई मामला या मामलों के वर्ग को वापस ले सकता है और ऐसे मामले

या मामलों के वर्ग पर स्वयं विचारण कर सकता है या उसे किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय को स्थानांतरित कर सकता है जो उससे निपटने में सक्षम हो।

236. **लोप**

237. **कलेक्टर या उप-विभागीय अधिकारी द्वारा मामलों का स्थानांतरण -** कलेक्टर या उप-विभागीय अधिकारी अपने समक्ष लंबित किसी मामले या मामलों के वर्ग को किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय को स्थानांतरित कर सकता है, जो उससे निपटने के लिए सक्षम हो।

238. **उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व अपीलों का अंतरण-** उच्च न्यायालय, पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर, धारा 239 की उपधारा (4) के अधीन किसी अपील को उस सिविल न्यायालय से, जिसमें वह लाया गया हो, किसी अन्य सिविल न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसकी सुनवाई करने में सक्षम हो।

राजस्व न्यायालयों में मालिकाना अधिकार का प्रश्न

239. **स्वामित्व अधिकार की दलील उठाए जाने पर प्रक्रिया -** (1) यदि राजस्व न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही में, ऐसे वाद या कार्यवाही की विषय-वस्तु बनने वाली भूमि के संबंध में स्वामित्व अधिकार का प्रश्न उठाया जाता है और ऐसा प्रश्न पहले ही सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय द्वारा अवधारित नहीं किया गया है, तो राजस्व न्यायालय स्वामित्व अधिकार के प्रश्न पर एक मुद्दा तैयार करेगा और उस मुद्दे के निर्णय के लिए रिकॉर्ड को सक्षम सिविल न्यायालय को प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण 1. - मालिकाना अधिकार का ऐसा तर्क जो स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है और जिसका उद्देश्य केवल राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करना है, इस धारा के अर्थ में मालिकाना अधिकार का प्रश्न उठाने वाला नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.- स्वामित्व अधिकार के प्रश्न में यह प्रश्न सम्मिलित नहीं है कि क्या ऐसी भूमि 'खुदाशत' है।

(2) सिविल न्यायालय, यदि आवश्यक हो तो, विवादक को पुनः विरचित करने के पश्चात् केवल ऐसे विवादक पर ही निर्णय करेगा तथा उस पर अपने निष्कर्ष सहित अभिलेख को उस राजस्व न्यायालय को लौटा देगा जिसने उसे प्रस्तुत किया था।

(3) तत्पश्चात् राजस्व न्यायालय, उसे निर्दिष्ट मुद्दे पर सिविल न्यायालय के निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए वाद का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(4) किसी राजस्व न्यायालय द्वारा ऐसे वाद में पारित डिक्री की अपील, जिसमें मालिकाना अधिकार का प्रश्न अन्तर्गृहीत है, उपधारा (2) के अधीन सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चित की गई है, उस न्यायालय में होगी, जिसे वाद के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, उस न्यायालय से अपील सुनने की अधिकारिता है, जिसे मालिकाना अधिकार का मुद्दा निर्दिष्ट किया गया था।

(5) उपधारा (4) के अधीन अपील में सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम 5, 1908) की धारा 100 में वर्णित किसी भी आधार पर उच्च न्यायालय में की जा सकेगी।

240. **धारा 239 के अधीन अपील के लिए परिसीमा और न्यायालय शुल्क --** पिछली धारा की उपधारा (4) और उपधारा (5) के अधीन अपीलों के संबंध में परिसीमा की अवधि और न्यायालय शुल्क वही होगा जो इन न्यायालयों में सिविल अपीलों के लिए समय-समय पर उपबंधित किया जाए।

241. **अपीलों में प्रक्रिया जब मालिकाना अधिकार के प्रश्न के निर्धारण के लिए सामग्री अभिलेख पर नहीं है -** यदि धारा 239 की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन किसी अपील में अपीलीय न्यायालय के पास मालिकाना अधिकार के प्रश्न के निर्धारण के लिए आवश्यक समस्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो वह या तो -

(क) मामले को सिविल न्यायालय को वापस भेजना जिसने मालिकाना अधिकार के प्रश्न पर निर्णय दिया था, या,

(ख) ऐसे प्रश्न के संबंध में एक नया मुद्दा तैयार करेगा और उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी अधीनस्थ सिविल न्यायालय को विचारण के लिए निर्दिष्ट करेगा।

सिविल न्यायालयों में किरायेदारी अधिकार का प्रश्न

242. **जब काश्तकारी अधिकार की दलील सिविल न्यायालयों में उठाई जाती है तब प्रक्रिया-** (1) यदि कृषि भूमि से संबंधित सिविल न्यायालय में संस्थित किसी वाद में काश्तकारी अधिकार के संबंध में कोई प्रश्न उठता है और ऐसा प्रश्न पहले ही सक्षम अधिकारिता वाले राजस्व न्यायालय द्वारा अवधारित नहीं किया गया है, तो सिविल न्यायालय काश्तकारी की दलील पर एक मुद्दा तैयार करेगा और उस मुद्दे के निर्णय के लिए उसे उपयुक्त राजस्व न्यायालय के समक्ष अभिलेखित करेगा।

स्पष्टीकरण - किरायेदारी का ऐसा अभिवाक जो स्पष्ट रूप से अस्थिर है और जिसका आशय केवल सिविल न्यायालय की अधिकारिता का उल्लंघन करना है, किरायेदारी का अभिवाक उठाना नहीं समझा जाएगा।

(2) राजस्व न्यायालय, यदि आवश्यक हो तो विवादक को पुनः विरचित करने के पश्चात् केवल ऐसे विवादक का ही विनिश्चय करेगा तथा उस पर अपने निष्कर्ष सहित अभिलेख को उस सिविल न्यायालय को लौटा देगा जिसने उसे प्रस्तुत किया था।

(3) इसके बाद सिविल न्यायालय, उसे निर्दिष्ट मुद्दे पर राजस्व न्यायालय के निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए वाद का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(4) राजस्व न्यायालय को निर्दिष्ट मुद्दे पर उसका निष्कर्ष, अपील के प्रयोजनों के लिए, सिविल न्यायालय के निष्कर्ष का भाग समझा जाएगा।

अधिकार क्षेत्र का संघर्ष

243. अधिकारिता के प्रश्न को उच्च न्यायालय को संदर्भित करने की शक्ति -

- (1) जहां किसी सिविल या राजस्व न्यायालय को संदेह हो कि क्या वह किसी वाद, मामले, कार्यवाही, आवेदन या अपील पर विचार करने के लिए सक्षम है या नहीं, या क्या उसे वादी, आवेदक या अपीलकर्ता को उसे अन्य प्रकार के न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश देना चाहिए, तो न्यायालय अपने संदेह के कारणों के कथन के साथ अभिलेख उच्च न्यायालय को प्रस्तुत कर सकेगा।
- (2) जहां कोई वाद, मामला, कार्यवाही, आवेदन या अपील, अधिकारिता के अभाव के आधार पर सिविल न्यायालय या राजस्व न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किए जाने के बाद, तत्पश्चात् दूसरे प्रकार के न्यायालय में दायर की जाती है, वहां यदि उत्तराधिकार न्यायालय, पूर्व के निष्कर्ष से असहमत है, तो असहमति के कारणों के कथन सहित अभिलेख उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करेगा।
- (3) उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाले मामलों में, न्यायालय कलेक्टर के अधीनस्थ राजस्व न्यायालय है, कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना, इस धारा के पूर्वगामी उपबंध के अधीन कोई संदर्भ नहीं किया जाएगा।
- (4) ऐसा कोई संदर्भ किए जाने पर, उच्च न्यायालय उस न्यायालय को या तो मामले को आगे बढ़ाने का आदेश दे सकता है या वादपत्र, आवेदन या अपील को ऐसे अन्य न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए वापस कर सकता है जिसे वह उस पर विचार करने के लिए सक्षम घोषित करे।
- (5) उच्च न्यायालय का आदेश अंतिम होगा तथा बोर्ड के अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।

244. अपील में यह दलील कि वाद गलत न्यायालय में संस्थित किया गया था -

जब कोई वाद सिविल या राजस्व न्यायालय में संस्थित किया जाता है और उसकी अपील सिविल न्यायालय में होती है, तो यह आपत्ति कि वाद गलत न्यायालय में संस्थित किया गया था, अपील न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसी आपत्ति प्रथम दृष्टया न्यायालय में न की गई हो, और यदि वाद सही न्यायालय में संस्थित किया गया हो, तो अपील न्यायालय अपीलों का निपटारा करेगा।

245. जब आपत्ति प्रथम न्यायालय में की गई हो तब प्रक्रिया - यदि किसी ऐसे वाद में आपत्ति प्रथम न्यायालय में की गई हो और अपील न्यायालय के पास वाद के निर्धारण के लिए आवश्यक सभी सामग्री मौजूद हो तो वह अपील का निपटारा ऐसे करेगा मानो वाद सही न्यायालय में संस्थित किया गया हो;

- (2) यदि अपील न्यायालय के पास ऐसी समस्त सामग्री उपलब्ध नहीं है और वह मामले को प्रतिप्रेषित करता है या विवादक विरचित करता है और उन्हें विचारण के लिए निर्दिष्ट करता

है, या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने की अपेक्षा करता है, तो वह अपना आदेश या तो उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा जिसमें वाद संस्थित किया गया था, या ऐसे न्यायालय को, जिसे वह उस पर विचारण करने के लिए सक्षम घोषित करता है।

(3) किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील में या अन्यथा इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी या नहीं उठाई जाएगी कि वह आदेश ऐसे न्यायालय को दिया गया है जो वाद का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है।

अध्याय 16

मिश्रित

246. **राजस्व, लाभ आदि का बकाया** - कोई भी व्यक्ति भूमि की उपज से प्राप्त किराए, राजस्व या लाभ के बकाया के रूप में किसी राशि का दावा करता है, तो वह उसे वसूलने के लिए वाद ला सकता है।

247. **बकाया राजस्व भुगतान के लिए वाद** - (1) कोई संपदा-धारक, जिसने सह-हिस्सेदार के कारण बकाया राजस्व भुगतान कर दिया है, ऐसे सह-हिस्सेदार के विरुद्ध भुगतान की गई राशि के लिए वाद ला सकता है।

(2) सह-हिस्सेदार जिसने किसी संपदा-धारक या अन्य सह-हिस्सेदार के खाते में राजस्व का बकाया चुकाया है, वह ऐसे संपदा-धारक या सह-हिस्सेदार पर इस प्रकार चुकाई गई राशि के लिए वाद दायर कर सकता है।

248. **इजारेदारों या ठेकेदारों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद** - कोई इजारेदार या ठेकेदार, संपदा धारक या उसके सह-हिस्सेदारों या दोनों से देय राजस्व के बकाया के रूप में उसके द्वारा भुगतान की गई किसी राशि की वसूली के लिए वाद दायर कर सकता है और संपदा धारक या सह-हिस्सेदार द्वारा उसके खाते में भुगतान की गई किसी राशि की वसूली के लिए उसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है।

249. **खातों के निपटान के लिए वाद** - एक सह-हिस्सेदार खातों के निपटान और लाभ में अपने हिस्से के लिए संपत्ति धारक या किसी अन्य सह-हिस्सेदार पर वाद कर सकता है।

250. **कुछ मामलों में पक्षकारों का सम्मिलित होना** - धारा 246 या धारा 247 या धारा 248 या धारा 249 के अधीन किसी वाद में वादी किसी भी संख्या में व्यक्तियों के विरुद्ध सामूहिक रूप से वाद ला सकता है और ऐसे मामले में डिक्री में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि उससे प्रत्येक व्यक्ति किस सीमा तक प्रभावित होगा।

251. **मार्गाधिकार तथा अन्य निजी सुखाचार** --(1) किसी भूमि धारक के मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार के वास्तविक उपभोग में, उसकी सहमति के बिना, विधि के सम्यक् अनुक्रम के अलावा किसी अन्य तरीके से ऐसे उपभोग में विघ्न डाला गया हो, तो तहसीलदार, ऐसे विघ्न डाले गए भूमि धारक के आवेदन पर और ऐसे उपभोग तथा विघ्न के तथ्य की संक्षिप्त जांच करने के पश्चात,

विघ्न को हटाने या बंद करने का आदेश दे सकेगा और आवेदक-धारक को ऐसा उपभोग पुनः प्रदान किया जाएगा, भले ही ऐसी पुनःस्थापना के विरुद्ध तहसीलदार के समक्ष कोई अन्य हक स्थापित किया गया हो।

(2) इस धारा के अधीन पारित कोई आदेश किसी व्यक्ति को ऐसा अधिकार या सुखाधिकार स्थापित करने से नहीं रोकेगा जिसका वह सक्षम सिविल न्यायालय में नियमित वाद द्वारा दावा कर सकता है।

[251ए. भूमिगत पाइप लाइन बिछाना या किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर नया रास्ता खोलना या विद्यमान रास्ते को बढ़ाना।- (1) जहां -

(क) कोई काश्तकार किसी अन्य खातेदार की जोत की सिंचाई के प्रयोजनार्थ उसकी जोत से होकर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने का इरादा रखता है; या

(ख) कोई काश्तकार या काश्तकारों का समूह किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर अपने खाते या, यथास्थिति, अपने खाते तक पहुंचने के लिए नया रास्ता या मौजूदा रास्ते को बढ़ा या चौड़ा करने का इरादा रखता है और मामला आपसी समझौते से नहीं निपटता है, तो काश्तकार या काश्तकार, यथास्थिति, संबंधित उपखंड अधिकारी को ऐसी सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं और उपखंड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के बाद संतुष्ट हो जाता है कि,

(i) आवश्यकता परम आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक आनंद के लिए नहीं है; तथा

(ii) विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत के बीच से एक नए रास्ते के मामले में, यह साबित हो जाने पर कि पहुंच के वैकल्पिक साधनों का अभाव है, आदेश द्वारा आवेदक को, उस भूमि पर काश्तकार द्वारा निर्धारित या इंगित की गई रेखा के साथ भूमि की सतह के नीचे कम से कम तीन फुट की गहराई पर पाइप लाइन बिछाने की अनुमति दी जा सकेगी, या उस भूमि पर काश्तकार द्वारा इंगित किए गए ट्रैक पर भूमि के बीच से तीस फुट से अधिक चौड़ा नया रास्ता बनाने की अनुमति दी जा सकेगी, और यदि ऐसा कोई ट्रैक इंगित नहीं किया गया है, तो सबसे छोटे या निकटतम मार्ग से, या मौजूदा रास्ते को तीस फुट से अधिक नहीं बढ़ाने या चौड़ा करने की अनुमति दी जा सकेगी, जो कि उपखंड अधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से निर्धारित मुआवजे के भुगतान पर, उस काश्तकार को दी जा सकेगी, जिसके माध्यम से पाइप लाइन बिछाने या नया रास्ता बनाने या मौजूदा रास्ते को बढ़ाने या चौड़ा करने का अधिकार दिया गया है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया रास्ता बनाने या विद्यमान रास्ते को बढ़ाने या चौड़ा करने का अधिकार दिया गया है, वहां ऐसे रास्ते को शामिल करने वाली भूमि के संबंध में काश्तकारी समाप्त समझी जाएगी और भूमि को राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में दर्ज किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए अनुज्ञात व्यक्ति, उक्त सुविधा के आधार पर, उस खाते में कोई अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेगा जिसके माध्यम से ऐसी सुविधा प्रदान की गई है।

252. **अवैध वसूली के लिए किरायेदार को मुआवजे का अधिकार** - यदि कोई व्यक्ति-

(i) जानबूझकर लगान या सायर के बकाया के रूप में देय राशि से अधिक राशि या उत्पादन वसूलता है; या

(ii) इस अधिनियम द्वारा अनुमत दर से अधिक दर पर किराये के बकाया पर ब्याज वसूलता है; या

(iii) धारा 34 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या प्रीमियम या उपकर के रूप में कोई राशि वसूल करता है जो धारा 34 और 35 के प्रावधानों के तहत वसूल नहीं की जा सकती है; या

(iv) ऐसा कोई किराया एकत्रित करता है जिसका भुगतान इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निलम्बित कर दिया गया है, या निलम्बन की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऐसा कोई किराया एकत्रित करता है जिसका भुगतान इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निलम्बित कर दिया गया है; या

(v) बिना किसी उचित कारण के, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं, बल्कि किराए या सायर के रूप में किए गए भुगतान को जमा करता है,

काश्तकार ऐसे व्यक्ति से एक सौ रुपए से अनधिक ऐसा प्रतिकर वसूल करने का हकदार होगा, जैसा न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तय करे, जो किसी ऐसी रकम या किसी ऐसी उपज के मूल्य के अतिरिक्त होगा, जो इस प्रकार वसूल की गई हो, वसूल की गई हो या जमा की गई हो।

253. **रसीद देने में विफलता** --(1) जब किराये की बकाया राशि के लिए किसी वाद में न्यायालय पाता है कि राज्य सरकार से भिन्न भूमिधारक ने उचित कारण के बिना, धारा 135 द्वारा विहित रीति से काश्तकार को रसीद देने से इनकार कर दिया है या प्रतिपण रखने में उपेक्षा की है, तो वह काश्तकार को ऐसा प्रतिकर दे सकेगा जो चुकाए गए किराये की रकम या मूल्य के दोगुने से अधिक नहीं होगा, जैसा वह तय करे।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 135 के उपबंधों के अनुसार रसीद देने से अभ्यासतः इंकार करेगा या उपेक्षा करेगा तो वह दंड न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर दो सौ रुपए से अधिक जुर्माने से दंडनीय होगा।

254. **अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.**-- (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध के अधीन की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने का तात्पर्यित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

255. **लागत आदि की वसूली** - इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन राज्य सरकार को देय सभी दरें, लागत, ब्याज, प्रभार, फीस, जुर्माना, दंड, प्रतिकर और अन्य धनराशियां, जब तक कि अन्यथा विशिष्ट रूप से उपबंधित न हो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होंगी।

256. **सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर प्रतिबंध** - (1) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी विषय के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही किसी सिविल न्यायालय में नहीं लाई जाएगी, जिसके लिए वाद, आवेदन, अपील या अन्यथा द्वारा उपचार का प्रावधान है।

(2) जैसा पूर्वोक्त है उसके सिवाय, राज्य सरकार या किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित कोई आदेश किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।

257. **सरकार की नियम बनाने की शक्ति** --(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्;

(i) इस अधिनियम के अधीन देय फीस;

(ii) हटाया गया।

(iii) पट्टों, प्रतिपत्रों और समझौतों का सत्यापन;

(iv) हटाया गया।

(v) कोई विषय जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है, अथवा जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसे उपबंध द्वारा नियम बनाए जाने अपेक्षित हैं या बनाए जा सकते हैं।

258. **बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति** --(1) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से तथा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम तथा धारा 257 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित उपबंध कर सकेंगे:

(i) किराये के निर्धारण, वृद्धि, कटौती और संराशीकरण में अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए;

(ii) इस अधिनियम के अधीनवादों और आवेदनों पर निर्णय करने वाले अधिकारियों का मार्गदर्शन;

(iii) इस अधिनियम के अधीनवादों और आवेदनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में;

(v) वे व्यक्ति जिनके समक्ष तथा वह ढंग जिससे शपथपत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा वे विषय जो शपथपत्र द्वारा उपबंधित किए जा सकेंगे;

(vi) उन सिद्धांतों के संबंध में जिनके आधार पर जोत के उस भाग का निर्धारण किया जा सकेगा, जिससे काश्तकार को बेदखल किया जाना है और ऐसे भाग का निर्धारण;

(vii) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन लगाए गए, अधिनिर्णीत किए गए या भुगतान किए जाने का आदेश दिए गए जुर्मानों, प्रतिकर, नुकसानी या अन्य राशियों के संग्रहण के लिए;

(viii) किराया दर अधिकारी के मार्गदर्शन हेतु;

(ix) किसी जोत या ऐसी जोत के किसी भाग में किसी काश्तकार के हित की बिक्री द्वारा बकाया किराये के लिए डिक्री के निष्पादन में अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए;

(x) उन सभी विषयों के लिए, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन विहित किए जा सकते हैं या विहित किए जाने अपेक्षित हैं, अथवा जिनके लिए ऐसे किसी उपबंध द्वारा राज्य सरकार से भिन्न किसी अन्य द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं या बनाए जाने अपेक्षित हैं; तथा

(xi) इस अधिनियम और धारा 257 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को साधारणतया प्रभावी करने के लिए;

259. **नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे.**-- (1) धारा 257 और धारा 258 के अधीन बनाए गए सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का केन्द्रीय अधिनियम X) की धारा 23 के खण्ड (3) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख, प्रस्तावित नियमों के प्रारूप के अंतिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख से एक माह से कम नहीं होगी।

परन्तु यदि राज्य सरकार समझती है कि धारा 257 के अधीन कोई नियम तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए तो उसे पूर्व प्रकाशन के बिना भी बनाया जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन के लिए रखे जाएंगे।

260. **व्यावृत्ति** --इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों की कोई बात किसी भी प्रकार से राजस्थान भूदान योजना अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम XVI 1954) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या उन उपबंधों के अधीन या उनके अनुसरण में की गई या की गई समझी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगी।

पहली अनुसूची

[धारा 3(1) देखें]

निरस्त किये गये अधिनियमों की सूची

क्र.सं.	अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक	निरसन की सीमा
1	बूंदी राज्य काश्तकारी अधिनियम.	संपूर्ण.
2	बीकानेर काश्तकारी अधिनियम, 1945	संपूर्ण.
3	मारवाड़ काश्तकारी अधिनियम, 1949	संपूर्ण.
4	जयपुर काश्तकारी अधिनियम, 1945	संपूर्ण.
5	जयपुर राज्य भूमि काश्तकारी अधिनियम, 1947	सर्वेक्षण, अभिलेख और बंदोबस्त कार्यों से संबंधित प्रावधान को छोड़कर संपूर्ण।
6	राजस्थान वृक्ष-हरण (विनियमन) अध्यादेश, 1949।	वे पूरे.
7	राजस्थान काश्तकार संरक्षण अध्यादेश, 1949	संपूर्ण.
8	राजस्थान काश्तकार संरक्षण अध्यादेश (संशोधन) अधिनियम, 1952	संपूर्ण
9	राजस्थान (किराएदारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1954	संपूर्ण.
10	राजस्थान राजस्व न्यायालय (प्रक्रिया और अधिकारिता) अधिनियम, 1951।	सर्वेक्षण, अभिलेख और बंदोबस्त कार्यों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर संपूर्ण।

11	राजस्थान उपज किराया विनियमनसंपूर्ण. अधिनियम, 1951	
12	राजस्थान कृषि किराया नियंत्रणसंपूर्ण. अधिनियम, 1954।	

दूसरी अनुसूची

जागीर भूमि का स्वामित्व

[धारा 5 का खंड (22) देखें]

1. जागीर

2 इस्तमरार

3. चकोटी

4. तन्खा

5. सूबा

6. मनीला

7. एलएनएम

8. लालजी

9. कांगी

10. अलूफा

11. धौलपुर राज्य के ठिकाने

12. खिदमत

13. खानपन

14. जैदाद सिघा

15. मुआफ़ी

16. टंकेदार

17. भूम

18. सलामी

19. चकराना

20. पेट्रोटी

21. राजवी

22. ताज़िमी

23. भोगता

24. मुस्तदी

25. हजूरी

26. संसन

27. खवास पासवान

28. रिसाला

29. मेर्जिडान

30. पट्टे

31. उदक

32. गुरजारा

33 जूना जागीर

34. भोमिचारा

35. पासाइता

36 मनका

37. दुम्बा

38. डोली

39. मिलक

40. पुण्यार्थ

41. धर्मदा

42. इजारा इस्तिमरा.

43. बापोती

44. बखशीष

45. राज्य द्वारा अनुदानित भूमि का कोई अन्य वर्ग या स्वामित्व।

तीसरी अनुसूची

अधिनियम के तहत मुकदमे, आवेदन और अपील

(देखें- धारा 207, 214, 215 और 217)

टिप्पणी:- इस अनुसूची में न्यायालय फीस अधिनियम के संदर्भ, राजस्थान के लिए अनुकूलित केन्द्रीय विधानमंडल के न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के संदर्भ समझे जाएंगे।

क्र. सं.	अधिनियम की धारा	वाद, आवेदन या अपील का विवरण	सीमा अवधि	पीरियड से उचित समय चलना शुरू होता है	न्यायालय शुल्क	निपटान हेतु सक्षम न्यायालय/अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
पार्ट-सूट						
1	32	पट्टा या प्रतिपक्ष प्राप्त करने के लिए वाद	कोई नहीं	कोई नहीं	एक रुपया	सहायक कलेक्टर
2	xxx					
3		जोत के विभाजन के लिए वाद.	कोई नहीं	कोई नहीं	"	सहायक कलेक्टर

4	58	आत्मसमर्पण के नोटिस को अवैध घोषित करने के लिए वाद	कोई नहीं	कोई नहीं	"	सहायक कलेक्टर
5	88	वादी के अधिकारों की घोषणा के लिए वाद:- (I) किरायेदार के रूप में, या (ii) खुदकाश के किरायेदार के रूप में, या (iii) उप-किरायेदार के रूप में, या (iv) संयुक्त किरायेदारी में हिस्सेदारी के लिए	कोई नहीं	कोई नहीं	"	सहायक कलेक्टर
6	89	घोषणा के लिए वाद:- (I) किरायेदारी का वर्ग. (ii) होल्लिंग की सीमा का क्षेत्रफल। (iii) इसके संबंध में देय किराया तथा उसके भुगतान की रीति। (iv) किस्तों की तारीख। (v) मूल्यांकन का समय, स्थान और तरीका, वितरण का विभाजन (vi) किरायेदारी का समय। (vii) अन्य विशेष शर्तें।	कोई नहीं	कोई नहीं	"	सहायक कलेक्टर
7	90	भूमि को खुदाशत घोषित करने के लिए वाद।	कोई नहीं	कोई नहीं	"	सहायक कलेक्टर
8	91	किसी अन्य अधिकार की घोषणा के लिए वाद।	कोई नहीं	कोई नहीं	"	सहायक कलेक्टर
8-एक	92	निषेधाज्ञा के लिए वाद.	तीन साल	जब कार्य का कारण उत्पन्न होता है।		सहायक कलेक्टर
9	109	किराये की घोषणा, परिवर्तन, वृद्धि या कटौती के लिए वाद।	धारा 109 के अनुसार	धारा 109 के अनुसार		
10	115	किराया निर्धारण के लिए वाद।	कोई नहीं	कोई नहीं	"	सहायक कलेक्टर

		लिए वाद.				
11	117	-3 धारा 117(2) के तहत दिए गए फैसले को संशोधित करने या रद्द करने के लिए वाद।	कोई नहीं	कोई नहीं	"	सहायक कलेक्टर
12	117	(4) किराये के भुगतान के तरीके की घोषणा के लिए वाद।	कोई नहीं	कोई नहीं	"	सहायक कलेक्टर
13	118	किराये में परिवर्तन के लिए वाद.	कोई नहीं	कोई नहीं	"	सहायक कलेक्टर
14	120 और 121	किराया वृद्धि के लिए वाद.	कोई नहीं	कोई नहीं	"	सहायक कलेक्टर
15	120 और 124	किराये में कमी के लिए वाद.	कोई नहीं	कोई नहीं	"	सहायक कलेक्टर
16	142	जमा राशि की वसूली के लिए वाद।	तीन साल	जब जमा की गई राशि का भुगतान कर दिया गया।	न्यायालय शुल्क अधिनियम के अनुसार	तहसीलदार.
17	150	उपज किराये के बकाया के लिए वाद.	तीन साल	वह तिथि जिस दिन बकाया देय हुआ	न्यायालय शुल्क अधिनियम के अनुसार	सहायक कलेक्टर
18	154	किराये के बकाया के लिए वाद.	तीन साल	वह तारीख जिस दिन बकाया देय हो गया।	न्यायालय शुल्क अधिनियम के अनुसार	तहसीलदार.
19	155	सह-किरायेदार के विरुद्ध उसके खाते पर भुगतान किए गए किराए के लिए मुकदमा।	तीन साल	वह तारीख जिस दिन भुगतान देय था।	जैसा कि न्यायालय शुल्क अधिनियम में है।	तहसीलदार.
20	158	सिंचाई शुल्क के बकाये के लिए वाद।	तीन साल का बकाया हो गया।	वह तिथि जिस दिन फीस अधिनियम लागू होगा।	जैसा कि न्यायालय में है।	तहसीलदार
21	160	किराये से अधिक वसूली गई किसी राशि की वसूली के लिए किरायेदार द्वारा किया गया वाद।	तीन साल	भुगतान तिथि.	जैसा कि न्यायालय शुल्क अधिनियम में है।	तहसीलदार

22	179	क्षतिपूर्ति या निषेधाज्ञा या क्षति या बर्बादी की मरम्मत के लिए वाद	एक वर्ष	जब क्षति होती है या बर्बादी शुरू होती है या हालत खराब होती है।	एक रुपया	सहायक कलेक्टर
23	183	अतिचारी को बाहर निकालने के लिए वाद.	बारह वर्ष	जब कार्य का कारण उत्पन्न होता है	एक रुपया	सहायक कलेक्टर
23-ए	187	कब्जे की वसूली मुआवजे के लिए या दोनों के लिए वाद।	या तीन साल	राजस्थान काश्तकारी (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1960 के लागू होने पर या जब गलत तरीके से बेदखली या बेदखली होती है या काश्तकार को कब्जा प्राप्त करने से रोका जाता है, जो बाद में भी हो सकता है।	एक रुपया	सहायक कलेक्टर
23-बी	187-बी	कब्जे के आधार पर पुनःस्थापना के लिए सारांश वाद।	छह महीने	जब बेदखली या बेदखली होती है।	पचास पैसे	सहायक कलेक्टर
23-सी	188	शाश्वत निषेधाज्ञा के लिए वाद.	तीन साल की कार्यवाही	जब इसका कारण	एक रुपया	सहायक कलेक्टर
24	191	एक ग्राम सेवक को बेदखल करने के लिए सम्पत्ति धारक द्वारा वाद।	कोई नहीं	कोई नहीं	एक रुपया	सहायक कलेक्टर
25	194(3)	बाग की भूमि के विभाजन के लिए वाद.	कोई नहीं	कोई नहीं	एक रुपया	सहायक कलेक्टर
26	197	किराये के निर्धारण, अध्याय IX और X के साथ पढ़ें	जैसा भी मामला हो, खातेदार या भू-स्वामी के विरुद्ध मुकदमा। या भू-स्वामी के संबंध में।	जैसा भी मामला हो, खातेदार या भू-स्वामी के संबंध में। या भू-स्वामी के	जैसा भी मामला हो, खातेदार या भू-स्वामी के संबंध में।	जैसा भी मामला हो, खातेदार काश्तकार या भू-स्वामी के

				संबंध में।	
27	198 अध्याय XI के साथ पढ़ा गया।	बेदखली के लिए धारकों द्वारा या उनके विरुद्ध मुकदमा।	जैसा भी मामला हो, खातेदार काश्तकार या भू-स्वामी के संबंध में।	जैसा भी मामला हो, खातेदार काश्तकार या भू-स्वामी के संबंध में।	जैसा भी मामला हो, खातेदार काश्तकार या भू-स्वामी के संबंध में।
27-ए	198-ए अध्याय VIII के साथ पढ़ा गया।	उन अध्यायों में निर्दिष्ट घोषणा या अधिकारों और अन्य मामलों के लिए ग्रोव धारकों द्वारा या उनके विरुद्ध या मुकदमे।	जैसा भी मामला हो, खातेदार काश्तकार या भू-स्वामी के संबंध में।	जैसा भी मामला हो, खातेदार काश्तकार या भू-स्वामी के संबंध में।	जैसा भी मामला हो, खातेदार काश्तकार या भू-स्वामी के संबंध में।
28	199 अध्याय IX और X के साथ पढ़ें	धारा 199 के उपबंधों के अधीन अध्याय 9 और 10 में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में इजारेदारों या ठेकेदारों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद।	जैसा भी मामला हो, खातेदार काश्तकार या भू-स्वामी के संबंध में।	जैसा भी मामला हो, खातेदार काश्तकार या भू-स्वामी के संबंध में।	जैसा भी मामला हो, खातेदार काश्तकार या भू-स्वामी के संबंध में।
29	202	इजारेदार या ठेकेदार को बेदखल करने के लिए वाद।	कोई नहीं	कोई नहीं	एक रुपया सहायक कलेक्टर.
30	203	इजारेदार या ठेकेदार द्वारा मुआवजे के लिए वाद दायर करना।	एक वर्ष की कार्रवाई उत्पन्न होती है।	जब अधिनियम का कारण शुल्क के रूप में	न्यायालय सहायक कलेक्टर
31	246	बकाया किराये, राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए वाद	तीन वर्ष का समय हो गया है।	जब बकाया अधिनियम. शुल्क के रूप में	न्यायालय तहसीलदार
32	247	राजस्व या किराये के बकाया के रूप में भुगतान की गई राशि के लिए वाद: (i) सह-हिस्सेदार, या (ii) संपदा धारक।	तीन साल जब भुगतान किया गया.	जैसा कि न्यायालय शुल्क अधिनियम में है।	तहसीलदार.
33	248	राजस्व या किराये के बकाया के रूप में	तीन साल जब भुगतान किया गया.	न्यायालय शुल्क	तहसीलदार.

		भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए इजारेदारों या ठेकेदारों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद।			अधिनियम के अनुसार	
34	259	खातों के निपटान और लाभ के विभाजन के लिए वाद।	तीन वर्ष जब मुनाफा विभाज्य हो गए		जैसा कि न्यायालय शुल्क अधिनियम में है।	तहसीलदार.
35	सामान्य	इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी विषय के संबंध में कोई अन्य वाद इस अनुसूची में अन्यत्र विशिष्ट रूप से उपबंधित है।	एक वर्ष जब कार्य का कारण उत्पन्न होता है।		एक रुपया	सहायक कलेक्टर.
भाग-II आवेदन						
35-ए	15(3)	खातेदारी अधिकार अर्जित करने की घोषणा के लिए आवेदन।	तीन साल	प्रारंभ की तिथि	पचास पैसे.	सहायक कलेक्टर.
35-बी	15(2)		चार वर्ष	"	"	"
35-सी	15-एए- (2)	इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में खातेदारी अधिकार घोषित करने के लिए आवेदन।	एक वर्ष	राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1979 के लागू होने की तिथि।	पचास पैसे	सहायक कलेक्टर या विहित प्राधिकारी
35-सीसी	15-एए- (3)	इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में खातेदारी अधिकार के लिए आवेदन	30.6.1987 तक या जिस दिन तक राज्य सरकार द्वारा अवधि बढ़ाई गई हो।		पचास पैसे	सहायक कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या प्राधिकारी।
35-डी	19(2)	खातेदारी अधिकार अर्जित करने की घोषणा के लिए आवेदन।	दो वर्ष	राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1959 के लागू होने की तिथि।	पचास पैसे	सहायक कलेक्टर
35-ई	19(2ए)(i)	खातेदारी अधिकार	एक वर्ष	राजस्थान	आवेदन	सहायक कलेक्टर.

		अर्जित करने की घोषणा के लिए कार्यवाही या आवेदन प्रस्तुत करना।		काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1979 के प्रारंभ की तिथि।	पर पचास पैसा, स्वप्रेरित कार्यवाही पर कोई नहीं।	
36	19-(2ए)(iv)	कब्जे की वापसी के लिए आवेदन.	छह महीने	वह तिथि जिस दिन धारा 19(2ए)(i) या 19(2ए)(ii) के अंतर्गत घोषणा की जाती है	पचास पैसे	सहायक कलेक्टर
36-ए	19(4)	खुदकाश्त काश्तकार या उप-काश्तकार द्वारा आवेदन कि वह खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं करना चाहता है।	तीन साल	राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1959 के लागू होने की तिथि।	पचास पैसे.	सहायक कलेक्टर
37	30-ई(2)	अधिकतम सीमा से अधिक भूमि का समर्पण।	से धारा 30E(i) के तहत छह महीने	अधिसूचित तिथि	कोई नहीं	तहसीलदार.
38	31	आवासीय मकान के लिए स्थल आवंटन हेतु आवेदन।	कोई नहीं	कोई नहीं	पचास पैसे	तहसीलदार.
38-ए	33	पट्टों का आवेदन या सत्यापन।	चार महीने	फांसी की तारीख.	पचास पैसे सरकारी द्वारा।	नियुक्त अधिकारी या व्यक्ति
38-बी	36-ए	नलबट के अधिकार अधिग्रहण के लिए आवेदन।	एक वर्ष, दिनांक राज. काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1959 का प्रारंभ।		एक रुपया	उप-विभागीय अधिकारी।
38-सी	42-ए	बिक्री, उपहार या वसीयत को वैध घोषित करने के लिए आवेदन।	एक वर्ष।	राज. काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1981 के लागू होने की तिथि।	पचास पैसे.	कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी
39	49	समेकन हेतु विनियम हेतु आवेदन.	कोई नहीं	कोई नहीं	पचास पैसे.	सहायक कलेक्टर
40	61(1)	परित्याग से संबंधित	कोई नहीं	कोई नहीं	पचास	तहसीलदार

		उद्घोषणा जारी करने के लिए आवेदन।		पैसे.	
41	62(2)	परित्यक्त समझी गई एक वर्ष जोत की पुनः स्थापना और बहाली के लिए आवेदन।	प्रकाशन या उद्घोषणा की तारीख.	एक रुपया	तहसीलदार.
41-ए	63(2)	मुख्य किरायेदार के अधिकार के अधिग्रहण के लिए आवेदन।	मुख्य किरायेदार के हित के विलुप्त होने की तारीख.	एक रुपया	सब-डिवीजनल
42	67	भूमि सुधार हेतु स्वीकृति हेतु भूमि धारक द्वारा आवेदन	कोई नहीं	पचास नये पैसे	तहसीलदार.
43	69	किरायेदार द्वारा किसी सुधार कार्य की अनुमति के लिए आवेदन, जिसे भूमिधारक करना चाहता है।	कोई नहीं	पचास नये पैसे	तहसीलदार
43-ए	72 शर्त	किराये के संराशीकरण के लिए आवेदन.	कोई नहीं	एक रुपया	उप-विभागीय अधिकारी
44	77	सुधारों पर व्यय के पंजीकरण के लिए आवेदन।	कार्य पूर्ण होने की तिथि.	पचास नये पैसे।	तहसीलदार
45	78	धारा 78 में निर्दिष्ट प्रकृति के सुधार के बारे में विवाद के निर्णय के लिए आवेदन	कोई नहीं	पचास नये पैसे	सहायक कलेक्टर.
46	79(2)	वृक्ष लगाने या पहले से लगाए गए वृक्षों को हटाने पर रोक लगाने के आदेश के लिए आवेदन।	कोई नहीं	पचास नये पैसे	तहसीलदार
46-ए	80	उन वृक्षों के लिए प्रतिकर के भुगतान के लिए आवेदन, जो इस धारा के अंतर्गत खातेदार काश्तकार में निहित हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति हैं।	अधिनियम के प्रारंभ की तिथि.	पचास नये पैसे।	तहसीलदार.
46-ख	81	वृक्षों के स्वामी के अलावा किसी अन्य	अधिनियम के प्रारंभ की तिथि.	पचास नये पैसे।	तहसीलदार.

		व्यक्ति को किराए पर दी गई खाली भूमि पर खड़े वृक्षों के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए आवेदन।				
47	84(5)	पेड़ों को हटाने के लिए कोई नहीं। लाइसेंस का आवेदन।	कोई नहीं	पचास पैसे	उप-विभागीय अधिकारी।	
48(1)	85	धारा 85 में विनिर्दिष्ट प्रकृति के वृक्षों से संबंधित विवाद के निर्णय के लिए आवेदन।	कोई नहीं	पचास पैसे	तहसीलदार	
48(2)	86	अवैध रूप से पेड़ों को हटाने पर दण्ड देने के लिए आवेदन या रिपोर्ट।	उल्लंघन की तिथि.	पचास पैसे.	सहायक कलेक्टर.	
48-ए	102	वसूले गए अतिरिक्त किराये की वसूली के लिए आवेदन।	प्राप्ति की तिथि	पचास पैसे	तहसीलदार	
48-बी	193	किराए के रूपांतरण के लिए आवेदन	कोई नहीं	पचास पैसे	तहसीलदार	
49	xxx					
50	xxx					
51	117	आंशिक बेदखली या समर्पण पर किराये के निर्धारण के लिए आवेदन।	कोई नहीं	पचास पैसे	सहायक कलेक्टर	
52	117(1)	किसी भी फसल से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए आवेदन।	कोई नहीं	एक रुपया	तहसीलदार	
53	117(2)	किराये के भुगतान की पद्धति से संबंधित विवाद पर निर्णय के लिए आवेदन।	कोई नहीं	एक रुपया	तहसीलदार	
53-एक	118(3)	किराये के संप्रेषण के लिए आवेदन.	कोई नहीं	एक रुपया	सहायक कलेक्टर	
53-बी	120 और 121	किराया वृद्धि का आवेदन.	कोई नहीं	कोई नहीं	सहायक कलेक्टर	
53-सी	120 और 124	किराये में छूट के लिए आवेदन	कोई नहीं	एक रुपया	सहायक कलेक्टर	
54	139	किराया जमा करने के लिए आवेदन.	कोई नहीं	पचास पैसे	तहसीलदार	

55	140(4)	जमा राशि की वापसी कोई नहीं का आवेदन	कोई नहीं	पचास पैसे	तहसीलदार
56	114(5)	फसल की देखभाल, कोई नहीं कटाई आदि में बाधा उत्पन्न करने के कारण मुआवजे के लिए आवेदन।	कोई नहीं	पचास पैसे	तहसीलदार
57	148	विभाजन अनुमान या कोई नहीं मूल्यांकन करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करने के लिए आवेदन।	कोई नहीं	एक रुपया	तहसीलदार
57-एक	149(8)	बांड या कुर्की के लिए कोई नहीं आवेदन	कोई नहीं	पचास पैसे	तहसीलदार
58	160	भू-राजस्व के बकाया के कोई नहीं रूप में किराये के बकाया की वसूली के लिए आवेदन।	कोई नहीं	एक रुपया	एकत्र करनेवाला
59	164	बेदखली पर मुआवजे कोई नहीं के लिए आवेदन	कोई नहीं	एक रुपया	वह न्यायालय जिसके समक्ष निष्कासन कार्यवाही लंबित है
60	166(2)	फसल या वृक्षों के मूल्य कोई नहीं निर्धारण के लिए आवेदन।	कोई नहीं	एक रुपया	बेदखली के लिए डिक्री या आदेश निष्पादित करने वाली अदालत
61	169	नोटिस जारी करने के कोई नहीं लिए आवेदन	कोई नहीं	पचास पैसे	तहसीलदार
62	170	एकपक्षीय रूप से एक माह पारित आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन।	आदेश की तिथि	पचास पैसे	तहसीलदार
63	xxx				
64	174(2)	नोटिस जारी करने के लिए आवेदन	जैसा कि क्रमांक 83 में है।	जैसा कि क्रमांक 83 में है।	जैसा कि क्रमांक 83 में है।
65	175(5)	निर्धारित राशि के कोई नहीं भुगतान के लिए समय विस्तार या किशतों में भुगतान के लिए आवेदन।	कोई नहीं	पचास पैसे	डिक्री को क्रियान्वित करने वाली अदालत
66	175	अवैध हस्तांतरण या तीस साल उप-पट्टे के कारण बेदखली के लिए	हस्तांतरण उप-पट्टे की तिथि	एक रुपया	सहायक कलेक्टर

		आवेदन।				
67	177	हानिकारक कार्य या शर्त के उल्लंघन के लिए निष्कासन हेतु आवेदन।	तीन साल	जब हानिकारक या असंगत कार्य किया जाता है या शर्त तोड़ी जाती है।	एक रुपया	सहायक कलेक्टर
68	180	गैर खातेदार काश्तकार, खुदखश्त काश्तकार या उप-काश्तकार को बेदखल करने के लिए आवेदन-				
		(i) खंड (ए) या (डी) के तहत				
		(क) धारा 46 में प्रगणित किसी व्यक्ति द्वारा।	अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष या अधिनियम की समाप्ति से तीन वर्ष, जो भी बाद में हो।	दिनांक से	पचास पैसे	सहायक कलेक्टर
		(ख) किसी अन्य मामले में।	अधिनियम के तीन वर्ष।	प्रारंभण की तिथि	पचास पैसे	सहायक कलेक्टर.
		(ii) खंड (बी) और (सी) के तहत	एक वर्ष की कार्रवाई उत्पन्न होती है।	जब उस कारण	पचास पैसे	सहायक कलेक्टर
68-ए	182-बी	जिस भूमि से बेदखल किया गया है उसकी वापसी या उसमें खातेदारी अधिकारों के अधिग्रहण के लिए आवेदन।	तीन साल	वास्तविक निष्कासन की तिथि	एक रुपया	उप-विभागीय अधिकारी।
68-बी	183-ए	बंधक अवधि की समाप्ति के बाद भूमि पर कब्जा न दिए जाने पर बंधकदार की संक्षिप्त बेदखली के लिए आवेदन।	बारह वर्ष	असेंबल की अवधि की समाप्ति की तारीख और जहां ऐसी अवधियां राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 के प्रारंभ	पचास पैसे	सहायक कलेक्टर.

				की तारीख से पूर्व धारा 43 की उपधारा (4क) के अधीन समाप्त हुई समझी जाती हैं, वहां ऐसे प्रारंभ की तारीख।		
68-सी	183-बी	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिचारी को संक्षिप्त बेदखल करने के लिए आवेदन।	बारह वर्ष	जब कार्रवाई का कारण उपार्जित हो गया।	पचास पैसे	तहसीलदार [26.05.1989 से प्रभावी]
69	186	पुनः बहाली के लिए आवेदन	तीन महीने	अधिनियम के प्रारंभ की तिथि या गलत तरीके से बेदखली या बेदखली की तिथि।	पचास पैसे	एकत्र करनेवाला
69-ए	188	किराया वृद्धि के लिए आवेदन.	कोई नहीं	कोई नहीं	"	सहायक कलेक्टर
70	192	ग्राम सेवक द्वारा कब्जे या पुनःस्थापना के लिए आवेदन।	छह महीने	बेदखली की तारीख	पचास पैसे	तहसीलदार
71	197 अध्याय IX और X के साथ पढ़ें	किराये की वसूली और भुगतान के संबंध में बाग-धारकों द्वारा या उनके विरुद्ध आवेदन।	जैसा भी मामला हो, खातेदार काशतकार या भू-स्वामी के संबंध में।	जैसा भी मामला हो, खातेदार काशतकार या भू-स्वामी के स्वामी के संबंध में, जैसा भी मामला हो		खातेदार काशतकार या भू-स्वामी के संबंध में, जैसा भी मामला हो
72	xxx					
73	195 अध्याय VI के साथ पढ़ें	सुधारों के संबंध में ग्रोव-धारकों द्वारा या उनके विरुद्ध आवेदन।	खातेदार भूमिधारक के संबंध में, जैसा भी मामला हो	खातेदार भूमिधारक के संबंध में, जैसा भी मामला हो	जैसा भी मामला हो, खातेदार भूमिधारक के संबंध में।	जैसा भी मामला हो, खातेदार भूमिधारक के संबंध में।
74	198 अध्याय XI के साथ पढ़ें	बेदखली के संबंध में ग्रोव-धारकों द्वारा या उनके विरुद्ध आवेदन।	-करना-	-करना-	-करना-	-करना-

74-ए	198-ए अध्याय के लिए ग्रोव धारकों VIII, XV द्वारा या उनके विरुद्ध नंबर 27-ए और XVI आवेदन तथा उनमें है के साथ अध्यायों में विनिर्दिष्ट पढ़ा गया अन्य विषय।	जैसा कि सीरियल नंबर 27-ए में है	जैसा कि सीरियल नंबर 27-ए में है	जैसा कि सीरियल नंबर 27-ए में है	जैसा कि सीरियल नंबर 27-ए में है
75	199 अध्याय के अधीन रहते हुए IX और X अध्याय IX और X में के साथ विनिर्दिष्ट विषयों के पढ़ें संबंध में इजारेदारों या ठेकेदारों द्वारा या उनके विरुद्ध आवेदन।	एक भूस्वामी के संबंध में	एक भूस्वामी के संबंध में	एक भूस्वामी के संबंध में	एक भूस्वामी के संबंध में
76	समीक्षा के लिए आवेदन- (i) बोर्ड को (ii) अन्य राजस्व न्यायालयों को	छह महीने	डिक्री आदेश तिथि	या न्यायालय की शुल्क अधिनियम के अनुसार	
77	बोर्ड को संशोधन के लिए आवेदन	कोई नहीं	कोई नहीं	दो रुपए	
78	उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन	कोई नहीं	कोई नहीं	दो रुपए	
79	धारा 232 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग के लिए आवेदन।	कोई नहीं	कोई नहीं	एक रुपया	
80	स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया:- (i) उप-विभागीय अधिकारी, (ii) कलेक्टर, (iii) (एचएचएच) (iv) बोर्ड, या (v) उच्च न्यायालय	कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं	कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं	पचास पैसे पचास रुपए न्यायालय शुल्क अधिनियम के अनुसार एक रुपया	
81	251 मार्गाधिकार या अन्य सुखभोग या अधिकार से संबंधित विवाद के निर्णय के लिए आवेदन	कोई नहीं	कोई नहीं	एक रुपया	तहसीलदार

[81.ए	251-ए	भूमिगत पाइपलाइन कोई नहीं बिछाने या किसी अन्य खातेदार की जमीन से होकर नया रास्ता खोलने या मौजूदा रास्ते को बढ़ाने या चौड़ा करने के लिए आवेदन	कोई नहीं	कोई नहीं	एक रुपया	उप-विभागीय अधिकारी.]
82	252	अवैध वसूली के कारण मुआवजे के लिए किरायेदार द्वारा आवेदन।	कोई नहीं	कोई नहीं	एक रुपया	तहसीलदार
83	सामान्य	डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन	जैसा कि सिविल न्यायालय के आदेश के मामले में होता है	जैसा कि सिविल न्यायालय के आदेश के मामले में होता है	एक रुपया	वह न्यायालय जिसने आदेश पारित किया
84	सामान्य	किसी लंबित वाद, अपील या अन्य कार्यवाही में आवेदन जब प्रस्तुत किया जाता है:-				
		(i) उच्च न्यायालय को	कोई नहीं	कोई नहीं	जैसा कि न्यायालय में	
		(ii) बोर्ड को	कोई नहीं	कोई नहीं	एक रुपया	
		(iii) न्यायालयों को	कोई नहीं	कोई नहीं	पचास पैसे	
85	सामान्य	इस अधिनियम के अधीन किसी विषय के संबंध में कोई अन्य आवेदन, जिसके लिए इस अनुसूची में अन्यत्र विशिष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है।	तीन साल	जब कार्य का कारण उत्पन्न होता है	पचास पैसे	सहायक कलेक्टर.
भाग III-अपील						
86	xxx					
87	xxx	मूल आदेशों के विरुद्ध अपील:				
88	xxx	(i) कलेक्टर को	तीस दिन	डिक्री तारीख	की शिकायत के समान	
		(ii) राजस्व अपीलीय प्राधिकारी को	साठ दिन	डिक्री तारीख	की शिकायत के समान	
89	xxx	अपीलीय आदेशों के				

		विरुद्ध अपील:-				
		(i) राजस्व अपीलीय साठ दिन प्राधिकारी को		डिक्री तारीख	की शिकायत के समान	
		(ii) बोर्ड को	नब्बे दिन	डिक्री तारीख	की शिकायत के समान	
90	xxx	अपील:-				
		(i) कलेक्टर को	तीस दिन	दिनांक आदेश	या एक रुपया	
		(ii) राजस्व अपीलीय साठ दिन प्राधिकारी को		आदेश तिथि	की एक रुपया	
		(iii) बोर्ड को	नब्बे दिन	आदेश तिथि	की एक रुपया	

चौथी अनुसूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का अनुप्रयोग

(देखें-धारा 208)

सूची I

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धाराएं और आदेश, जो इस अधिनियम के तहत वादों या कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते हैं-

धारा 9
धारा 24.
धारा 55 से 59 तक
धारा 68 से 72 तक
धारा 88
धारा 113, 114 और 115
आदेश XXI नियम 37, 38, 39 और 40]
आदेश XXII, नियम 8
आदेश XXXIII, (गरीबों के लिए मुकदमा)
आदेश XXXV (अंतर प्लीडर मुकदमे)
आदेश XXXVI (विशेष मामला)
आदेश XLIV (गरीब अपील)
आदेश XLVI (संदर्भ)

क्र. सं.	संहिता का प्रावधान	परिवर्तन
1	2	3
1	धारा 33	इस अधिनियम के अधीन आवेदन के मामले में कोई डिक्री तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि डिक्री तैयार करने के लिए विशेष

		रूप से विहित न किया गया हो।
2	धारा 55	खण्ड (ग) और परन्तुक का लोप किया जाएगा।
3	धारा 60	कुर्की या बिक्री के लिए उत्तरदायी न होने वाले विवरणों में "कृषक द्वारा भंडारित खाद" को जोड़ा जाएगा।
4	धारा 122	इस खंड में:- (i) "उच्च न्यायालय न्यायिक आयुक्त का न्यायालय न होने" पद के स्थान पर "बोर्ड" पद प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ii) शब्दों "समय-समय पर" और "पूर्व प्रकाशन के पश्चात" के बीच शब्द "राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के पश्चात और" अंतःस्थापित समझे जाएंगे; और (iii) "सिविल न्यायालय" शब्दों के स्थान पर "राजस्व न्यायालय" शब्द प्रतिस्थापित समझे जाएंगे।
5	धारा 144	इस धारा में, शब्द 'या आदेश' शब्द 'डिक्री' के पश्चात्, जहां कहीं भी वह आता है, अंतःस्थापित समझे जाएंगे।
6	आदेश(5) नियम 9 से 30	यदि राज्य सरकार नियमों द्वारा, साधारणतया या किसी स्थानीय क्षेत्र या मामलों के वर्ग के संबंध में ऐसा निर्देश दे, तो किसी समन या नोटिस की तामील किसी अन्य तरीके के अतिरिक्त डाक द्वारा भी की जा सकेगी।
7	आदेश VII नियम 1	इस नियम में निहित विवरणों के अतिरिक्त, वादपत्र में उस गांव और तहसील या अन्य स्थानीय क्षेत्र का नाम निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें वह भूमि स्थित है जिससे वाद या कार्यवाही संबंधित है और, जब तक कि ऐसी भूमि का अन्यथा पर्याप्त रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता है, सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र की संख्या, और यदि वाद लगान के बकाया के लिए है तो वादपत्र में प्रत्येक अवधि के लिए मांग, यदि कोई हो, प्राप्त की गई राशि और दावा की गई राशि को दर्शाने वाला लेखा विवरण होगा; और, यदि वाद या कार्यवाही किसी काश्तकार की बेदखली के लिए है तो वादपत्र या आवेदन में वह आधार या आधार बताए जाएंगे जिन पर ऐसी बेदखली जारी की गई या जिसके लिए आवेदन किया गया,
8	आदेश XX, नियम 6.	किराये के लिए प्रत्येक आदेश में उस कृषि वर्ष के लिए देय राशि, जिसमें ब्याज भी शामिल है, का भी उल्लेख किया जाएगा जिसके लिए राहत प्रदान की गई है।
9	आदेश XXI	किसी डिक्री के निष्पादन के लिए डिक्री के समनुदेशिनी द्वारा तब तक कोई आवेदन नहीं किया जाएगा जब तक कि उस भूमि में, जिससे वह संबंधित है, समनुदेशक का हित ऐसे समनुदेशिनी में निहित न हो जाए।
9-ए.	आदेश XXI, नियम II	उप-नियम (2) के खंड (जे) के उप-नियम (i) और उप-खंड (iii) का लोप किया जाएगा।
9-बी.	आदेश XXI नियम 30	शब्द "निर्णय ऋणी को सिविल कारागार में निरुद्ध करके या दोनों द्वारा" का लोप किया जाएगा।
10	आदेश XLI नियम और आदेश XLII के साथ	इस नियम द्वारा अपेक्षित प्रतियों के अतिरिक्त, द्वितीय अपील के प्रत्येक ज्ञापन के साथ मूल न्यायालय के निर्णय की एक प्रति भी संलग्न की जाएगी।
11	xxx	

12	xxx	
----	-----	--